खण्ड-249, अंक-1
बुधवार, 26 चैत्र, शक संवत् 1886
(15 अप्रैल, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 249 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	१–४
प्रश्नोत्तर	५–७१
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	७१
हरदोई जिला स्थित शाहाबाद नगरपालिका के सदस्यों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	७१–७५
लखनऊ में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर चावल उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में वक्तव्य	७५–८१
बेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अन्तर्गत आने वाले पदार्थों से भिन्न पदार्थों की संग्रहण विधि में संशोधन करने हेतु संकल्प (विचार स्थगित)	८१–९०
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय—विचार जारी)	९०–१०२
नत्थियां	१०३–१२४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १५ अप्रैल, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३२२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अवधेशनारायण सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा,
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिन्हा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
निजामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तम लाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषण प्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री

बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास झरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामसमझावन, श्री

रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमूर्ति श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होरीलालयादव, श्री

नोट:--गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १५ अप्रैल, १९६४

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सहकारी बैंक से गृह निर्माणार्थ ऋण

**१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

२३ मार्च, १९६४ के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने गत वर्षों में सरकार से धन प्राप्त होने की आशा से सरकार से अनुमति लिये बिना ही अपने कोष से ऋण वितरण कार्य चालू रक्खा था तो सन् १९६३–६४ के चालू वर्ष के स्वयं अपने मंजूर प्लानों के लिए क्या सरकार द्वारा धन देने से इंकार करने के कारण बैंक ने अपने कोष से ऋण वितरण कार्य बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने गृह निर्माण योजना समाप्त कर दिया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

जी नहीं, सरकार ने यह योजना बन्द नहीं की है। वास्तव में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के निरीक्षण के समय बैंक द्वारा सरकार से प्राप्त धन से अधिक धन बांट देने पर आपत्ति की, इसी कारण बैंक ने अपने कोष से ऋण वितरण कार्य बन्द कर दिया।

**२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

उक्त दिनांक २३ मार्च, १९६४ के प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के क्रम में क्या गृह निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्प आय वर्ग, निर्माण योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के लिय सरकार द्वारा दिये गये २७.५९ लाख रुपया १९६२–६३ के प्लानों पर खर्च हो गये और १९६३–६४ के लिए पर्याप्त धन नहीं था, तो बैंक ने सन् १९६३–६४ के प्लानों को मंजूर क्यों किया और सम्बन्धित प्रार्थियों को अनेक बार बुला कर सैकड़ों रुपये खर्च क्यों कराये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा १९६३–६४ में नये ऋणों की स्वीकृति इस आशा पर दी गयी थी कि सरकार से और धन प्राप्त होगा। स्वीकृति पत्र में वह स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि स्वीकृत ऋण सरकार से धन प्राप्त होने पर दिया जायगा।

प्रार्थना-पत्र तथा प्रत्येक किश्त दिये जाने की सिफारिश जिले के सहकारी अधिकारी के कार्यालय से आती है तथा किश्त का भुगतान भी उसी कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक द्वारा किया जाता है। अतः किसी प्रार्थी का लखनऊ आना आवश्यक नहीं है।

**३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या गृह निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ऋण सम्बन्धी समस्त कार्यवाहियां पूरी होने पर ही बैंक समिति ऋण प्रार्थना-पत्र मंजूर करती है जिससे क्रम तोड़ कर ऋण देने की कोई गुंजायश नहीं रहती ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी जांच कर के बतायेंगे कि बैंक ने सन् १९६३–६४ के मंजूर प्लानों में से किन तारीखों को तथाकथित ऋण सम्बन्धी पूरी कार्यवाहियों पर किन जिलों के किन व्यक्तियों को क्रम तोड़ कर ऋण की पहली किस्तें दी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक द्वारा ऋण की सारी कार्यवाहियां पूरी हो जाने पर ही ऋण दिया जाता है। अतः क्रम तोड़कर ऋण देने का प्रश्न ही नहीं उठता, जैसे-जैसे लोग अपनी ऋण सम्बन्धी सारी कार्यवाहियां पूरी करते जाते हैं उन्हें बैंक द्वारा ऋण दे दिया जाता है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६३-६४ के चालू वर्ष में सरकार ने २७ लाख ५९ हजार रुपये बैंक को दिया और बैंक ने अपने पिछले वर्ष के २८ लाख रुपये में ऐडजस्ट कर लिया और रिजर्व बैंक ने बैंक को अपने पास से रुपया बांटने से रोक दिया, तो फिर बैंक ने १९६३-६४ में २२,७६,६५७ रु० अपने कोष से किसके आदेश से बांटा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

सवाल तो कुछ लम्बा-सा हो गया है, मेरा खयाल है कि यह एक बड़े डिटेल की बात है। वाकया यह है कि जो ऋण के प्रार्थना-पत्र आते-जाते हैं उन्हें बैंक मंजूर करता जाता है और इस वजह से पिछले साल से कुछ ज्यादा प्रार्थना-पत्र मंजूर कर दिये गये। जो सरकार से कर्जा मिलना था उससे ज्यादा रुपया बैंक की तरफ से दे दिया गया। उसके बाद जब सरकार ने रुपया दिया तो उन ऋणों को जिनकी किस्त एक या दो मिल चुकी थी उनको फरवरी, ६४ तक बैंक देता रहा, लेकिन जो ऋण और मंजूर हो चुके हैं उनको जब तक और रुपया नहीं मिलेगा तब तक नहीं दिया जायगा ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिक रकम जो बैंक के डायरेक्टर्स ने या मैनेजर ने दी वह किसकी स्वीकृति से दी और क्या यह सही है कि उन्होंने अपने मिलने वालों तथा अपने दोस्तों को ही यह रुपया दिया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

यह बात नहीं है। जिस तरह से प्रार्थना-पत्र आते जाते हैं, उनके सम्बन्ध में जब पूरी कार्यवाही हो जाती है तो उनको रुपया दिया जाता है। हां, यह बात सही है कि बैंक के डाइरेक्टरों ने एक प्रस्ताव पास किया कि जो बैंक की सर्विस में हैं उनको कर्जा देने में वे प्रिफरेंस देंगे।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के सितम्बर के मंजूर प्लान नवम्बर में असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गये तो सिफारिश के आधार पर कर्जा देने का कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

अभी तो मैं नहीं कह सकता कि फतेहपुर जिले को कितना कर्जा दिया गया, इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता महोदय ने भी अपना एक प्रार्थना-पत्र दिया था और उन को कर्जा नहीं मिला ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

ऐसा शायद है कि माननीय सदस्य ने भी प्रार्थना-पत्र दिया लेकिन वह उन्होंने उस वक्त दिया जबकि ऋण देना बन्द हो गया, इसलिये वह नहीं दिया जा सका ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि रिजर्व बैंक ने अब कर्जा देना बन्द कर दिया है, लेकिन बहुत से प्रार्थना-पत्र पिछले साल के कोआपरेटिव बैंक के पास पड़े हैं, तो जितने प्रार्थना-पत्र आ चुके हैं उनको सरकार अपनी ओर से रुपया देकर कर्जा दे दे और बन्दी बाद में लागू करे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने अभी प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में बताया कि यही पालिसी है बैंक की कि पहले प्रार्थना पत्र जो मंजूर हो चुके हैं और जिन पर एक दो किस्तें दी गई हैं वह सब ऋण दिये जायेंगे और उसके बाद जो ऋण मंजूर हुये हैं उनके लिये जैसे ही रुपया मिलेगा, सब से पहले उनको ही दिया जायगा।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को विशेष रूप से नई प्लानों पर कर्जा दिया गया है उनके नाम और जिला न बताने का कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कोई कारण नहीं है, जो उत्तर में बताया गया है वही है।

कानपुर की तेल मिलों में तालाबन्दी

**४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में तिलहन के न मिलने के कारण तेल की मिल बन्द हो गयी ? यदि हां, तो कुल कितने मजदूर बेकार हो गये हैं तथा उस स्थिति को सुधारने में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

तिलहन उचित मूल्य पर उपलब्ध न होने के कारण कानपुर जिले की पांच तेल मिलों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बन्दी या बैठकी हुई जिसके फलस्वरूप क्रमशः १०८ अस्थायी श्रमिक कार्य से वंचित हुये तथा ६७ श्रमिकों की बैठकी हुई।

सरकार इस ओर ध्यान दे रही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जो बतायेंगे कि इस उत्तर का आशय क्या है कि उन को तिलहन उचित मूल्य से नहीं मिल रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसका मतलब यह है कि जितनी कीमत तेल की बढ़ी है उस के अनुपात में तिलहन की कीमत ज्यादा बढ़ी है, इसलिये तेल का उत्पादन करना मिलमालिकों के लिये अधिक व्ययसाध्य हो गया और वह इस योग्य नहीं रह गये।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मिलें बन्द हुई थीं, वे चालू हो गईं या अब भी बन्द हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मैंने अभी निवेदन किया कि इतनी बन्द हैं। अभी वे बन्द हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

१०८ अस्थायी मजदूर और ६७ श्रमिक जो कार्य से अलग कर दिये गये हैं उन्हें फिर से काम पर लिया जाय, इसके लिये कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जहां तक उनको लेने का सवाल है बहुत जल्दी वे कोशिश में हैं। फिर भी मार्केट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक लांग टर्म पालिसी की बात है, उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। युद्ध के बाद बराबर तिलहन की कीमतें जिस रेश्यो में बढ़ी हैं उस रेश्यो में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। बंगाल में जो तेल यहां से जाया करता था उसी की वजह से यहां मिलें चला करती थीं लेकिन वे स्वयं अपने यहां बनाने लगे हैं और यहां से तिलहन खरीदते हैं। यह स्थिति है जिसके कारण इसमें दिक्कत हो रही है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९२८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

खण्ड विकास अधिकारी, फूलपुर के विरुद्ध शिकायतें

*१--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी, फूलपुर, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध श्री दौलत लाल, श्री मंगलदेव, श्री उमाशंकर मिश्र, श्री भीमा प्रसाद और श्री रामसुन्दर पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक २६ फरवरी, १९६४ को लिखित एक आवेदन-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें भत्ते के गलत बिल बनाने, पुलिस कर्मचारियों से मारपीट करने, अवैध ढंग से निवास स्थानों को देने, सरकारी जीप का अनुचित प्रयोग करने, सुरक्षा कोष का रुपया लेकर रसीद न देने, अस्वीकृत फार्मों से २२ हजार रुपया के कृषि यन्त्र खरीदने, सीमेंट का वितरण ठीक से न करने आदि की लगभग २२ शिकायतें उल्लिखित हैं? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और जनता में व्याप्त असन्तोष को दूर करने के लिए खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गयी?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

जी हां, प्रसंगगत शिकायत की जांच उप-विकास आयुक्त, वाराणसी द्वारा कराई जा रही है। अभी जांच की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जब आरोप बहुत गंभीर हैं और जिन्हें सदस्यगण ने उस विकास क्षेत्र अधिकारी के खिलाफ लगाये हैं तो क्या उन्होंने उस विकास क्षेत्र अधिकारी को जांच के दौरान में निलम्बित करने अथवा ट्रान्सफर करने की कोई व्यवस्था की?

श्री राममूर्ति--

अभी निलम्बित वगैरह कुछ नहीं किया गया है। वह जांच कर रहे हैं। रात मैंने फिर मालूमात कराई। ३, ४ दिन के बाद ही रिपोर्ट आ पायेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

उप-विकास आयुक्त, वाराणसी ने क्या मौके पर जाकर इंक्वायरी की है?

श्री राममूर्ति--

मौके पर इंक्वायरी की है। १०, ११ गांव में और जाना है इसलिये कुछ टाइम उन्होंने मांगा है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि उस विकास क्षेत्र अधिकारी के वहां रहने से और उसका ट्रान्सफर न किये जाने से जांच सही प्रकार से नहीं हो सकती है?

श्री राममूर्ति--

बी० डी० ओ० इतना बड़ा हाकिम नहीं है कि कोई आदमी गवाही न दे और बी० डी० सी० ने इस बात की शिकायत नहीं की है कि बी० डी० ओ० उनकी जांच में हावी हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या और शिकायतों के साथ यह शिकायत भी की गयी है--पुलिस कर्मचारियों से मारपीट, सुरक्षा कोष के लिये रुपया वसूल करना और रसीद न देना आदि, इसकी भी बी० डी० सी० जांच कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--

सुरक्षा कोष का मामला है इसलिये गांव-गांव में वह मालूमात कर रहे हैं कि रुपया दिया गया अथवा नहीं और कैसे दिया गया। इसी जांच की वजह से थोड़ी देर हो गयी।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या यह काफी नहीं है कि इस अधिकारी को दौराने जांच ट्रान्सफर करने के लिये ५ सदस्यगण ने उसके खिलाफ शिकायत की है ?

श्री रामूर्ति--

कायदा यह है कि कोई भी शिकायत हो तो उसकी जांच होनी चाहिये और जांच होने पर प्राइमा फेसी साबित हो जाय तो फिर आगे की कार्यवाही की जायगी और अगर जरूरत होगी तो बी० डी० ओ० को डिसमिस भी कर दिया जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

सरकार ने उप-विकास आयुक्त से जो इसकी जांच कर रहे हैं अब तक यह जानने की कोशिश की होगी कि वे किस नतीजे पर पहुचे हैं और प्राइमा फेसी केस इस अधिकारी के खिलाफ बनता है अथवा नहीं। उप विकास आयुक्त को और सरकार को इस बात की जानकारी होगी कि इसके पहले कितने प्रकार के एलीगेशन्स बी० डी० ओ० के खिलाफ थे, इन सब को देखते हुए प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं ?

श्री राममूर्ति --

सरकार ने आधी रिपोर्ट जानने की कोई कोशिश नहीं की। सरकार ने तो सिर्फ यह मालूमात की कि इतने दिन हो गये, अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट की गयी। उस पर यह जवाब आया कि चूंकि दस, ग्यारह गांवों में और जाना बाकी रह गया है इसलिये तीन-चार दिन की और मोहलत चाहिये।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि कोई शिकायत होती है तो उस पर जांच की जाती है, और प्राइमा फेसी केस बन जाता है तो ऐक्शन लिया जाता है, लेकिन शिकायत में भी अन्तर होता है। पांच विधायकों ने शिकायत की है तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी के साथ शिकायत की है। तो क्या यह साबित नहीं करता कि बी० डी० ओ० के खिलाफ प्राइमा फेसी केस बनता है और कोई अन्तरिम कार्यवाही की जानी चाहिये ?

श्री राममूर्ति--

माननीय सदस्यों ने रिपोर्ट की है, उसका पूरा वेट दिया गया है लेकिन जो कानून का पहलू है उसको तो मानना ही पड़ेगा।

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

जब पांच-पांच इस माननीय सदन के सदस्य विकास अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं उस पर भी माननीय मंत्री जो विचार करके उसका स्थानान्तरण करने के लिये तैयार नहीं है और वह दौड़ धूप कर के प्रधानों और मन्त्रियों को मिला कर के अपने भ्रष्टाचारी काम की लीपापोती कर रहा है, तो फिर भ्रष्टाचार दूर करने का क्या साधन है ?

श्री राममूर्ति—

मैं जवाब दे चुका ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जांच होना जरूरी है और वह करवा भी रहे हैं लेकिन ट्रांसफर वह आसानी से कर सकते हैं और साफ सुथरी जांच के लिये क्या यह आवश्यक नहीं है कि उसका ट्रांसफर किया जाय, लेकिन अगर उसका ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया, वह अपने सेक्रेटरीज के जरिये जो कि गांव-गांव में फैले हुये हैं और अपने ए० डी० ओज० के जरिये जांच में रुकावट डाल रहे हैं, तो उनको क्या आपत्ति है उसका वहां से ट्रांसफर करवा देने में ?

श्री राममूर्ति—

मैंने जैसा अर्ज किया कि जितना समय गुजर गया वह तो गुजर गया । अब तो खाली तीन-चार दिन, जैसी कि मुझको कल खबर मिली, बाकी रह गया है । अब कोई ज्यादा उजलत की जरूरत नहीं है । मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि अगर उसमें कोई ऐसी चीज पायी जायगी तो ट्रांसफर ही नहीं सस्पेंड भी कर दिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मुझे दुख है कि हम सब लोग जो सवाल करने वाले हैं, हमारे जिले का सवाल है और मैं सप्लीमेंटरी करने के लिये बार-बार खड़ा हुआ और इतना महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर ११ सदस्यों के दस्तखत हैं और यह मंजूर हो चुका है लेकिन इस पर पांच मिनट का भी समय नहीं हुआ और आप आगे बढ़ गये ।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, पांच मिनट से तो अधिक समय हो गया और मेरी समझ में काफी समय इसके लिये मैंने दिया । इसलिये मैं आगे बढ़ गया ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

फैजाबाद क्षेत्र में ग्राम सेवकों व पंचायत मंत्रियों की पदोन्नति

*१—श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित), श्री बब्बनसिंह (जिला गोंडा), (अनुपस्थित), श्री ईश्वरशरण, (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार तुरन्त इस बात की जांच करायेगी कि फैजाबाद डिवीजन में १९६१ से आज तक जी० ओ० नं० ३०८४/XXX-V-A 129 N. E. S/59 dated 14/15 June, 1961 के अनुसार पंचायत, कृषि तथा सहकारिता विभाग में अपने निर्धारित संख्यानुसार प्रत्येक जिले में विकास विभाग द्वारा कितने ग्राम सेवकों और पंचायत मन्त्रियों की पदोन्नति दी गयी है ?

श्री राममूर्ति—

शासकीय आदेश संख्या ३०८४/३५-ए-१२९ एन० ई० एस० ५८ दिनांक १४/१५ जून, १९६१ के उपरान्त अभी तक फैजाबाद मंडल में सहायक विकास अधिकारी के पद पर किसी ग्राम सेवक एवं पंचायत मंत्री की नियमित (रेगुलर) पदोन्नति नहीं हुई है। अतः पदोन्नति सहायक विकास अधिकारियों की जिलेवार संख्या का प्रश्न नहीं उठता।

*२—श्री विष्णुप्रतापसिंह (अनुपस्थित), श्री बब्बनसिंह (अनुपस्थित), श्री ईश्वरशरण (अनुपस्थित) तथा श्री जगदम्बाप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इस बात की भी जांच करायेगी तथा बताने की कृपा करेगी कि १९६१ के बाद पंचायत विभाग के क्लर्कों को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) या पंचायत राज निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दे कर और ग्राम सेवकों (फील्ड वर्कर) को पदोन्नति से वंचित रक्खा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं, जैसा प्रथम प्रश्न के उत्तर में कहा जा चुका है, अभी तक नियमित पदोन्नति किसी भी कर्मचारी की नहीं हुई है, अतः ग्राम सेवकों को पदोन्नति से वंचित रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*३—श्री विष्णुप्रतापसिंह (अनुपस्थित), श्री बब्बनसिंह (अनुपस्थित), श्री ईश्वरशरण (अनुपस्थित) तथा श्री जगदम्बाप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि फैजाबाद मण्डल के कृषि विभाग में सहायक विकास अधिकारी के पद पर नये-नये लोग कुछ मास पूर्व रखे गये हैं, उसमें किसी ग्राम सेवक को पदोन्नति नहीं दी गयी और जिनको पदोन्नति दी भी गयी थी उन्हें रिवर्ट कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

कृषि निदेशालय द्वारा नियमानुसार सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर सीधे (डायरेक्ट) नियुक्त किये गये। व्यक्तियों के फैजाबाद मंडल के जिलों में पद ग्रहण करने पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत व्यक्तियों का प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) हो जाना स्वाभाविक है। कृषि निदेशालय स्तर से अभी तक फैजाबाद मंडल में किसी ग्राम सेवक की नियमित पदोन्नति नहीं हुई है।

ग्राम सेवकों की पदोन्नति

*४—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या नियोजन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कोई जी० ओ० नं० ३०८-३५-१२९-ए० ई० एस०-५८, दिनांक १५ जून, १९६१ विकास आयुक्त के यहां से सब जिलाधीशों को भेजा गया कि २/३ ए० डी० ओज० ग्राम सेवक में से लिये जायेंगे ? यदि हां, तो सूबे में ऐसे कितने ए० डी० ओज० उक्त आदेश के बाद लिये गये ?

श्री राममूर्ति—

शासकीय आदेश संख्या ३०८४/३५-क-१२९-एन० ई० एस०/५८ दिनांक १४/१५ जून, १९६१ की प्रतिलिपि शासन द्वारा समस्त जिलाधीशों को भी पृष्ठांकित की गई है। इसमें सहायक विकास अधिकारियों के २/३ स्थानों पर ग्राम सेवकों की पदोन्नति के निर्देश नहीं हैं।

गांव सभा, तुलापुर के प्रधान श्री जगतप्रसाद गिरि का निलम्बन

*५–श्री ऊदल––

क्या सरकार बताने की कृप करेगी कि गांव सभी तुलापुर बहादुरान ब्लाक सुरियावां, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के प्रधान को जुलाई, १९६३ से मुअत्तल कर दिया गया है ? यदि हां, तो मुअत्तली का कारण क्या है ? और अब तक कितनी तारीखें पड़ चुकी हैं और अब तक फैसला न करने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति––

जी हां, श्री जगतप्रसाद गिरि, प्रधान गांव सभा तुलापुर बहादुरान ब्लाक सुरियांवा जिला वराणसी दिनांक ९ जुलाई, १९६३ से चारित्रिक दोष एवं पद का दुरुपयोग करने के आरोप पर निलम्बित किये गये थे। उक्त दिनांक से उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में कुल १६ तारीखें पड़ चुकी हैं।

कुछ तारीखों पर परगनाधीश के अवकाश पर अथवा आवश्यक सरकारी कार्य से दौरे पर होने के कारण तथा कुछ अन्य तारीखों पर गवाहान के उपस्थित न होने के कारण निर्णय होने में बिलम्ब हुआ है।

श्री ऊदल––

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि निर्णय अब हो गया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति––

श्रीमन्, यह तो मैं नहीं जानता लेकिन जो जवाब आया है वह मैंने बता दिया।

श्री ऊदल––

श्रीमन्, जो यह जांच पड़ताल हो रही है यह कोई मुकदमा नहीं है। तो क्या सरकार इसमें लिखेगी कि मामला जल्दी फायनल हो जाय ? उस को या तो बरखास्त कर दिया जाय जिससे चुनाव हो जाय या उसको बहाल कर दिया जाय ?

श्री राममूर्ति––

श्रीमन्, सरकार ने आदेश दे दिये हैं कि गवाहान अगर नहीं आयेंगे तो फैसला दे दिया जायगा।

श्री भीखालाल––

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सही है कि जब हाकिम परगना दौरे के सिलसिले में इस गांव में गये तो वहां के प्रधान ने उनकी आवभगत नहीं की, इसलिये गलत आरोप लगा कर मुअत्तल किया गया है और उसे परेशान किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति––

इसकी मालूमात मेरे पास नहीं है। चार्जेज के बारे में मैं बता सकता हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार––

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि केवल यही मामला नहीं है जिसमें देरी लग रही है बल्कि प्रदेश भर में जहां-जहां प्रधानों के खिलाफ मामले चलते हैं उनमें ३/४ साल लग जाते हैं ? क्या मंत्री जी इसको ध्यान में रखते हुये ऐसे आदेश जारी करेंगे जिससे एक निश्चित अवधि में ऐसे मामले के जल्दी से जल्दी फैसले हो जायं ?

श्री राममूर्ति--

सवाल के पहले भाग की कोई जानकारी नहीं है। जहां तक दूसरे हिस्से का ताल्लुक है सरकार की तरफ से कभी नहीं लिखा गया कि देरी से फैसला किया जाय।

ग्राम पंचायत, धनेश के प्रधान श्री राजदेवराम का निलम्बन

*६--श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के बिरनों ब्लाक के ग्राम पंचायत धनेश के श्री राजदेव राम को प्रधान पद से हटा कर श्री राजदेव सिंह यादव को प्रधान पद दिया गया है ? यदि हां, तो हटाने का क्या कारण है और उक्त ग्राम के प्रधान का उप चुनाव कब हुआ ? क्या सरकार इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--

जी हां। श्री राजदेव राम के विरुद्ध गबन का आरोप होने कारण उनको अतिरिक्त एस०डी०ओ० गाजीपुर के दिनांक ९ नवम्बर, १९६२ के आदेश के द्वारा मुअत्तल कर दिया गया है। अभी एस०डी०ओ० द्वारा इस विषय में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतएव प्रधान पद के उप चुनाव का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हिम्मतसिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गबन किस प्रकार का था ?

श्री राममूर्ति--

१५१ रुपया भूमि-कर के रूप में प्राप्त किया गया था वह हिसाब में दर्ज नहीं किया गया।

रुद्रपुर विकास क्षेत्र में हैण्ड पम्प्स

*७--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या विकास मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिले के रुद्रपुर विकास क्षेत्र में वित्तीय वर्ष, १९५८-५९ से लेकर १९६३-६४ तक चांपाकल लगाने के लिये किन-किन को अनुदान दिया गया ? क्या वे सभी चांपाकल सार्वजनिक इस्तेमाल में हैं। यदि नहीं, तो कौन-कौन नहीं हैं और क्यों ?

श्री राममूर्ति--

विकास क्षेत्र रुद्रपुर, जिला देवरिया में विभिन्न गांव सभाओं में चांपाकल (Hand Pumps) लगाने के लिए जिन व्यक्तियों को अनुदान दिया गया है उनकी सूची †संलग्न है। ये सभी चांपाकल (Hand Pumps) सार्वजनिक इस्तेमाल में हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सवाल में कुछ अवधि दी गयी थी कि उसके अन्दर कितने चांपाकल लगे, उसको न बताने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--

१९५८-५९ से १९६३-६४ तक ४८५ चांपाकल लगाने के लिये अनुदान दिया गया था उसमें जो लग गये वह लग गये। बाकी को टाइम दे दिया गया।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक इस्तेमाल में आते हैं जो चांपाकल घरों के अन्दर हैं या बन्द बगीचों में हैं उनसे भी पानी लेने का सार्वजनिक इस्तेमाल होता है क्या इसको मान कर जवाब दिया गया है ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री राममूर्ति—

घरों में इसके बारे में मैं जानता नहीं । मेरे पास जवाब यह है कि जो चांपाकल लगाये गये हैं उनमें से सब लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं जानना चाहूंगा कि रुद्रपुर विकासखंड के अन्तर्गत ग्राम पटवनिया, गायघाट, मदनपुर, डहरौली, नगवा और नरायनपुर में कितने ट्यूबवैल लगे हैं और क्या यह सभी ट्यूबवेल वर्किंग आर्डर में है और इनका सार्वजनिक इस्तेमाल होता है ?

श्री राममूर्ति—

अगर आप की इजाजत हो तो सब पढ़ दूं । काफी लम्बी लिस्ट है ।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें बड़ा समय लगेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय चन्द्रबलीसिंह की राय है कि सार्वजनिक स्थानों पर हैन्ड पंप नहीं लगाये गये हैं उनकी जानकारी को ख्याल में रख कर फिर से जांच करवायेंगे, जिसमें वह जांच करने वाले अफसर की मदद कर सकें ?

श्री राममूर्ति—

अगर सब की जांच करवायी जायगी तो बड़ा लम्बा काम हो जायगा । अगर माननीय चन्द्रबलीसिंह लिख कर दे दें तो जहां-जहां गलत लगाये गये हैं, तो इनक्वायरी करवा देंगे और अगर गलत होंगे तो दुरुस्त करवाने की भी कोशिश करेंगे ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

नारायणपुर में चन्द्रबली के नाम से एक चांपाकल लगा हुआ है, वह किस चन्द्रबली का लगा हुआ है और वह चांपाकल कहां लगा हुआ है ?

श्री राममूर्ति—

चन्द्रबली लिखा हुआ है और नारायणपुर लिखा हुआ है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मैं माननीय मंत्री जी को सूचना देता हूं कि हमारे घर पर जो चांपाकल लगा हुआ है, न हमारे घर के लोगों ने, न मैंने कभी भी विकास से सहायता ली है । अगर वह हमारा है तो उसकी जांच करवायी जाय । अगर दूसरे का है तो बताया जाय कि वह कौन है ?

श्री राममूर्ति—

चूंकि आपने लगाया नहीं तो किसी दूसरे का ही होगा ।

बांदा जिले में खेती के औजारों व पम्पिंग सेट के लिए तक़ावी

*८—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के जुदा-जुदा ब्लाकों में क्या-क्या खेती के औजार किसानों को सन् १९६२ व सन् १९६३ ई० में तकावी देकर बांटे गये और किस-किस कम्पनी से तथा किस-किस भाव पर खरीदें गये ?

श्री राममूर्ति—

सन् १९६२ में खेती के औजारों के लिये तकावी ऋण परगनाधीशों द्वारा बांटी जाती थी। उनके इस वितरण का तहसीलवार ब्योरा उपलब्ध है ब्लाकवार नहीं। सन् १९६३ में यह वितरण विकास क्षेत्र अधिकारियों द्वारा ब्लाकवार किया गया था दोनों ही दशाओं में औजार खरीद कर नहीं बांटे गये थे बल्कि धनराशियां वितरित की गई थीं। ऋण प्राप्त करने वालों ने औजारों का क्रय अपनी मरजी से, बाजार से, सहकारी समिति से अथवा कृषि विभाग से किया। चूंकि औजारों की खरीदार नियोजन विभाग द्वारा नहीं हुई इसलिये इस विभाग को पूरी जानकारी नहीं है कि वे कहां से तथा किस भाव से खरीदे गये।

*९—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ऊपर कहे औजार कब-कब दिये गये?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न नहीं उठता।

*१०—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इन ब्लाकों में पानी के पंप लगाने के लिये कितनी आयल इंजन किस-किस भाव पर और कहां-कहां से खरीद कर तकावी के रूप में सन् १९६२ व १९६३ ई० तक बांटे गये?

श्री राममूर्ति—

सन् १९६२ व ६३ ई० में बांदा जिले के विकास क्षेत्रों में पंपिंग सेट की तकावी निम्न प्रकार वितरण की गई:—

विकास क्षेत्र	संख्या	पंपिंग सेट जिसके लिये तकावी स्वीकार की गई	
		१९६२	१९६३
महुआ	.. .. ..	२	२
मानिकपुर	.. .. ..	—	१
मऊ	.. .. ..	—	..
विसंडा	.. .. ..	—	३
तिन्दवारी	.. .. ..	३	७
बड़ोल खुर्द	.. .. ..	३	४
पहाड़ी	.. .. ..	४	२
नरैनी	.. .. ..	२	१०
बबेरू	.. .. ..	१०	२
कमासिन	.. .. ..	१	२
चित्रकूट	.. .. ..	६	३
रामनगर	.. .. ..	२	३
जसपुरा	.. .. ..	—	२
	योग ..	३३	४१

ये पंपिंग सेट कहां हैं और किस भाव पर खरीदे गये, इसका पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऋण प्राप्त कर्त्ताओं को यह अधिकार था कि वह स्वीकृत फर्मों में से जहां से चाहें पंपिंग सेट खरीद सकते हैं।

श्री मतोलासिंह---

नरैनी तहसील में १० और तिन्दवारी में ७ पंपिंग सेट्स चलते हैं जिनसे लोगों को बहुत रिलीफ है । क्या मंत्री जी पूरे जिले में पंपिंग सेट्स लगाने की कोई योजना बनावेंगे ?

श्री राममूर्ति---

अगर वहां के लोग आवेदन-पत्र देंगे कि उन्हें पंपिंग सेट लगाने के लिये रुपये और किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में वह लगाना चाहते हैं तो हमारी यह कोशिश होगी कि उनको रुपया दिया जाय ताकि वह पंपिंग सेट लगाकर आबपाशी कर सकें ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि बी० डी० ओज, खेती के औजार उन कम्पनियों से खरीदते हैं जहां उनके परसेंटेज बंधे हुये हैं और जब तक उनको परसेंटेज का इन एडवांस भुगतान नहीं हो जाता तब तक वे नहीं खरीदते ?

श्री राममूर्ति---

पिछले बजट के मौके पर कुछ माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था । उसके बाद मैंने इस बात को जानने की कोशिश की है कि कोई भी फर्म हमारे यहां दर्ज न की जाय । इतना जरूर किया जाय कि जो फर्म भी हो उसको डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज से अनुमति मिलना चाहिये । उसके बाद जनता को ऋण दे दिया जाय वे जहां से चाहें खरीद लें ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या मंत्री जी अपने जवाब को ध्यान में रखते हुये सहारनपुर जिले में जो बी० डी० ओज ने एलाइड कम्पनी, अम्बाला से ३२०० डिस्क ऐसे खरीदे हैं और जिनमें प्रत्येक डिस्क पर रिश्वत ली गयी है उसकी जांच करावेंगे ?

श्री राममूर्ति---

मुझे इसका इल्म नहीं है कि रिश्वत ली गयी है या अम्बाला की किसी फर्म से सामान खरीदा गया है । लेकिन अगर माननीय सदस्य इसके बारे में मुझे लिखकर देंगे तो हम बाकायदा इन्क्वायरी करवायेंगे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

मैं पिछले वर्ष लिखकर दे चुका हूं लेकिन आज तक एन्क्वायरी नहीं हुई । उनके अधिकारियों के पास मेरी लिखित शिकायतें मौजूद हैं तो क्या उनपर एन्क्वायरी करायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज और दूसरे अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश दिये जायं कि जो कम्पनियां आजकल इस तरह का एग्रीकल्चरल माल सप्लाई कर रही हैं उन सब कंपनियों की कोई ऐसी मीटिंग बुलाई जाय और यह निश्चय किया जाय कि किन कम्पनियों से माल खरीदा जाय ?

श्री राममूर्ति---

डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज को किसी को हटाने की ताकत नहीं है लेकिन इतना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में बहुत से फर्म हैं जो कि एप्रूव्ड हैं और जिनसे सामान खरीदा जाता है लेकिन चूंकि इस बात की लोगों की शिकायत है जो स्वाभाविक है कि ऐसी बात तो नहीं है कि वे

कमीशन ठहरा लेते हैं उसी को देखकर हम इस बात का इंतिजाम कर रहे हैं कि फर्म्स के नाम ऐप्रूव कर दिये जायं और ऐप्रूवल करने के लिये पब्लिक पर छोड़ दिया जाय कि जिससे वे चाहें खरीदने के लिये ऋण हम से ले सकें।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ में जो ४१ पम्पिंग सेट की स्वीकृति दी गई थी और जिनके लिये ऋण दिया गया था उन्होंने स्वीकृत फरमों से पिंग सेट न खरीदकर सेकिंड हैन्ड खरीद लिया ?

श्री राममूर्ति—

मेरी समझ में इसकी कोई रुकावट नहीं है कि सेकिंड हैंड, थर्ड हैंड या फर्स्ट हैंड न खरीदें। चीज अच्छी होनी चाहिये जो काम करे।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

अगर वह स्वीकृत फर्मों से नहीं खरीदता है तो फिर उसकी उपयोगिता क्या रह जाती है ?

श्री राममूर्ति—

उपयोगिता यह रह जाती है कि खरीदने वाले को यह पता लग जाता है कि यह फर्म अच्छी चीज दिया करती है इसलिये उसका अप्रूवल हुआ करता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो औजार एप्रूव किये जाते हैं उनका कोई टेस्टिंग होता है या नहीं, अगर नहीं होता है तो किस आधार पर उनको एप्रूव्ड लिस्ट में ले लिया जाता है ?

श्री राममूर्ति—

मायर जी ने जिस बात को उठाया है वह सवाल वहां दरपेश था लेकिन डिपार्टमेंट का यह ख्याल है कि अभी तक उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वह यह कह सकें कि यह माल बिल्कुल अपटूडेट बना हुआ है। जो गवर्नमेंट की ताल कटोरा की वर्कशाप है वह गारंटी कर लेती है। इनके यहां जो फर्म बनाती है वह नाम और शोहरत पर काम करती चली आती है। काम अच्छा होता है तो लोग खरीदते हैं और अच्छा नहीं होता है तो लोग नहीं खरीदते हैं।

छाता तहसील में कुंओं के लिए ऋण

*११—श्री लखेसिंह (जिला मथुरा)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ ई० में छाता तहसील के किन-किन गांवों में सिंचाई के कुओं के लिए कितने रुपये कर्जे में दिये गये और अब तक कितने कूप सिंचाई काबिल हो चुके हैं ?

श्री राममूर्ति—

छाता तहसील के इन गांवों की सूची संलग्न है जिनमें सिंचाई के कुओं के लिये ३६,५२५ रु० कर्ज के रूप में दिये गये। अब तक २५ कूप सिंचाई काबिल हो चुके हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०३ पर)

श्री लखीसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ५१ कूपों के लिये तकावी दी गई और इनमें सिंचाई के लिये २५ कूप तैयार हो गये तो २६ रह गये हैं वे अपूर्ण किस कारण से हैं ?

श्री राममूर्ति—

अपूर्ण रह जाने की एक वजह यह होती है कि अक्सर लोगों को ईंट या सीमेंट मिलने में कठिनाई होती है । एक दूसरी वजह यह होती है कि कभी-कभी लोग कुआं बनाने का रुपया किसी और काम में खर्च कर लेते हैं सरकार एक साल का टाइम देती है कि रुपया लेने के बाद कुआं अपना लोग बनायें । एक साल के बाद वह इस बात का दरख्वास्त यदि देता है कि इस वजह से जो वजह उसकी ताकत के बाहर थी नहीं बना सका तो उसको एक साल का टाइम और दिया जाता है और इसमें भी वह न बनाये तो फिर उसका रुपया लैन्ड रेवेन्यू की तरह वसूल कर लिया जाता है ।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ब्लाक प्रमुख और ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर का सौदा पट रहा है और रुपया किसानों को मिला ही नहीं है ?

श्री राममूर्ति—

ऋण का रुपया तो सब को दे दिया गया ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी पुनः जांच करायेंगे कि इन २६ आदमियों को रुपया दिया नहीं गया बल्कि उनके फरजी दस्तखत करा लिये और ऐसे कार्य बी० डी० ओ० द्वारा रोज-रोज हुआ करते हैं ?

श्री राममूर्ति--

अगर बी० डी० ओ० ऐसा करते हैं तो बड़ी बेजा हरकत करते हैं । अगर इन २६ आदमियों के नाम लिख कर मुझे दे दिये जायं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा अगर सही है, तो कम से कम बी० डी० ओ० को तो सस्पेंड कर ही दूंगा । प्रमुख का फिर देखा जायगा ।

दहगंवा अस्पताल का बन्द रहना

*१२—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

११ दिसम्बर, १९६३ के लिए निर्धारित प्रश्न ९५ के उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच पूरी होकर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

उचित जांच के पश्चात् यह पाया गया कि ३१ मार्च, १९६३ को दहगवां अस्पताल, जिला बदायूं को अनधिकृत रुप से बन्द रखने के लिये तत्कालीन कम्पाउन्डर व वार्ड ब्वाय जिम्मेदार थे और अप्रैल २५,१९६३ से मई ८, १९६३ तक अस्पताल बन्द रहने के लिये तत्कालीन चिकित्साधिकारी व कम्पाउन्डर उत्तरदायी थे । उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है :

(क) कम्पाउन्डर को २५–४–६३ से ८–५–६३ तक वेतन न देने तथा उनको दो वर्ष की वेतन वृद्धि हमेशा के लिये रोक देने का दंड दिया गया ।

(ख) वार्ड ब्वाय की एक वर्ष की वेतन वृद्धि हमेशा के लिये रोक दी गई ।

(ग) चिकित्साधिकारी के विरुद्ध रिपोर्ट पर अभी स्वास्थ्य सेवा निदेशक विचार कर रहे हैं। उनके सुझाव प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जायगी।

*१३—श्री उल्फत सिंह यादव (अनुपस्थित)—

११ दिसम्बर, १९६३ के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या ९६ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार प्रश्नकर्त्ता की इस सूचना को सत्य मान कर कि उक्त डाक्टर का स्थानान्तर किया जा चुका है शीघ्र ही अस्पताल में डाक्टर की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रदेश में डाक्टरों की भारी कमी है और कई अस्पताल बिना डाक्टर के चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभी यह कहना कठिन है कि कब तक बहगवां के अस्पताल में डाक्टर की व्यवस्था की जा सकेगी।

विकास खण्ड, ऊंचा गांव के क्षेत्र में परिवर्तन

*१४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर के विकास खंड ऊंचा गांव को छोटा क्यों किया गया और इसमें से चार न्याय पंचायत केन्द्र निकाल कर दूसरे विकास खंडों में शामिल क्यों कर दिये गये क्या ऊंचा गांव क्षेत्र समिति से इस विषय में कोई राय ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

ऊंचागांव खंड में ११ न्याय पंचायत सर्किल थे, और जन संख्या लगभग १,०५,००० थी। इसके विपरीत जहांगीराबाद खंड में केवल ३ न्याय पंचायत सर्किल थे तथा जनसंख्या लगभग ३० हजार थी। जनसंख्या की इस बड़ी विषमता को दूर करने के लिए ऊंचागांव से तीन न्याय पंचायत सर्किल जहांगीराबाद तथा एक न्याय पंचायत सर्किल अनूपशहर खंड को स्थानान्तरित कर दिये गये।

२—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा ३ के अधीन खंडों की सीमा निर्धारण का अधिकार शासन में निहित है। अतएव इस मामले में क्षेत्र समिति से राय लेने का प्रश्न नहीं उठता था।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको क्या आपत्ति थी कि वे वहां की क्षेत्र समिति का भी मशविरा ले लेते। यह अधिकार आपने लिया था कि आप डिलिमिटेशन कर सकें लेकिन जब कि आपको इस विकास खंड का विशेषाधिकार मिला तो वहां की क्षेत्र समिति से मश्विरा क्यों नहीं लिया ? यह सवाल बड़ा नाजुक होता है। ब्लाक समितियों के अन्दर अलग-अलग विचार के लोग होते हैं और एक प्रकार का चकल्लस मच जाता है। आपस में बैमनस्य हो जाता है।

श्री राममूर्ति—

चूंकि यह मामला तल्ख का था इसलिए सरकार ने अपने पर ही ले लिया है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब इस ब्लाक को छोटा किया गया तो क्या उसके पीछे किसी गलती को छिपाने की भावना थी ?

श्री राममूर्ति—

सरकार की कोई गलत भावना नहीं थी इसका मैं यकीन दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्य को ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

ब्लाकों को बनाने के लिये आबादी आदि का कोई आधार क्या सरकार के पास है या बिना आधार के ही वे बना दिये जाते हैं ?

श्री राममूर्ति—

ब्लाकों की सीमा निर्धारण के कई एक क्राइटेरिया हैं । एक तो यह है कि तहसील न टूटने पाये । ज्यादातर ब्लाक एक तहसील में रहे और इसलिये कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब ब्लाक ठीक नहीं बनता तो उसकी आबादी बढ़ा दी जाती है, ड्योढ़ा ब्लाक बना दिया जाता है । दूसरे इस बात का खयाल रखा जाता है कि अगर कोई बड़ा दरिया बीच में है और उसकी वजह से यातायात में कठिनाई पड़ सकती है, तो उसका भी खयाल रखा जाता है । जो ज्योग्राफिकल और टोपोग्राफिकल कंडीशन्स हैं उनका खयाल रखते हुए ब्लाक बनाये जाते हैं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

जब इस विकास खंड की जन संख्या १ लाख ५० हजार थी तो इसको ड्योढ़ा विकास खंड क्यों नहीं बनाया गया और सिकन्दराबाद विकास खंड को, जो १४ विकास खंडों से छोटा था उसे ड्योढ़ा विकास खंड बना दिया गया । उस गलती को आपने माना । तो आपने पहले ही इसे ड्योढ़ा विकास खंड क्यों नहीं बनाया ?

श्री राममूर्ति—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य के खयालात का सरकार बड़ा एहतराम करती है । जब किसी स्टेज पर सख्त गलती पता लगी तो उसे ठीक करने के लिये ही दूसरा कदम उठाया गया । कदम यह था कि जिस ब्लाक में ११ पंचायतें थीं उसकी ३ पंचायतें हटा कर जहां ३ थीं उसमें मिला दी गयीं और एक और पंचायत उसमें मिला कर कुल ७ कर दी गयीं । इस तरह से यहां पंचायतें कम कर दी गयीं और एक कंसालिडेटेड ब्लाक वहां बना दिया गया । यह बात जरूर है कि सख्त गलती हो गयी और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि वह किस की वजह से हुई । अगर पता लग जायगा तो उसे हालअप करने की कोशिश की जायगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

तमाम उत्तर प्रदेश के ब्लाकों को देखने से पता नहीं लगता कि वे किसी उसूल पर बनाये गये हैं । तो क्या मंत्री जी कांस्टीट्युयेन्सी के आधार पर ब्लाक बनाने की कृपा करेंगे ताकि एक कांस्टीट्यूयेन्सी में एक या दो ब्लाक हो जायं ?

श्री राममूर्ति—

माननीय सदस्य अगर गौर से देखें ब्लाकों के सीमांकन को तो उनको पता चलेगा कि हर कांस्टीट्यूयेन्सी में एक या दो ब्लाक आते हैं । किसी में तीन आते हैं । (व्यवधान) लेकिन उससे तहसील नहीं टूटती । अगर उनकी कांस्टीट्युयेन्सी में ५ है तो उनको खुश होना चाहिये । उनको खिदमत का ज्यादा मौका मिलेगा ।

श्री ऊदल—

जो सख्त गलती हो गयी है और उसकी वजह से तीन पंचायतों को अपने दूसरे ब्लाक में मिला दिया और बगल में ड्योढ़ा ब्लाक है तो उसमें से दो या तीन अदालती पंचायतें मिला कर इस सख्त गलती को ठीक करने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

इतनी डिटेल तो मेरे पास नहीं है, अगर माननीय सदस्य लिख कर इन गलतियों को दे देंगे तो उनको भी देख लिया जायेगा ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि सारे उत्तर प्रदेश में जो ब्लाक बने हैं वे बहुत गलत तरीके से बने हैं, उनके नजदीक के गांव छोड़ दिये गये हैं, तो क्या वे नजदीक के गांवों को ब्लाकों में जोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

यह इतने विस्तार का सवाल है कि मैं उसका कोई साफ उत्तर नहीं दे सकता । लेकिन जो आधार हमने उनके लिये माना है, उन्हीं के आधार पर उनका निर्माण हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार ऐसे आदेश देने की कृपा करेगी कि प्रदेश में फिर से ब्लाकों का निर्माण किया जाय क्योंकि बहुत से ऐसे ब्लाक हैं जिनमें २०–२० मील पर एक गांव पड़ता है और जनता को बड़ी परेशानी होती है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैंने भी इस विभाग का काम संभाला है और इसलिये मुझे भी थोड़ी जानकारी है । करीब ६०० ब्लाक्स इस प्रदेश में हैं । अगर इन सब का फिर से निर्माण कराया जाय तो यह बड़ा भारी काम है जो सम्भव नहीं है । जहां कहीं मालूम होता है कि दिक्कत है, हमें ऐक्शन लेना चाहिये, वहां जरूर उनको बदल दिया जाता है ।

गाजीपुर तहसील में सिंचाई कूपों के लिए तकावी

*१५—श्री झिलमिटराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर की तहसील गाजीपुर में १९६१–६२, १९६२–६३ में कितने किसानों को सिंचाई हेतु कुंवाँ निर्माण के लिए तकावी दी गयी और उनमें से कितने किसान अपने कुंओं का निर्माण-कार्य समाप्त कर चुके और कितनों का बाकी है और निर्माण कार्य न होने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

जिला गाजीपुर की तहसील गाजीपुर में १९६१–६२ व ६२–६३ में क्रमशः २२९ तथा १४८ किसानों को सिंचाई कूप-निर्माण हेतु तकावी दी गई । उनमें से क्रमशः ८३ व १४ कुयें का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है । शेष १४६ तथा १३४ अभी नहीं बने हैं ।

तहसील गाजीपुर में चकबन्दी हो रही है जिसके कारण ये कुंआ बनने में कठिनाई हो रही है ।

श्री झिलमिटराम—

मुझे सूचना मिली है कि पचासों गांवों में जबरदस्ती पूरी वसूली की जा रही है । पचोतर क्षेत्र में ग्राम चक्कपिल, नरवल आदि गांवों में पूरी रकम वसूल करायी गयी है। ग्राम नरवल के रामदास पांडेय, अनिरुद्धलाल, स्वामी नाथ पांडेय, कमलाकान्त चौबे, रामजन्म मिश्र, जगदीश लाल, सूबेदार चौबे आदि लोगों से जबरदस्ती वसूली की गयी है। तो क्या सरकार इसकी पुनः जांच करायेगी और ऐसे आदेश देगी कि जिन किसानों से वसूली नहीं हो पायी है उसको रोक दिया जाय ?

श्री राममूर्ति—

जिन लोगों के नाम लिये गये, उनके बारे में यकायक तो मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता अगर माननीय सदस्य उनकी लिस्ट मुझे दे देंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि किस वजह से ऐसा हुआ है। अगर कहीं गलती हो रही है तो उसको दुरुस्त किया जायेगा।

श्री भीखालाल—

क्या सरकार कुओं की तकावी की मियाद चकबन्दी हो चुकने के समय से लगाने की कृपा करेगी ताकि किसानों को दिक्कत न हो ?

श्री राममूर्ति—

उसूली तरीके से यह बात ठीक है। अगर माननीय सदस्यों की राय हो तो मैं यह देख लूं कि जहां चकबन्दी हो रही है वहां कुयें रोक दिये जावें और वे रुपया अपनी पास बुकों में जमा कर दें ताकि फिर रुपये की दिक्कत न हो।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

क्या सरकार तकावी लेने वालों के लिये ईंट और सीमेंट का भी प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ताकि कुवें बन सकें ?

श्री राममूर्ति—

हर ब्लाक को कुंवों के लिये सीमेंट का स्पेशल कोटा भी दिया जाता है। यह भी हिदायत है कि अगर ईंटों की कमी हो और कोई कोआपरेटिव का भट्ठा लगाना चाहे कोयले का भी प्रबन्ध किया जाय।

नारंग इंण्डस्ट्रीज, नवाबगंज में शराब की तैयारी

*१६—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नारंग इन्डस्ट्रीज, नवाबगंज, गोंडा से दूसरी एवं तीसरी पंचवर्षीय काल में कितनी मात्रा में किस श्रेणी की शराब तैयार की गयी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वांछित सूचना संलग्न तालिका नं० १ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०४ पर)

*१७—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (अनुपस्थित) तथा श्री शीतलाप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त दिनों में सरकार तथा नारंग इन्डस्ट्रीज को कितना लाभांश मिला ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वांछित सूचना क्रमशः संलग्न तालिका नं० २ व ३ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०५ पर)

सामुदायिक विकास योजनान्तर्गत ग्राम्य-क्षेत्र

*१८—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो ग्राम शहरों के पास हैं और जिनका क्षेत्र न नगरपालिका में आता है और न विकास खंडों में उन गाँवों के विकास के लिए सरकार के पास क्या योजना है ?

श्री राममूर्ति—

जहां तक सरकार को विदित है, उत्तर प्रदेश का समस्त ग्राम क्षेत्र, जो किसी नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता, किसी न किसी विकास खंड में समविष्ट अवश्य है, क्योंकि सामुदायिक विकास योजना के तत्वाधान में जितने विकास खंड इस राज्य में खुलने थे उनका सीमांकन इस प्रकार किया गया था कि कोई ग्राम क्षेत्र छूटने न पावे, और ये सभी, किसी न किसी रूप में, खोले जा चुके हैं। यदि सदस्य महोदय किसी ग्राम अथवा क्षेत्र विशिष्ट की ओर संकेत करें तो उसके प्रसंग की स्पष्ट स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

*१९—श्री शराफत हुसैन रिजवी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार उक्त गांवों को विकास हेतु निकट के ब्लाकों में शामिल करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—

फिलहाल यह प्रश्न नहीं उठता।

*२०—श्री शराफत हुसैन रिजवी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार शहरी अराजी को भी जिस पर काश्त होती है, विकास खंडों में शामिल करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—

सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत, जैसी कि वह सारे देश के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित है शहरी (महापालिका) अराजी विकास खंडों में सम्मिलित नहीं की जा सकती।

दहगवां ब्लाक में चपरासियों की नियुक्ति

*२१—श्री उल्फतसिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं स्थित ब्लाक दहगवां में नियोजन विभाग में २६ जुलाई, १९६३ को चपरासियों की जो नियुक्तियां की गयीं हैं उसके लिए जितने प्रार्थना-पत्र आये उनकी शैक्षणिक योग्यतायें क्या थीं तथा जो व्यक्ति चुने गये उनकी योग्यता क्या है ?

श्री राममूर्ति—

चपरासी के पद हेतु कोई प्रार्थना-पत्र दहगवां ब्लाक के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये थे। चुनाव जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा प्राप्त सूची के आधार पर हुआ था। चुनाव में केवल सर्व श्री हेमराज सिंह तथा तिरमल सिंह ही उपस्थित हुए थे। प्राप्त सूची में श्री हेमराज सिंह की शैक्षणिक योग्यता कक्षा ७ थी एवं श्री तिरमल सिंह की शैक्षिक योग्यता नहीं दर्शाई गई थी। श्री तिरमल सिंह की नियुक्ति उनके पूर्व सेवा अनुभव के आधार पर ही की गई थी।

कानपुर टेस्ट मैच के प्रांगण में शराब की दुकान

*२२—श्री मन्नालाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल में ही कानपुर में हुई क्रिकेट टेस्ट मैच में आयोजकों द्वारा मैच के प्रांगण में शराब की दुकानों की भी व्यवस्था की गयी थी? यदि हां, तो क्यों?

श्री बाऊदयाल खन्ना—

जी हां। कानपुर क्रिकेट मैच में प्रबन्धकों के अनुरोध पर १५,१६,१७,१९ और २० फरवरी, १९६४ के लिए एफ० एल० ११ का आकस्मिक (occasional) लाइसेंस दिया गया।

नये इक्साइज मैनुअल के प्रथम खंड के नियम ६५२ के उपनियम (१) के अन्तर्गत ऐसा लाइसेंस देने की व्यवस्था है।

सहकारी बैंक, देवरिया की आडिट रिपोर्ट

*२३—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी बैंक, देवरिया की आडिट रिपोर्ट, १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२ के मुख्य-मुख्य सिफारिशों पर सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

संबंधित वर्षों की आडिट रिपोर्ट में साधारण प्रकार की त्रुटियां उल्लेख की गई थीं जिन पर बैंक के संचालक मंडल ने स्वयं उचित कार्यवाही करके तामील कर दिया है। सरकार की ओर से कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी।

*२४—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी बैंक, देवरिया के हिसाब-किताब में गत ५ वर्षों में बहुत गड़बड़ी है? यदि हां, तो उसका निराकरण क्या है?

श्री बनारसीदास—

सहकारी बैंक देवरिया के हिसाब में गत पांच वर्षों में कोई गड़बड़ी नहीं थी। वर्तमान वर्ष में देवरिया सहकारी बैंक के बांच कसया के दो कर्मचारी एकाउन्टेंट तथा सहायक एकाउन्टेंट को कुछ अनियमिततायें करने के कारण अक्तूबर, १९६३ में निलंबित कर दिया गया था और उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु जांच हो रही है।

मोहनलालगंज तहसील में स्प्रिट की दूकानें

*२५—श्री खयालीराम (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहनलालगंज में १९६१ से अब तक कितनी डिनेचर्ड स्प्रिट की दुकानों के लाइसेंस सरकार द्वारा दिये गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

निर्दिष्ट समय में तहसील मोहनलालगंज में सरकार द्वारा कुल चार स्प्रिट की दुकानों के लाइसेंस दिये गये हैं।

*२६—श्री खयालीराम (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी यह भी स्पष्ट करेंगे कि दुकानों के स्थान जहां पर हैं वहां उसकी खपत कितनी है और किन-किन कार्यों में इसका प्रयोग होता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उपरोक्त दूकानों पर ४०० गैलन (१,८१८.४ लीटर) डिनेचर्ड स्प्रिट प्रतिमास की खपत है। यह पालिश व जलाने आदि के कामों में लाई जाती है।

साहबगंज में भांग व शराब की दुकान

*२७—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की तहसील सदर के साहबगंज नामक ग्राम में क्या शराब, भांग व अन्य मादक वस्तुओं के ठेके की दुकान ग्राम के नागरिकों के विरोध के बावजूद एक धार्मिक ठाकुरद्वारे के अन्दर १ अप्रैल, १९६३ से चल रही है ? यदि हां, तो क्या धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुये अनैतिक वस्तुओं के ठेके की दुकान ठाकुरद्वारे की परिधि के बाहर हटाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी नहीं। निर्दिष्ट स्थान पर जिस इमारत में भांग व शराब की दूकान स्थित है, उसमें कोई ठाकुरद्वारा नहीं है। एक छोटा-सा मंदिर इस इमारत से कुछ दूरी पर बना है।

जब से शराब की दूकान (१-४-६३) कायम की गई है, ग्राम के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र दूकान कायम करने के विरोध में नहीं आया। अस्तु, दूकान के वहां से हटाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

*२८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें तथा एक्साइज कमिश्नर को इस निश्चित अवधि के अन्दर उक्त दुकान के बिक्री स्थान के विरुद्ध स्थानीय नागरिकों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

२ मार्च, १९६४ को श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त, निवासी साहबगंज का एक विरोध-पत्र प्राप्त हुआ। इसकी जांच करने से विदित हुआ कि श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त और उनकी बेवा भावज जो दुकान की इमारत की मालिक हैं, में आपसी मन मुटाव है जिसके कारण वे शराब व भांग की दूकान को उस इमारत से हटवाना चाहते हैं।

श्री रामकिशोर वर्मा—

जहां यह भांग और शराब की दूकान है उससे थोड़ी दूर पर मंदिर है तो क्या वह आबादी में है और दुकान से मंदिर कितनी दूर है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मंदिर अपनी जगह पर है । २ कमरे की यह इमारत अलग है । जब नशाबन्दी नहीं थी तब भी इसमें दुकान थी ।

श्री रामकिशोर वर्मा—

उस गांव की आबादी केवल १८ आदमियों की है । अप्रैल, ६३ से पहले यहां कोई दूकान नहीं थी, पड़ोस के गांव में था । इस दूकान के खुलने से गांव में अराजकता फैलने का अंदेशा है । इसलिये वहां से हटाकर पड़ोस के गांव में खोलेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

भांग की दूकान दिसम्बर, सन् ६२ से खुली और पहली अप्रैल, ६३ से यहां शराब की दूकान आई ।

गांव समाज

*२९—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उनकी जानकारी में वाराणसी जिले में ऐसी भी गांव पंचायतें हैं जिनमें गांव समाज का वैधानिक स्थापना नहीं हुई है ? यदि हां, तो उन गांव पंचायतों के नाम क्या हैं और उनमें गांव समाज की स्थापना न हो सकने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ प्रदेश में लागू होने के फलस्वरूप अब ग्राम समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है । अतः प्रदेश के किसी भी गांव में ग्राम समाज की स्थापना का प्रश्न नहीं उठता ।

टी० बी० व कैन्सर

*३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में टी० बी० तथा कैन्सर के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये उसको रोकने हेतु गत ५ वर्षों में कौन-कौन से उपाय किये गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रदेश में टी० बी० तथा कैंसर के मरीजों का कोई रेगुलर सर्वे न होने के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि गत ५ वर्षों में उनकी संख्या बढ़ी है अथवा नहीं । टी० बी० के इलाज के लिये अस्पतालों में टी० बी० के वार्डों की स्थापना की गई । भारत सरकार के नमूने की टी० बी० क्लीनिक्स खोली गईं जिनके द्वारा डोमीसियलरी सर्विस की व्यवस्था की गई । सहारनपुर में एक नये टी० बी० सैनीटोरियम की स्थापना की व्यवस्था की गई । टी० बी० के गम्भीर रोगियों के इलाज के लिये विशेष अस्पताल खोले गये । भूतपूर्व टी० बी० के रोगियों

नोट—तारांकित प्रश्न २८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

के पुनर्वास की व्यवस्था की गई तथा बी०सी०जी० के टीके अधिकाधिक संख्या में लगाये गये। टी०बी० के क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आगरा में टी०बी० डिमांस्ट्रेशन तथा ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई। कैन्सर के इलाज के लिये साधारणतः सभी अस्पतालों में व्यवस्था है। कैन्सर की विशेष चिकित्सा के लिये कानपुर में जे० के० कैन्सर रिसर्च इन्स्टीट्यूट खोला गया। इसके अतिरिक्त एस० एन० अस्पताल, आगरा तथा कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद में भी कैन्सर के इलाज की व्यवस्था है।

*३१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कैन्सर के मरीजों को रखने हेतु कितने स्थानों पर कितने मरीजों का प्रबन्ध सरकार ने किया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

टी० बी० के संबंध में वर्तमान सत्र के ७ वें बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है। कैन्सर के संबंध में सूचना निम्नलिखित है:—

(१) सावेट अस्पताल, वाराणसी में जनरल वार्ड में कैन्सर के मरीज भरती किये जाते हैं।

(२) कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद में २६ शय्यायें हैं।

(३) गांधी मेमोरियल तथा एसोशियेटेड अस्पताल, लखनऊ में जनरल वार्ड में कैन्सर के मरीज भरती कर लिये जाते हैं।

(४) जे० के० इन्स्टीट्यूट आफ कैन्सर में १०० शय्याओं की व्यवस्था है।

(५) सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा में कैन्सर के लिये १० शय्यायें हैं।

जिला अस्पताल, बदायूं का टी० बी० वार्ड

*३२—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि जिला अस्पताल बदायूं के टी०बी० वार्ड में उन मरीजों को जिन्हें निःशुल्क चिकित्सा के लिये भरती किया जाता है, केवल १५ इन्जक्शन मात्र ही दिये जाते हैं चाहे बीमार ठीक हो अथवा नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

*३३—श्री उल्फतसिंह यादव—

यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि जिसको भरती किया जाये उसकी पूर्ण चिकित्सा की जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रश्न नहीं उठता।

*३४—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार इसके लिये उक्त चिकित्सालय का अनुदान बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रश्न नहीं उठता।

बनीपारा सहकारी समिति में गबन की जांच

*३५—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत बनीपारा सहकारी समिति प्रशासक २० हजार रुपया के गबन आरोप में गिरफ्तार किया गया था? यदि हां, तो उसे मुअत्तल किया गया या नहीं? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसीदास—

यह सही है कि संबंधित समिति का प्रशासक ३-१-६४ को गिरफ्तार हुआ था लेकिन २० हजार रुपये के गबन के आरोप में नहीं बल्कि थाना इन्चार्ज रसूलाबाद की रिपोर्ट पर कि प्रशासक अनुपस्थित है और उक्त गबन के विषय में जांच नहीं हो पा रही है। मामले में सी० आई०डी० पुलिस की जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है और इस बात का निर्णय नहीं हो पाया है कि प्रशासक वास्तविक अपराधी है। इसलिये उसे निलम्बित करना उचित नहीं समझा गया।

प्रशासक गिरफ्तार होने के बाद उसी दिन शाम को जमानत पर छोड़ दिया गया था।

जामों में स्वास्थ्य केन्द्र तथा हरदां में डिस्पेन्सरी की मांग

*३६—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुलतानपुर की क्षेत्र विकास समिति के इस निर्णय के अनुसार कि जामों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कर दी जाय तथा डिस्पेंसरी हरदां में कर दी जाये यह दोनों कार्य कब से कार्यान्वित होंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है तथा इस पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिया जायगा।

रामनगर अस्पताल में एक्स-रे मशीन, डाक्टर पन्त के खिलाफ शिकायतें

*३७—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या गत वर्ष रामनगर, जिला नैनीताल के अस्पताल में एक्स-रे करने की मशीन लगायी गयी है? यदि हां, तो इस मशीन से कार्य करना किस तारीख से आरम्भ किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, यह एक्सरे की मशीन १९६१ में खरीदी गई थी परन्तु इसके लिये पावर कनेक्शन मार्च, १९६३ में मिला। मशीन के कुछ पुरजे खराब होने के कारण अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हो सका है, परन्तु शीघ्र ही इससे कार्य लिये जाने की पूर्ण आशा है।

*३८—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या उन्हें रामनगर के सिविल अस्पताल के डाक्टर श्री पंत के खिलाफ जो कि ५ वर्ष से वहां है भ्रष्टाचार और जनता से रिश्वत लेने व झगड़ा करने के संबंध में शिकायती पत्र मिला है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी और उनका तबादला क्यों नहीं किया गया?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । शिकायती-पत्र की जांच कराई गई परन्तु डाक्टर के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये थे उनका कोई प्रमाण नहीं मिल सका । डाक्टर पंत के तबादले के आदेश मई, १९६३ में उनके रामनगर में काफी समय से रहने के कारण कौसानी को किये गये परन्तु कौसानी का ठंडा जलवायु उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं था अतः वे आदेश जून में रद्द कर दिये गये । उनके तबादले के आदेश निदेशक ने हाल ही में कर दिये हैं ।

*३९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि ७ फरवरी, १९६३ को रामनगर थाने की घटना जिसमें कई सिपाही घायल हुये थे जब उनको अस्पताल लाया गया, तो डाक्टर पंथ ड्यूटी के समय गैर-हाजिर थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । चूंकि डाक्टर ने ७-२-६३ को अनुपस्थित रहने की स्वीकृति सिविल सर्जन, नैनीताल से प्राप्त कर ली थी, अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्लानिंग आफिस, वाराणसी में कथित साक्षात्कार

*४०—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी के प्लानिंग आफिस में दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६३ को इंटरव्यू के लिये कितने लड़कों को बुलाया गया था तथा उसमें कितने हरिजन थे ?

श्री राममूर्ति—

३१ दिसम्बर सन् १९६३ को उक्त कार्यालय में कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ ।

*४१—श्री हरिगैनराम—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन बुलाये गये लड़कों का इन्टरव्यू हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद जिले में मैटरनिटी सेण्टर

*४२—श्री रियासत हुसैन—

क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में किस-किस स्थान पर मैटरनिटी सेंटर (जच्चा-बच्चा केन्द्र) हैं और उनमें कितना-कितना स्टाक रहता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मुरादाबाद जिले के मैटरनिटी सेन्टरों तथा उनमें रखे जाने वाले स्टाक की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०६-१०७ पर)

*४३—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि उन सेंटरों पर सन् १९६२ और सन् १९६३ में कितने-कितने जच्चा-बच्चा केसेज का इलाज हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उन सेन्टरों पर सन् १९६२ और सन् १९६३ में क्रमशः १५,३६४ तथा २३,१४४ बच्चा-बच्चा के केसेज का इलाज हुआ ।

वाराणसी में परिवार नियोजन विभाग के कर्मचारी

*४४—श्री रघुनाथसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है और उनके सेवा-कार्य की अलग-अलग रूप-रेखा क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रदेश में परिवार नियोजन योजना में ४३४ पुरुष कार्यकर्ता तथा ३४९ महिला कार्यकर्त्री कार्य कर रही हैं। इनके कार्य की रूप-रेखा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०८–१०९ पर)

*४५—श्री रघुनाथसिंह—

वाराणसी जिले के विभिन्न विकास खंडों में अलग–अलग कितने स्त्री पुरुषों ने योजना चालू होने के प्रारम्भिक वर्ष से लेकर विगत वित्तीय वर्ष १९६२–६३ तक इससे लाभ उठाया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वाराणसी जिले के विभिन्न विकास खंडों के अन्तर्गत विभिन्न खंडों के परिवार नियोजन केन्द्रों में योजना चालू होने के प्रारम्भ से लेकर १९६२–६३ तक का आवश्यक ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०८–१०९ पर)

सहकारी औषधि निर्माणशाला, रानीखेत

*४६—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सहकारी ड्रग इंस्टीट्यूट, रानीखेत कई लाख के घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो उसको क्यों चलाया जा रहा है ?

श्री बनारसीदास—

सहकारी औषधि निर्माणशाला, रानीखेत कई वर्षों से घाटे पर चल रही थी । परन्तु १९६२–६३ के व्यवसाय (वर्किंग) पर इसे लाभ हुआ है । चूंकि निर्माणशाला अब लाभ पर चल रही है, अतः इसे बन्द करना वांछनीय नहीं है।

सठियांव ब्लाक को अनुदान

*४७—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सठियांव ब्लाक अन्तर्गत गूंजरपार तथा पुसड़ा ग्राम सभाओं को जन-स्वास्थ्य तथा यातायात के लिये सन् १९६२–६३ में कुल कितना अनुदान दिया गया है ? क्या यह सच है कि वह धन खर्च हो गया है ? यदि हां, तो किस काम के लिये ? यदि नहीं खर्च हुआ है, तो क्या वह धन पास बुक में जमा है ?

श्री राममूर्ति—

१९६२-६३ में आजमगढ़ जिले के सठियांव ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम सभा गूजर-पार तथा पुसड़ा को क्रमशः १,०७५ रु० तथा ५०० रु० का अनुदान जन-स्वास्थ्य एवं यातायात के लिये स्वीकृत किया गया। स्वीकृत धन केवल आंशिक रूप से व्यय हुआ है। ग्राम सभा गूजरपार में व्यय नाली निर्माण, हैन्ड पम्प, ईटों के क्रय व ढुलाई पर किया गया। ग्राम सभा पुसड़ा में व्यय पुलिया निर्माण पर किया गया। ग्राम सभा पुसड़ा का शेष धन पासबुक में सुरक्षित है। ग्राम सभा गूजरपार को कार्यपूर्ण करने अथवा शेष धनराशि पास बुक में जमा कर देने को नोटिस दी जा चुकी है।

गैसड़ी ब्लाक की बिल्डिंग

*४८—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गैसड़ी ब्लाक (गोंडा) की बिल्डिंग कहां और कबतक बनकर तैयार हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—

कथित भवन गैसड़ी स्टेशन के निकट रेलवे फीडर रोड के पूर्व की ओर बनाने का निश्चय किया गया है। भूमि अभी उपलब्ध नहीं हुई अतः भवन निर्माण पूरा होने के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता।

*४९—श्री बलदेवसिंह तथा श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या यह सत्य है कि जहां पर भवन बनाने का निश्चय किया जा रहा है वह खेत गरीबों का पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उसी के समीप ही अर्थात् रेलवे बिल्डिंग के पड़ोस में जो खेत है वहां सरकार उसे बनाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं, जिन किसानों की भूमि पर भवन निर्माण का प्रस्ताव है उनके पास कई एकड़ भूमि है। प्रस्तावित स्थान अन्य भूमि की तुलना से अधिक उपयुक्त तथा सुविधाजनक समझा गया है।

रामपुर खंझरी के डाक्टर, प्रहलादकुमार के खिलाफ शिकायत

*५०—श्री भोलालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव के उच्च अधिकारियों को इस बात की हाल में शिकायत मिली है कि ग्राम रामपुर खंझरी, तहसील हसनगंज के होम्योपैथिक अस्पताल के डाक्टर श्री प्रहलाद कुमार ने होम गार्डस की ट्रेनिंग में जाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को भड़काया और ट्रेनिंग में जाने से रोका और सरकारी सुरक्षा योजना को धक्का पहुंचाया ? यदि हां, तो उक्त डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

लालगंज मार्केटिंग सोसाइटी के संचालकों का चुनाव

*५१—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २२ फरवरी, १९६४ को जनपद रायबरेली के अन्तर्गत लालगंज मार्केटिंग सोसाइटी के एक तिहाई संचालकों का चुनाव हुआ ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों के सुपरवाइजरों ने अपने यहां से इस मार्केटिंग के लिये चुने हुये प्रतिनिधियों की सूची नहीं भेजी ?

श्री बनारसीदास—

जी हां। इस सम्बन्ध में दुकनहा सेरनी, और मुरार मऊ के सुपरवाइजर क्षेत्रों से साधन सहकारी समितियों ने प्रतिनिधियों की सूची क्रय-विक्रय सहकारी समिति, लालगंज को नहीं भेजी। भोजपुर सुपरवाइजर क्षेत्र की समितियों के प्रतिनिधियों की सूची निर्धारित समय के बाद आई।

*५२—श्री गुप्तारसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन सुपरवाइजरों ने अपने क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों की सूची नहीं भेजी है जिससे कि वे प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेने से वंचित रह गये हैं, उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

समितियों की नियमावली के अनुसार प्रतिनिधि भेजने का उत्तरदायित्व स्वयं समितियों का है। अतः सम्बन्धित सुपरवाइजरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

रामनगर विकास क्षेत्र में निर्माण-कार्य

*५३—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र (जिला जौनपुर) की प्रमुख सड़क जो मड़ियाहूं से नेवढ़िया तक जाती है, उस पर कंकड़ डालने के लिये दो-दो फर्लांग तक किन-किन ठेकेदारों व प्रधानों को ठेका दिया गया ? उसमें अब तक कुल कितना रुपया व्यय हुआ और कितना काम हुआ ?

श्री राममूर्ति—

जौनपुर जनपद के रामनगर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत रामनगर से नेवढ़िया जाने वाली सड़क पर कंकड़ डालने के लिये किसी ठेकेदार अथवा प्रधान को किसी प्रकार का ठेका नहीं दिया गया। अतः ठेके द्वारा किये गये व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता।

*५४—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार रामनगर विकास क्षेत्र, जौनपुर को चीरता हुआ जो नाला रानीपुर के पास जाता है उस पर पुल बनाने की कोई योजना वह कार्यान्वित करने जा रही है? यदि हां, तो वह क्या योजना है और वह कब तक पूरी हो जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

R.A. 4067

बरदहा बांध

*५५—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती, तहसील नौगढ़ विकास खंड उस्का बाजार में जो बरदहा बांध बना हुआ है उसकी जांच गत वर्ष करायी गयी थी? यदि हां, तो ओवरसियरों द्वारा उस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट दी गयी ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*५६—श्रीचन्द्रपाल—

क्या सरकार मेरी इस सूचना को सच मान कर कि उपरोक्त बांध बहुत पुराना होने के कारण जीर्ण हो रहा है, क्या सरकार शीघ्र ही उसकी मरम्मत तथा रख-रखाव की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[१५ अप्रैल, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उझानी सहकारी संघ में गड़बड़ी

*१—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ए० डी० ओ० (कोआपरेटिव), उझानी, जिला बदायूं ने ३१ दिसम्बर, १९६२ को उझानी सहकारी संघ का मुआइना किया था या स्टाक कीअर्द्ध-वार्षिक जांच ?

श्री बनारसीदास—

ए० डी० ओ० (कोआपरेटिव), उझानी, जिला बदायूं ने ३१-१२-६२ को उझानी सहकारी संघ के खाद के स्टाक की अर्द्धवार्षिक जांच की थी ।

सदस्य महोदय के इसी सत्र के पहले बुधवार को प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर में जिस मुआइने का उल्लेख किया गया था वह अर्द्धवार्षिक जांच से ही था ।

*२—कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उझानी सहकारी संघ के किस-किस साल के रिकार्ड गायब हैं ? जब सुपरवाइजर उझानी, ३१ जुलाई, १९६३ को अवकाश लेकर फरार हुआ, क्या उससे पहिले स्टाक की अर्द्ध-वार्षिक जांच ३० जून, १९६३ को नहीं हुई, यदि करायी गयी तो किसके द्वारा तथा उसकी रिपोर्ट क्या है, वह रिपोर्ट ए० आर० आफिस बदायूं में कब आयी और उस तारीख से लेकर सुपरवाइजर के फरार होने तक ए० आर० बदायूं ने उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसीदास—

१९६१-६२ तथा १९६२-६३ दो सालों के कुछ रिकार्ड गायब हैं। सुपरवाइजर उझानी के फरार होने के पहले संघ के स्टाक की अर्द्धवार्षिक जांच नहीं हुई अतः अगले प्रश्न नहीं उठते ।

आगरा में मेडिकल कालेज के स्टाफ क्वार्टर्स व मानसिक चिकित्सालय सुधार योजना

*३—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मेडिकल कालेज व अस्पताल के डाक्टरों व कर्मचारियों के रहने के लिये स्टाफ क्वार्टर्स बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना क्या है और नहीं तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। प्रोफेसरों, रीडरों एवं लेक्चररों के लिये क्वार्टर्स बनाने की योजना है।

*४—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या चिकित्सा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मानसिक चिकित्सालय के विस्तार व सुधार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। मानसिक चिकित्सालय, आगरा में आकूपेशन थेरेपी विभाग के भवन का निर्माण, पानी की व्यवस्था में सुधार तथा डाक्टर एवं नर्सों की क्वार्टर्स का निर्माण योजनायें स्वीकृत हैं। परन्तु धनाभाव के कारण तथा राष्ट्रीय संकट की स्थिति की घोषणा के फलस्वरूप इन योजनाओं को स्थगित कर दिया गया है।

*५-६—श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)—

[हटा दिये गये।]

जिला परिषदों के अन्तर्गत विकास कार्य

*७—श्री महरामसिंह—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों एवं नियोजन विभाग के कार्यों का एकीकरण कर दिया गया है और अध्यक्ष, जिला परिषद् की ही देख-रेख में दोनों विभागों के कार्यों का संचालन होता है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में ?

श्री राममूर्ति—

उत्तराखंड को छोड़कर सारे प्रदेश में विकास से संबंधित सभी कार्य जिला परिषद् की देख-रेख में किये जा रहे हैं। कार्यों में एकीकरण करने के लिये जिला स्तर पर विकास संबंधित लगभग सभी अधिकारियों को जिला परिषद् का भी पदेन अधिकारी बना दिया गया है। जिला नियोजन अधिकारी मुख्य अधिकारी की हैसियत से जिला परिषद् के अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में विकास संबंधी सभी कार्यों के लिये उत्तरदायी हैं।

डाक्टरों का प्रतिवर्तन

*८—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या यह सत्य है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से ४२ पी० एम० एस० प्रथम डाक्टरों को पी० एम० एस० द्वितीय में कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों और उक्त ४२ डाक्टरों के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें थीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, परन्तु संख्या ४२ नहीं ३९ है। यह ३९ डाक्टर पी०एम०एस० (२) अधिकारी हैं जो स्थानापन्न रूप से पी० एम० एस० (एक) में कार्य कर रहे थे। लोक-सेवा-आयोग ने उन्हें पी० एम०एस० (एक) में पदोन्नत किये जाने के लिए अयोग्य पाया। अतः लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर इन डाक्टरों को उनके पी० एम० एस० (२) के स्थायी पद पर प्रतिवर्तित (रिवर्ट) कर दिया गया। यह प्रतिवर्तन (रिवर्शन) शिकायतों की वजह से नहीं था। कुछ प्रतिवर्तित अधिकारियों ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी थी और यह मामला इस समय सब-जुडिसी है।

*९—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त ४२ डाक्टरों को जो रिवर्ट किये गये हैं उनमें से केवल दो डाक्टरों को पुनः पी० एम० एस० प्रथम में वापस ले लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, प्रदेश में टी० बी० के इलाज के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की बहुत अधिक कमी है। यह दो डाक्टर टी० बी० में स्नातकोत्तर की योग्यता रखते हैं अतः इनको केवल एक वर्ष के लिये पुनः पी० एम० एस० (१) में पदोन्नत कर दिया गया है ताकि टी० बी० के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी को कम किया जा सके।

*१०—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त ४२ डाक्टरों में ऐसे भी योग्य डाक्टर हैं जिनके कार्यों की सराहना के सर्टिफिकेट्स डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, जो भूतपूर्व प्रेसीडेंट आफ इन्डिया, ब्रह्मा के स्वास्थ्य मन्त्री बाम्बे तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आदि से तथा अन्य जन प्रतिनिधियों से मिल चुकी हैं? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, डाक्टर ओ० पी० भान्ती की सेवाओं की सराहना भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तथा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री एच० पी० मोदी ने की थी जबकि डाक्टर भान्ती लखनऊ में राज भवन चिकित्सालय में काम कर रहे थे।

*११-१३—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

हेल्थ आफिस, आजमगढ़ के लिपिक

*१४—श्री सुरजनराम विशारद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग, आजमगढ़ के हेल्थ आफिस के लिपिक श्री कुबेरनाथ मिश्र डिपार्टमेन्ट परीक्षा में फेल होते हुए भी ६-७ वर्षों से आफिस के महत्वपूर्ण स्थान पर कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्री कुबेर नाथ मिश्र जिन्होंने जन-स्वास्थ्य विभाग के अधीन नियुक्त होने के पूर्व प्रारम्भिक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, इस समय अन्य द्वितीय श्रेणी के अस्थायी लिपिकों की ही भांति जिला स्वास्थ्य अधिकारी, आजमगढ़ के कार्यालय में अस्थायी पदाधिकारी की हैसियत से सामान्य कार्य कर रहे हैं।

*१५--श्री सुरजनराम विशारद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत जनवरी में गबन के सम्बन्ध में हेल्थ आफिस, आजमगढ़ का खजांची कोतवाली में बन्द था? यदि हां, तो कितने का गबन था और उस पर अब तक क्या कायवाही की गयी?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इस तरह की कोई घटना नहीं हुई अतः प्रश्न नहीं उठता।

मोदीनगर के मजदूरों का मामला

*१६--श्री ऊदल--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २३ सितम्बर, सन् १९६३ को मुख्य मन्त्री, श्रम मन्त्री तथा श्रमायुक्त को मोदीनगर के मजदूरों के सम्बन्ध में जो पत्र रेयन ऐण्ड सिल्क मिल्स के बारे में प्रश्नकर्ता ने दिया था उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या उसमें प्रदेश से अलग आर्बीट्रेशन एवं कान्सिलिएशन बोर्ड जो बनाया गया है उसे भी तोड़ कर एक में मिला देने के सम्बन्ध में है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बनारसीदास--

प्रश्नकर्ता के २३ सितम्बर, १९६३ के पत्र में कही गई बातों के सम्बन्ध में जांच की गई। वस्तुस्थिति की सूचना २२ फरवरी, १९६४ के पत्र द्वारा उन्हें भेजी जा चुकी है। मोदी मिल की कंसीलिएशन कमेटी उक्त मिल तथा उसकी कर्मचारी यूनियन के मध्य ३०-५-१९५३ को हुए एक समझौते के आधार पर बनाई गई थी जो दोनों पक्षों की प्रार्थना पर सरकार द्वारा लागू किया गया था।

सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं व बच्चों को सहायता देने पर विचार

*१७--श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विधवाओं को आजन्म तथा नाबालिक बच्चों को पेंशन देने की पिछले माह जो घोषणा की है तदनुसार क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों की विधवाओं तथा नाबालिक बच्चों को वैसी सुविधा देने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

भारत सरकार की उक्त योजना सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत हड़ाहा का चुनाव

*१८--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २८ दिसम्बर सन् १९६२ को बाराबंकी जिले के विकास खण्ड दरियाबाद की ग्राम पंचायत हड़ाहा का जो उप-चुनाव हुआ उसमें कौन व्यक्ति प्रधान पद पर निर्वाचित हुआ?

श्री राममूर्ति--

विकास खंड दरियाबाद की ग्राम पंचायत हड़ाहा में दिनांक २८ दिसम्बर सन् १९६२ को प्रधान का जो उप-चुनाव हुआ उसमें प्रधान पद पर श्री छोटे लाल पुत्र राम लखन निवासी ग्राम भवानीगंज मजरे हड़ाहा, जिला बाराबंकी नियमानुसार निर्वाचित हुए।

*१९—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

ग्राम दुमरी में अस्पताल खोलने की प्रार्थना

*२०—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इस आशय का ग्राम दुमरी, ब्लाक बरहलगंज, जिला गोरखपुर के प्रधान का कोई पत्र जिसे प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ वह पत्र, दिनांक ७ मार्च, १९६३ को भेज दिया था मिला है कि वहां एक अस्पताल खोला जाय यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं । इस आशय का कोई पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ ।

*२१—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२२–२४—श्री रियासत हुसैन—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, कानपुर का मांग पत्र

*२५—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, कानपुर के प्रधान मन्त्री ने सरकारी अस्पतालों के निम्नवेतन भोगी कर्मचारियों की कठिनाइयों व समस्याओं के विषय में मांग-पत्र दिनांक २१ दिसम्बर, १९६३ को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां ।

मांग पत्र पर अभी विचार किया जा रहा है ।

*२६—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के उर्सला मेमोरियल अस्पताल , लाला लाजपतराय मेमोरियल अस्पताल तथा जे० के० मेमोरियल अस्पताल, बिरहाना रोड में अलग-अलग कितने निम्न-वेतन भोगी कर्मचारी (जिनमें वार्ड ब्वाय, मेहतर, धोबी, चौकीदार, कहार तथा भिश्ती हैं) कार्य कर रहे हैं तथा उनमें से कितने स्थायी हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११० पर)

देवरिया जिला परिषद् अन्तर्गत औषधालयों व शफाखानों का तोड़ा जाना

*२७---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला परिषद् द्वारा २१ औषधालयों और शफाखानों के वैद्यों तथा हकीमों की नौकरी तथा उक्त औषधालय तथा शफाखाने गत २५ फरवरी, १९६४ को समाप्त कर दिये गये ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वे वैद्य व हकीम स्थायी कर्मचारी थे तो बिला पूर्व सूचना के किस नीति-रीति से चलते नौकरी से अलग किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति--

जिला परिषद् देवरिया के अन्तर्गत १५ औषधालय तथा ६ शफाखाने कार्य कर रहे हैं। जिला परिषद् ने उक्त औषधालयों तथा शफाखानों को बन्द करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या ९१, दिनांक ७ फरवरी, १९६४ द्वारा यह निश्चय किया कि इनमें नियुक्त वैद्यों व हकीमों को ३५ रु० आनरेरियम दिया जाय तथा १५ रु० महीने की दवा दी जाय। परिषद् ने प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के ध्येय से सम्बन्धित वैद्यों व हकीमों को रजिस्टर्ड सूचना भी ७ मार्च, १९६४ को भेजी थी। परन्तु उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २२८ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को नियत प्राधिकारी की हैसियत से प्रयोग करके, आयुक्त, गोरखपुर मण्डल ने उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित किये जाने के लिये रोक दिया है क्योंकि उनकी राय में यह प्रस्ताव उक्त अधिनियम की अनुसूची २ के भाग "क" क्रमांक (५) के साथ पठित धारा ३३ (१) (५) के प्रतिकूल है, जिसके अनुसार जन-चिकित्सालयों, औषधालयों तथा उपचार गृहों की स्थापना, प्रबन्ध तथा अनुरक्षण, जिला परिषदों का अनिवार्य कर्त्तव्य है। अतः अभी उक्त प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया गया है और स्थिति पूर्ववत् है। सरकार ने भी इस सम्बन्ध में परिषद् से २६ मार्च, १९६४ से एक माह के अन्दर ही यह जवाब तलब किया है कि परिषद् कारण बतलाये कि नियत प्राधिकारी की निषेधाज्ञा को क्यों न पुष्ट कर दिया जाय।

*२८---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या जिला परिषद् ने गत सालों की भांति १९६४-६५ के बजट में उपरोक्त पदों पर होने वाले व्यय को स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो फिर ऐसा क्यों किया गया ?

श्री राममूर्ति---

परिषद् ने १९६४-६५ के बजट में उपरोक्त मदों पर गत वर्षों की भांति प्राविधान नहीं किया है।

*२९---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सरकार बतायेगी कि उक्त २९ वैद्यों तथा हकीमों की रोजी-रोटी तथा दवाओं की उक्त सेवाओं हेतु कोई नयी व्यवस्था की है ? यदि हां, तो वह क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उन औषधालयों और शफाखानों को राजकीय घोषित कर उक्त दवा की सुविधा तथा उक्त लोगों की सेवा बरकरार रक्खेगी ?

श्री राममूर्ति---

उपर्युक्त सूचना के संदर्भ में इसका प्रश्न नहीं उठता।

रामनगर सहकारी संघ में गबन

*३०---श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के रामनगर सहकारी संघ एवं उसकी विभिन्न सहकारी समितियों में गबन हुआ है ? यदि हां, तो उस गबन का रूप क्या है और इस

सम्बन्ध में सरकार, जिला नियोजन अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार और बी० डी० ओ०, बरहल-गंज के पास किस-किस व्यक्ति के और कब-कब आवेदन-पत्र आये और उन पर क्या कार्यवाही हुई तथा सम्पूर्ण गबन या विभिन्न गबनों के बारे में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसीदास--

जी हां, वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १११-११२ पर)

*३१--श्री कल्पनार्थासिंह--

क्या यह सही है कि इस गबन को छिपाने के लिये स्थानीय अधिकारी कागजों में गड़बड़ी कर रहे हैं और सरकार उन कागजों को ए० आर० के पास रखने और जांच करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास--

यह सही नहीं है कि गबन छिपाने के लिये स्थानीय अधिकारी कागजों में गड़बड़ कर रहे हैं। जांच सुचारुरूप से चल रही है और उस पर उचित कार्यवाही भी हो रही है। कागजात को ए० आर० के पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा जांच ए०आर० के ही निर्देशन तथा देखरेख में हो रही है ।

अकबरपुर ब्लाक में विकास कार्यों के लिए व्यय

*३२--श्री मैनेजरसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अकबरपुर ब्लाक, जिला फैजाबाद से विगत तीन वर्ष में अब तक कितना धन सहायता ऋण तथा विकास कार्यों के लिए दिया गया ?

श्री राममूर्ति--

गत तीन वर्षों में विकास खंड अकबरपुर से ३,२७,२६० रु० सहायता तथा २,२०,९०० रु० ऋण के रूप में विभिन्न कार्यों हेतु दिया गया ।

*३३--श्री मैनेजरसिंह--

क्या सरकार उन ३० आदमियों का नाम बताने का कष्ट करेगी जिनको उक्त अवधि में सब से अधिक धन उपर्युक्त कार्यों के लिये दिया गया ?

श्री राममूर्ति--

वांछित सूचना माननीय सदस्य सभा सचिव के कार्यालय में देख सकते हैं ।

गोंडा जिले में ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजनान्तर्गत कार्य

*३४--श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा न तो पूर्वी खण्ड में है न पश्चिमी खण्ड में है ऐसी दशा में जनशक्ति योजना का कार्य नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो यह देख कर कि उक्त जिला बहुत पिछड़ा एवं गरीब है, उसे खण्ड में शामिल कर के मैनपावर मोबिलाइजेशन कार्य प्रारम्भ करने की कृपा सरकार करेगी ? यदि हां, तो कौन-कौनसा कार्य कहां-कहां लिय जायेगा ?

श्री राममूर्ति—

जिला गोंडा पूर्वी जिलों की श्रेणी में आता है। इस जिले में ग्रामीण जनशक्ति उपयोगी योजना के अन्तर्गत जो कार्य लिये गये हैं उनका विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ११३ पर)

कुलपहाड़ ग्राम सभा के प्रधान व सदस्यों का पृथक्करण

*३५—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चरखारी विकास क्षेत्र, जिला हमीरपुर के अन्तर्गत ग्राम कुलपहाड़ को जब से टाउन एरिया घोषित कर दिया गया है तब से ग्राम कुलपहाड़ के निवासी जो विकास क्षेत्र, चरखारी के सदस्य प्रमुख तथा जिला परिषद् के लिए प्रतिनिधि थे वे अलग कर दिये गये हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो इनके अलग न करने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

श्री नारायण सिंह, प्रधान ग्राम सभा, कुलपहाड़, के अतिरिक्त ऐसे सभी सदस्य जिनका पृथक्करण उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा ज़िला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा ६ के अनुसार आवश्यक था पृथक कर दिये गये हैं। श्री नारायण सिंह, प्रधान, ग्राम सभा, कुलपहाड़ के अलग करने के आदेश भी भेज दिये गये हैं और वे भी शीघ्र अलग हो जायेंगे।

ग्राम सभा, कुलपहाड़ के निवासी जो विकास क्षेत्र, चरखारी के सदस्य प्रमुख तथा जिला परिषद् के लिए प्रतिनिधि थे अलग नहीं किये गये हैं क्योंकि उनका अलग करना उपरोक्त अधिनियम के अनुसार आवश्यक नहीं है।

मथुरा सिविल अस्पताल

*३६—श्री लखीसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय मथुरा सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए चारपाइयां, बिछौने के गद्दे, कम्बल, तकिये और मरीजों की वर्दियों की कितनी संख्या है और सन् १९६३ की जनवरी से सन् १९६४ की जनवरी ३१ तक कितने मरीज कत्ल, डकैती, फौजदारी के घायल दाखिल हुए हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला अस्पताल मथुरा में मरीजों के लिये ७३ चारपाइयां, ११० बिछौने के गद्दे, २४७ कम्बल, १५१ तकिये और मरीजों की वर्दियां (१८२ कुरते, तथा १६५ पैंजामें) हैं। सन् १९६३ की जनवरी से जनवरी सन् १९६४ तक निम्नलिखित संख्या में घायल मरीज दाखिल हुये:—

कत्ल और डकैती के मरीजों का विवरण चिकित्सालय में नहीं रखा जाता है। जो केसेज चिकित्सालय में दर्ज हैं, वे इस प्रकार हैं :—

१—पुलिस केसेज, मेडीकालीगल इन्जरीज	..	१७२
२—इन्जरी एक्सीडेंट केसेज	.. ..	१,६४६

*३७—श्री लखीसिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महिला वार्डों के लिए कितनी नर्सें हैं और इस अस्पताल को प्रत्येक पिछले ३ वर्षों में कितने रुपये की दवा दी गयी है; और मरीजों के लिए कितने पंखे कमरे में लगाये गये हैं उनमें सरकार ने कितना व्यय किया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला अस्पताल में महिला बेडों के लिये अलग से नर्सें नहीं हैं। जनाना अस्पताल में २ नर्सें हैं। इस अस्पताल को प्रत्येक पिछले ३ वर्षों में निम्नलिखित धनराशि की दवाइयां दी गई :

	रु०
१९६०–६१	२३,७८५
१९६१–६२	२८,५६७
१९६२–६३	३३,७६०

मरीजों के लिये कुल १६ पंखे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कमरों में लगाये गये हैं और उन पर ३,२०० रु० व्यय किया गया।

*३८—श्री लखीसिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितना दूध फी मरीज को अगस्त, १९६३ से दिसम्बर, ३१ तक दिया गया? कितने मरीज इस अस्पताल में गत वर्ष में मर गये और उनमें कितने देहाती, गांवों के, थे?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

उपरोक्त अस्पताल में वह मरीज जो केवल दूध पर निर्भर थे डेढ़ सेर दूध प्रति मरीज प्रति दिन अगस्त, १९६३ से दिसम्बर, ३१ तक दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य मरीजों को भी आवश्यकतानुसार दूध दिया गया। गत वर्ष में ७५ मरीज मरे जिसमें से २३ ग्रामीण क्षेत्र के थे।

आजमगढ़ जिले के ब्लाक पुस्तकालय

*३९—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बतायेगी कि जिलाधीश, जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ को गम्भीर शिकायत मिली है अथवा उन्हें पता है कि आजमगढ़ जिला के अनेक ब्लाक पुस्तकालयों में अत्यन्त घृणित प्रकार की कामुक, अश्लील तथा यौन सम्बन्धी गन्दी पुस्तकें काफी संख्या में रक्खी गयी हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

गोरखपुर डिवीजन में सड़कों का निर्माण

*४०—श्री रामलखन शुक्ल (जला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि गोरखपुर डिवीजन के विभिन्न जिलों में कितनी-कितनी मील सड़कें जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६३ में ली गयीं?

श्री राममूर्ति—

जो सड़कें कथित योजना के अन्तर्गत १९६३ में ली गई हैं उनका जिलेवार विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ११४ पर)

*४१–४२—श्री रामलखन शुक्ल—

[७वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ११७–११८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लखनऊ से उत्तीर्ण छात्र

*४३--श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल में कोई अल्पकालीन शिक्षण कार्यक्रम की योजना सरकार ने टेक्नीशियन प्राप्त करने हेतु चालू की है, जिसमें छात्रों को बाण्ड भरवाने के बाद नौकरी देना अनिवार्य है और ट्रेनिंग के समय छात्रों को २५ रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी मिलेगी ?

श्री बनारसीदास--

सरकार ने अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना १-२-६३ से चालू की थी। इस योजना के अन्तर्गत जो प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण होने के बाद सेवा में जाने के लिये तैयार थे उनसे एतदर्थ बांड भरवाया गया था और २५ रु० मासिक छात्रवृत्ति भी दी गयी थी। उस बांड में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि प्रशिक्षण के बाद उत्तीर्ण छात्रों को नौकरी दिलवाना सरकार के लिये अनिवार्य होगा।

*४४--श्री गिरजाप्रसाद--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ से उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने छात्र उत्तीर्ण हुए और सरकार ने उनकी क्या व्यवस्था की है ? क्या कोई छात्र ऐसा भी है जिसे बाण्ड भरवाने के बाद अब तक न कोई कार्य दिया गया है और न उसे निर्धारित छात्रवृत्ति दी जाती है ?

श्री बनारसीदास--

उक्त योजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लखनऊ से (न कि सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ से) १८ छात्र उत्तीर्ण हुये जिन्होंने उपरोक्त बांड भरा था। इन सब को छात्रवृत्ति मंजूर कर दी गयी थी। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उक्त १८ उत्तीर्ण छात्रों में से कितनों को कार्य मिल गया है।

*४५--श्री गिरजाप्रसाद--

क्या इस सम्बन्ध में सेवायोजन एवं परीक्षण निर्देशक को ८ अगस्त, १९६३ को तथा श्रम मन्त्री को १८ अक्तूबर, १९६३ को प्रार्थना-पत्र दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसीदास--

जहां तक ज्ञात हुआ है श्री नजमुल जफर ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ८-८-६३ को निदेशक, प्रशिक्षण तथा सेवायोजन को और दूसरा दिनांक १७-१०-६३ को सरकार को भेजा था। निदेशक ने श्री जफर को यह सलाह दी कि वे सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ में अपना नाम लिखा दें, तथा सेवायोजन अधिकारी को यह आदेश दिया है कि वह श्री जफर को नौकरी दिलाने में सहायता करें।

खजाने के कर्मचारियों को भत्ता देने की सिफारिश

*४६--श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि हर महीने के शुरू और आखिरी हफ्ते में काम की मात्रा अधिक होने से सारे प्रदेश के ट्रेजरी के अहलकारों को अधिक देर तक कार्य करना पड़ता है और कभी-कभी रात को भी काम करना पड़ता है ? यदि हां, तो इसके एवज में उन्हें कोई remuneration अथवा ओवर टाइम क्यों नहीं मिलता ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सभी प्रदेशीय सरकारी कार्यालयों में कार्यभार की आवश्यकतानुसार कर्मचारी देर तक बैठते हैं। खजानों में भी कार्य अधिक होने पर सम्भव है कि कभी-कभी कर्मचारियों को देर तक बैठना पड़ता हो। इसके लिये किसी सरकारी कर्मचारी को कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता है। अतएव ट्रेजरी के कर्मचारी को भी यह भत्ता नहीं मिलता है। इस प्रकार के ओवर टाइम का भत्ता देने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है।

*४७—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार ट्रेजरी के अहलकारों से भी ५ ही बजे शाम तक काम लेने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो वह क्या है और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जैसा कि पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा गया है सभी प्रदेशीय सरकारी कार्यालयों में आवश्यकतानुसार कभी-कभी कर्मचारियों को देर तक बैठना पड़ता है यद्यपि कार्य करने का निर्धारित समय १० बजे से ५ बजे तक ही है। यही समय प्रदेश में खजानों के लिये भी है। अतएव इस सम्बन्ध में कोई नई योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

*४८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

बोटलिंग टैक्स

*४९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बियर की बोतल पर जो तीन नये पैसे प्रति बोतल की दर से बोटलिंग फीस लगाने का विचार सरकार के विचाराधीन था उसको अब तक क्यों कार्यान्वित नहीं किया गया और उसको कार्यान्वित न करने में सरकार को क्या आपत्ति है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बियर पर तीन नये पैसे प्रति बोतल की दर से बोटलिंग फीस लगाने का प्रस्ताव वास्तव में सरकार के विचाराधीन नहीं था। २३ नवम्बर, १९६३ को बरेली में होने वाली आबकारी स्थायी समिति की बैठक के सिलसिले में समिति के विचार के लिये आबकारी आयुक्त ने यह सुझाव रक्खा था कि बियर पर निश्चित वार्षिक बोटलिंग फीस, जो वर्तमान नियमों के अनुसार १०० रु० से ३०० रु० प्रति वर्ष है, के बजाय तीन नये पैसे प्रति बोतल के हिसाब से बोटलिंग फीस लगाई जाय। इस सुझाव पर स्थायी समिति ने विचार किया था। परन्तु समिति ने यह निर्णय किया कि आबकारी आयुक्त इस मामले की पुनः और विस्तृत जांच इस दृष्टि से करें कि क्या बियर उद्योग इस नये टैक्स का भार वहन कर सकता है जब कि कुछ ही दिन पहले १-१२-६२ से बियर पर एक्साइज ड्यूटी दुगनी कर दी गयी थी और बियर के निर्यात पर एक नया कर ८ नये पैसे प्रति लिटर की दर से लगाया गया था। आबकारी आयुक्त ने अन्य कई प्रदेशों में भारतीय बियर पर टैक्सों का विवरण एकत्रित किया है जो इस उत्तर के साथ संलग्न है। समिति के निर्णय के अनुसार इस मामले को पुनः समिति की अगली बैठक में रखा जायगा।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ११५ पर)

*५०--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बियर पर तीन नये पैसे प्रति बोतल की दर से बोटलिंग फीस सरकार को लगाने से कितनी सालाना आय होगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

अनुमानतः दो लाख रुपये प्रति वर्ष आय होने की सम्भावना है।

इलाहाबाद में जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में होली के समय वेतन न मिलना

*५१---श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को होली के त्योहार के कारण २६ फरवरी, १९६४ को वेतन देने के आदेश भेजे गये थे ? यदि हां, तो उस आदेश का पालन इलाहाबाद के (डी० एम० ओ० एच०) डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर के कर्मचारियों के साथ क्यों नहीं किया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इलाहाबाद के जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सम्बन्धित आदेश २५ फरवरी, १९६४ को मिले इस अल्पावधि में बिल बनाकर कोषागार से रुपया ग्रहण कर उसका वितरण करना असम्भव था विशेषतया जब कि फील्ड स्टाफ की उपस्थिति रिपोर्ट उपलब्ध न थी।

बोनस कमीशन की रिपोर्ट

*५२--श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बोनस कमीशन की रिपोर्ट जो लोक सभा के समक्ष ३ मार्च को रखी गई उसमें कहा गया है "The Commission has suggested application of its formula with retrospective effect from the accounting year of companies ending on any day in 1962"? यदि हां, तो प्रान्तीय सरकार ने इस ओर क्या-क्या कदम उठाये ?

श्री बनारसीदास---

बोनस कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि--

"We suggest that our recommendations should apply to all bonus matters relating to accounting year ending on any day in calender year 1962 other then those cases in which settlements have been reached or decisions have been given."

केन्द्रीय सरकार ने अभी तक बोनस कमीशन की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उनके निर्णय के पश्चात् ही कोई कार्यवाही प्रादेशिक स्तर पर की जा सकती है।

जिला नियोजन कार्यालय, प्रतापगढ़ में गबन

*५३--श्री रामस्वरूप भारतीय (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन आफिस, प्रतापगढ़ में लगभग ४६,००० रुपये का गबन है ? यदि हां, तो इसका उत्तरदायित्व किन-किन अधिकारियों और कर्मचारियों पर है और सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति--

विशेष विभागीय आंकेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर जिला नियोजन कार्यालय, प्रतापगढ़, में अब तक रु० ३५४४.९४ की सरकारी पैसे की कमी पायी गयी है। कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर उसका उत्तरदायित्व किस पर है पता चलेगा ।

*५४--श्री रामस्वरूप भारतीय तथा श्री रामकिंकर--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसी संबंध में मौजूदा जिलाधीश ने अपने एक जूनियर आफिसर को नियोजन अधिकारी नियुक्त कर दिया है ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं। जिला नियोजन अधिकारी की नियुक्ति शासन द्वारा होती हैं।

*५५--श्री रामस्वरूप भारतीय तथा श्री रामकिंकर--

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९ मार्च सन् १९६३ को नियोजन आफिस के एक कैशियर श्री सत्यनारायण सिंह ने जो उसी दिन छुट्टी से लौट कर वापिस आये थे उपरोक्त गबन की खबर पाते ही पंजाब मेल से कट कर आत्महत्या कर ली ?

श्री राममूर्ति--

श्री सत्य नारायण सिंह ने १८-३-६३ को अपना कार्यभार ग्रहण किया और यह दुर्घटना १९-३-६३ को हुई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत उच्च अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव

*५६--श्री झारखण्डेराय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य आयुर्वेद और स्वास्थ्य एलोपैथिक तथा होम्योपैथिक और यूनानी सभा के निर्देशक, सहायक निर्देशकों के ऊपर एक सुप्रीम डायरेक्टर जेनरल (मेडिकल) की नियुक्ति की योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू होगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सहारनपुर में शराब की दुकानें

*५७--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सहारनपुर नगर में अम्बाला रोड नेहरू मार्केट स्थित शराब की दुकानें ऐसे स्थानों पर हैं जहां कि घनी बाजार बस्तियां तथा ऐसे स्थान हैं जो कि सार्वजनिक महत्व के हैं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उन्हें शहर के बाहर हटाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

कथित स्थानों की शराब की दूकानें इस समय उन्हीं क्षेत्रों में हैं जहां गत वर्षों से चली आ रही हैं और इन दुकानों को इस समय हटाकर नगर के बाहर अथवा अन्य क्षेत्रों में ले जाने की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है, क्योंकि इन दुकानों के लिये आबकारी के नियमों के अनुकूल अन्य स्थान प्राप्त करना कठिन ही नहीं वरन लगभग असम्भव है।

मिल्क सप्लाई यूनियन, इलाहाबाद में दुकानें

*५८--श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतावेंगे कि इलाहाबाद के मिल्क सप्लाई यूनियन में सरकार की ओर से कितना-कितना धन किस विभाग का लगा है ?

श्री बनारसीदास---

इलाहाबाद के मिल्क सप्लाई यूनियन में सन् १९४५--४६ से ३० जून सन् १९६३ तक सरकार के सहकारी विभाग द्वारा ३,९३,४८७ रुपया का अनुदान तथा १,५४,८४७ रुपया ऋण के रूप में दिया जा चुका है। अन्य किसी सरकारी विभाग का कोई धन मिल्क यूनियन में नहीं लगा है ।

*५९--६०---श्री गुप्तारसिंह---

[हटा दिये गये ।]

मलेरिया विभाग में मोटर पावर वैगन

*६१---श्री कैलाश (जिला देवरिया)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मलेरिया विभाग में सीनियर मलेरिया इंसपेक्टरों को मोटरें पावर वैगन किस उपयोग के लिये दी गई हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

मलेरिया विभाग में जो मोटरें, पावर वैगन इत्यादि सीनियर मलेरिया इन्सपेक्टरों को दी गई हैं वह डी० डी० टी० के छिड़काव के संबंध में मजदूरों तथा सामान लाने ले जाने तथा मलेरिया उन्मूलन योजना से संबंधित अन्य कार्यों के लिये हैं।

*६२---श्री कैलाश---

उपरोक्त विभाग में जीपें दी गई हैं वे पहले छिड़काव के कार्य-क्रम में लगाई गई क्या इस वक्त छिड़काव बन्द हो गया है ? यदि हां, तो वे जीपें किस उपयोग में लाई जा रही हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जिन यूनिटों में छिड़काव बंद हो गया है वहां सर्वेलेन्स कार्य के संबंध में जीपों का उपयोग किया जाता है ।

*६३---श्री घासीराम जाटव---

[हटा दिया गया ।]

लखनऊ मेडिकल कालेज में परीक्षा सम्बन्धी गड़बड़ी की जांच

*६४---श्री झारखण्डेराय---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ मेडिकल कालेज में किसी ऐसे षड्यन्त्र का पता उच्च सदस्य खुफिया पुलिस कर रही है कि कतिपय अध्यापक तथा छात्र षड्यन्त्रकारी गुट बनाकर परीक्षाओं की कापियों में नम्बर बढ़ा घटा देते हैं ?

*६५---क्या यह भी सही है कि इस क्रिमिनल टुकड़ी ने निरीह छात्रों से हजारों रुपये अब तक लूटे हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जी हां, कुछ शिकायतों पर खुफिया पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक हित में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

जिला हेल्थ आफिसर, मथुरा के विरुद्ध शिकायतें

*६६---श्री लखीसिंह---

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६३ में जिला हेल्थ आफिसर मथुरा की कितने शिकायती पत्र उनके स्टाफ के विरुद्ध प्राप्त हुये और कितने शिकायती-पत्र इन हेल्थ अफसर के विरुद्ध मंत्री जी तथा डाइरेक्टर, स्वास्थ्य विभाग को मिले ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

वर्ष १९६३ में जिला हेल्थ आफिसर, मथुरा को उनके स्टाफ के विरुद्ध ३० शिकायती पत्र विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए। जिला हेल्थ आफिसर, मथुरा के विरुद्ध २ शिकायती पत्र स्वास्थ्य सेवा निदेशक को तथा ४ शिकायती पत्र सरकार को उपरोक्त अवधि में प्राप्त हुए।

*६७---श्री लखीसिंह---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उपर्युक्त शिकायती पत्रों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ११६ पर)

*६८-६९---श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर) तथा श्री हमीद खां (जिला कानपुर)---

[हटा दिये गये]।

फर्रुखाबाद जिले में खाद लेने का कथित प्रतिबन्ध

*७०---श्री महरामसिंह---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कर्जे में कुछ प्रतिशत मेम्बरों के लिये खाद लेना अनिवार्य है चाहे कास्त में खाद पड़ने की आवश्यकता न हो और चाहे मेम्बर के पास कास्त ही न हो ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास---

जी नहीं। सहकारी ऋण रसायनिक खाद के रूप में लिया जाना अनिवार्य नहीं है। कर्ज में २५ प्रतिशत धनराशि तक रसायनिक खाद के रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। किसानों को हद तक रसायनिक खाद लेने के लिये समझाने की चेष्टा की जाती है। रसायनिक खाद तभी आती है जब उसको लेने के लिये किसान सदस्य की ओर से इच्छा प्रकट की जाय। मजबूरी से किसी को खाद नहीं दी जाती।

*७१---श्री महरामसिंह---

क्या सहकारिता मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के उन ग्रामों में जिनमें सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं और बरसात के दिनों में भीषण बाढ़ का प्रकोप रहता है के मेम्बरान को भी बिना खाद लिये कर्जा नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और क्या इस वर्ष से आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ही खाद देने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री बनारसीदास---

ऐसा प्रश्न संख्या ६० के जवाब में कहा जा चुका है सहकारी ऋण के साथ खाद लेने की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत खाद का लेना अथवा न लेना कृषक की इच्छा पर निर्भर है। फर्रुखाबाद के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र केवल हसेरन विकास क्षेत्र में गलत फहमियों के कारण कुछ सदस्यों को खाद के रूप में ऋण लेने के लिये विवश किया गया था जिसकी सूचना मिलते ही सहायक निबंधक, फर्रुखाबाद ने रसायनिक खादों के रूप में ऋण के लिये किसी सदस्य को विवश न करने के आदेश जारी किये जिनका पूरी तौर से अनुपालन किया जा रहा है।

पम्पिग सेट के ऋण में छूट न मिलना

*७२---श्री हरिगैनराम---

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार कुआं बनाने के लिये १,००० रुपये देकर चौथाई रुपया छूट में छोड़ दिया जाता है, तो क्या उसी प्रकार पम्पिग सेट के लिये जो २,५०० (ढाई हजार रुपये) लोन दिया जाता है उसमें से चौथाई छूट देने की कोई व्यवस्था सरकार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---

पम्पिंग सेट के लिये जो लोन दिया जाता है उसमें छूट देने की कोई व्यवस्था इस समय नहीं की जा रही है। क्योंकि राज्य सरकार उन्हीं कार्यों के लिये लोन में छूट देती है जिनमें भारत सरकार द्वारा छूट दिया जाना स्वीकृत किया गया है।

*७३-७५---श्री शिवराजसिंह---

[८वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ६७-६९ के अंतर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७६---श्री भीखालाल---

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

पे कमेटी

*७७---श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा---

क्या सरकार बढ़ती हुई गिरानी को ध्यान में रखते हुये कोई वेतन आयोग तैनात करने का विचार कर रही है जो कि Non-gazetted services के गिरानी भत्ते के बढ़ाने और उसे आजकल के प्राइस इण्डेक्स के समानान्तर करने का प्रयत्न करे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

सन् १९६४-६५ का बजट प्रस्तुत करते समय इस बात की घोषणा की जा चुकी है कि सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के राज्य कर्मचारियों के वेतन-क्रमों और सेवा संबंधी नियमों को युक्तिसंगत करने के लिये एक कमेटी की स्थापना करने का निश्चय किया है। उक्त कमेटी के विचारणीय विषय (Terms of reference) क्या होंगे, वह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

*७८-७९---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८०-८२---श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री विजयसिंह---

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८३–८४—श्री कैलाश तथा श्री कल्पनार्कीसह—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८५–८६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

खटीमा ब्लाक में कृषि सहकारी समितियां

*८७—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सहकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक खटीमा, जिला नैनीताल के अन्तर्गत सन् १९६२ से अब तक कितनी नई कृषि सहकारी समितियां बनी हैं ? क्या उनमें पैना बसगर तथा गोरखपुर के नाम की भी कृषि सहकारी समितियां हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक में कितने-कितने सदस्य हैं और उनको कितना-कितना सरकारी ऋण दिया गया है ?

श्री बनारसीदास—

ब्लाक खटीमा, जिला नैनीताल के अन्तर्गत सन् १९६२ से अब तक ८ कृषि सहकारी समिति बनी हैं जिनमें पैना बसगर और गोरखपुर नामक सहकारी कृषि समितियां सम्मिलित हैं। इनकी सदस्य संख्या क्रमशः १६ व १२ है। इनको वर्ष १९६२–६३ व १९६३–६४ में निम्नांकित ऋण दिया गया :—

समिति का नाम	१९६२–६३	१९६३–६४
१	२	३
	रु०	रु०
पैनाबसगर	४,०००	३,७५०.००
गोरखपुर	४,०००	३,७५०.००

*८८–८९—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

[हटा दिये गये ।]

*९०—श्री ऊदल तथा श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

[१० वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया ।]

वी० एल० डब्ल्यू० तथा ए० डी० ओ० में हरिजन

*९१—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वी०एल०डब्लू० (ग्राम सेवक) तथा ए०डी०ओ० के लिये हरिजनों के लिये १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन है लेकिन वी० एल० डब्लू० से जो ए० डी० ओ० तरक्की किये जाते हैं उनमें भी रिजर्वेशन के हिसाब से लिये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

शासकीय आदेशानुसार केवल सीधी भरती (Direct recruitment) में ही अनुसूचित जातियों के लिये १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने का प्राविधान है। प्रसंगत पदोन्नति के समय अनुसूचित जातियों के हेतु स्थान सुरक्षित रखने का प्राविधान नहीं है।

रजिस्ट्रेशन लिपिक

*९२—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा) तथा श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१ में कोई ऐसा सरकारी आज्ञा-पत्र निकाला गया है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन लिपिक के पद के लिये नियुक्त करने का अधिकार जिला रजिस्टार से लेकर महानिरीक्षक निबन्धक को दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री निम्न-लिखित बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगे कि यह आदेश-पत्र किन परिस्थितियों में किस उद्देश्य से निकाला गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। यह आदेश प्रशासन के हित में सरकार द्वारा अगस्त, १९६१ में दिया गया था।

*९३—श्री राजेन्द्रसिंह, श्री गिरवरप्रसाद तथा श्री नाथूराम शिक्षक—

इस आज्ञा-पत्र के गजट होने के बाद से ३१ दिसम्बर, सन् १९६३ तक कितने नये व्यक्ति निबन्धन लिपिकीय पद के लिये उम्मीदवार एवं सेवा में किस प्रतियोगिता द्वारा लिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है।

महिला चिकित्सालय, अलीगंज की इमारत

*९४—श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महिला चिकित्सालय भवन, अलीगंज, जिला एटा के लिये ८०,००० रुपये लगभग ६ वर्ष से स्वीकृत हुआ पड़ा है और अभी तक भवन बनकर तैयार नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चिकित्सालय के लिये उपयुक्त भवन जनता के चन्दे से टाउन एरिया कमेटी, अलीगंज ने बनवा दिया है जिसमें वह कार्य कर रहा है। चिकित्सालय के कर्मचारियों के आवासगृह आदि के नक्शे व तखमीने बन चुके हैं। समुचित भूमि के उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

*९५—श्री लोकपालसिंह—

क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चिकित्सालय भवन न बनने से जनता को बड़ी हानि हो रही है सरकार तुरन्त भवन बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि चिकित्सालय का भवन बन चुका है।

बुलन्दशहर में स्टाम्प की कमी

*९६—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर की कचहरी में २५ नये पैसे, ५० नये पैसे, ७५ नये पैसे के कोर्ट फीस के टिकट नहीं हैं और कोर्ट फीस पर १ रुपया ५० नया पैसा का जो टिकट लगता है वह भी नहीं है ? क्या इस कठिनाई को सरकार दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*९७–९८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

क्षेत्र समितियों को कृषि उत्पादन कार्य

*९९—श्री शिवराजसिंह—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष प्रदेश की पंचायत राज संस्थाओं पर अधिक अन्न उपार्जन हेतु क्या-क्या जिम्मेदारियां डाली गयीं और उनमें कितनी सफलता मिली ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के अधीन कृषि का विकास करना क्षेत्र समितियों का कर्त्तव्य है और इसके अन्तर्गत अधिक उत्पादन के निमित्त क्षेत्र समितियों को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं:—

१—कृषि का विकास करना ।

२—बीज गोदामों और अन्य संभरण केन्द्रों की स्थापना को सहायता देना ।

३—उन्नत प्रविधियों को लोकप्रिय बनाना ।

४—भूमि संरक्षण तथा भूमि का पुनरुद्धार ।

५—पौधों की रक्षा ।

६—सिंचाई तथा कृषि के विकास के लिये ऋण व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

७—लघु तथा सिंचाई कार्य ।

परन्तु खंड के समस्त कृषि उत्पादन पर निगरानी रखना तथा क्षेत्र समितियों को सहायता देना जिला परिषद् का उत्तरदायित्व है ।

इस दिशा में अभी कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

मंझनपुर तहसील में अधूरा अस्पताल

*१००—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १९ दिसम्बर, १९६३ को तहसील मंझनपुर,जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत थाना पश्चिम शरीरा में चल रहे अधूरे अस्पताल को पूर्ण-रूपेण स्थायी बनाने का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्य-वाही की गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

*१०१—श्री रघुनाथसिंह—

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१०२–१०३—श्री शिवराजसिंह—

[९ वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ३१–३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१०४—श्री बेदराम—

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

विलीन चरखारी राज्य के कम्पाउण्डर

*१०५—श्री मदनपालसिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर में कितने ऐसे कम्पाउन्डर हैं जिनकी सेवायें चरखारी स्टेट के मर्ज (विलीन) हो जाने के कारण स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश की सेवाओं में परिवर्तित हुई हैं ? उनके क्या नाम हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसे चार कम्पाउन्डर है। उनके नाम सर्व श्री मोहम्मद इस्माइल, मुमताज खां, बद्री प्रसाद व प्यारे लाल हैं।

*१०६—श्री मदनपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मरजर (विलीनीकरण) से जो कम्पाउन्डर सरकार की सेवा में आये हैं उनका वेतन-क्रम तथा दूसरे कम्पाउन्डरों के वेतन-क्रम में क्या अन्तर व भिन्नता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इन कम्पाउन्डरों के वेतन-क्रम तथा इसी वर्ग के अन्य सरकारी कम्पाउन्डरों के वेतन-क्रम में कोई अन्तर व भिन्नता नहीं है।

*१०७—श्री मदनपालसिंह—

क्या यह बात सही है कि मरजर से जो कम्पाउन्डर सरकार की सेवाओं में आये हैं उनको स्थायी नहीं किया गया तथा मंहगाई व वेतन-वृद्धि भी नहीं की जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मरजर से सरकार की सेवा में आये हुये चारों कम्पाउन्डर स्थायी हैं। इनको महंगाई उसी क्रम से मिलती है जैसे कि अन्य सरकारी कम्पाउन्डरों को। ये ४५-२-६५ रु० के वेतन-क्रम के अन्तर्गत अधिकाधिक वेतन पा रहे हैं।

जयकिशन लाल कुर्क अमीन, विकास खण्ड, सिरसिया

*१०८—श्री विजयसिंह तथा श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जयकिशन लाल, कुर्क अमीन, कोआपरेटिव सोसाइटीज, विकास खंड सिरसिया, जनपद बहराइच क्या इसके पहले कलेक्शन अमीन थे और वे वहां से क्यों हटाये गये ?

श्री बनारसीदास—

जी हां। सम्बन्धित विभाग को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी, इसलिये एक महीने की नोटिस दे कर इनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं।

*१०९—श्री विजयसिंह तथा श्री चैतन्यराजसिंह—

यदि उनके विरुद्ध कोई चार्ज लगा कर उनको अपदस्थ किया गया था, तो उन्हें फिर कोआपरेटिव विभाग में किस आधार पर नौकरी दी गयी ?

श्री बनारसीदास--

उक्त स्थिति में यह प्रश्न नहीं उठता है ।

आजमगढ़ जिले में जन शक्ति उपयोग योजना

*११०--श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जन शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य किये जाने वाले है और उन पर कब से कार्य आरम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति--

ग्रामीण जन शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में जो काम निकट भविष्य में किये जाने वाले हैं उनका विवरण संलग्न सूची में दिया है । यह काम उपर्युक्त योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरणों के अतिरिक्त कार्यक्रम में अभी हाल ही में स्वीकृत हुए है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ११७-११८ पर)

*१११--श्री बृजबिहारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में अतरौलिया विकास खंड में इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य किये जाने वाले हैं ?

श्री राममूर्ति--

इस योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले के अतरौलिया ब्लाक में अब तक कोई योजना स्वीकृत नहीं है अतः इस ब्लाक में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कार्य किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*११२--श्री बृजबिहारी--

बलिया तथा आजमगढ़ जिले में जाने वाली रतनपुरा-भीमपुरा-बिलाली सड़क जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत कब तक पक्की होने जा रही है ?

श्री राममूर्ति--

ग्रामीण जन शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत यह सड़क अभी तक स्वीकृत नहीं है । अस्तु अभी निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता है कि सड़क कब तक पक्की होगी ।

*११३--श्रीमती बेनीबाई--

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*११४-११६--श्री गिरवरप्रसाद--

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

साधन सहकारी समिति, भुन्ना

*११७--श्री होरीलाल यादव--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा साधन सहकारी समिति भुन्ना, विकास क्षेत्र उमर्दा, जिला फर्रुखाबाद की दुर्दशा तथा वराया आदि के सम्बन्ध में लिखे गये पत्र दिनांक १० जुलाई, १९६३, १९ अगस्त, १९६३, १८ जनवरी, १९६४, १० फरवरी, १९६४ के सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, जिला फर्रुखाबाद को मिले है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां, साधन सहकारी समिति, भुन्ना के नये संचालक मंडल को समिति के कागजात, बकाया-दारों की सूची तथा तहवील न मिलने और खाद के हिसाब के मामले से संबंधित सदस्य महोदय के तीन पत्र दिनांक १९-८-६३, १८-१-६४ व १०-३-६४ सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, फर्रुखाबाद को प्राप्त हुये थे।

सहायक निबन्धक, फर्रुखाबाद द्वारा भूतपूर्व सरपंच तथा एकाउन्टेंट से वर्तमान सरपंच को समस्त कागजात दिला दिये गये।

वर्तमान संचालक मंडल की स्वीकृति से समिति के समस्त बकायादारों पर सालसी कार्य-वाही कर दी गई है।

कैंशबुक के अनुसार समिति की तहवील २९०३ रु० २५ नये पैसे समिति के भूतपूर्व सरपंच के पास है जो कि अभी तक दाखिल नहीं हुई है। इसके लिये उनके विरुद्ध सालसी कार्यवाही कर दी गई है।

खाद की कमी के सम्बन्ध में जांच अभी जारी है और सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस दिये गये हैं।

सहकारिता विभाग में परिगणित जातीय अधिकारी

*११८—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में कितने द्वितीय वर्ग अधिकारी (Class II Officers) हैं उनमें से कितने परिगणित जाति के हैं?

श्री बनारसीदास—

सहकारिता विभाग में कुल १२४ द्वितीय वर्ग के अधिकारी (Class II Officers) हैं जिनमें ८ परिगणित जाति के हैं।

*११९—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि माह दिसम्बर में कुछ प्रथम ग्रूप के सहकारी निरीक्षकों को द्वितीय वर्ग अधिकारी (Class II Officers) के पदों पर पदोन्नति करने को इन्टरव्यू हुआ था, उसमें कितने कर्मचारी बुलाये गये थे, उनमें कितने परिगणित जातियों के थे और कितने पदोन्नत किये गये और उनमें कितने परिगणित जाति के हैं?

श्री बनारसीदास—

दिसम्बर, ६३ में प्रथम ग्रुप के ९० सहकारी निरीक्षकों का द्वितीय वर्ग (Class II) के अधिकारी के पदों पर पदोन्नति करने के लिये साक्षात्कार हुआ था उनमें ६ परिगणित जाति के थे। कुल २८ प्रथम ग्रुप के सहकारी निरीक्षकों को पदोन्नति की गई जिनमें ३ परिगणित जाति के हैं।

*१२०—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या इस पदोन्नति में परिगणित जातियों के लिए १८ प्रतिशत का ध्यान रक्खा गया है? यदि नहीं, तो क्या?

श्री बनारसीदास—

परिगणित जातियों के लिये १८ प्रतिशत का जो कोटा नियत है वह उन स्थानों के लिये है जिन पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा (direct) चुनाव के आधार पर की जाती है। उन स्थानों के लिये जिनकी पूर्ति पदोन्नति द्वारा की जाती है कोई कोटा नियत नहीं है यह पदोन्नति

योग्यता (merit) के आधार पर होती है। अतः उपरोक्त चुनाव में परिगणित जातियों के लिये १८ प्रतिशत स्थान रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

*१२१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[१०वें बुधवार के लिये स्थागित किया गया।]

*१२२—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२३-१२४—श्री गुप्तारसिंह—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१२५—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

[हटा दिया गया।]

मेडिकल कालेज, आगरा में काश्मीर मेडिकल कालेज का छात्र

*१२६—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री गत ४ मार्च को तारांकित प्रश्न ८३ के दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर मेडिकल कालेज का एक छात्र मेडिकल कालेज, आगरा में कैसे स्थानान्तरित होकर आ गया? क्या इसी प्रकार स्थानान्तरण की सुविधा अन्य छात्रों को भी राज्य के सरकारी मेडिकल कालेजों में प्रदान की जायगी?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस छात्र ने अपने स्थानान्तरण के लिए सरकार को एक प्रार्थना-पत्र दिया था। यह प्रार्थना-पत्र, लखनऊ एवं आगरा मेडिकल कालेजों को विचारार्थ भेज दिया गया था। लखनऊ मेडिकल कालेज ने उक्त छात्र को अपने यहां भर्ती करने से इन्कार कर दिया। आगरा विश्व-विद्यालयने प्रार्थना-पत्र पर विचार करके इस छात्र को आगरा मेडिकल कालेज में भर्ती कर लिए जाने के लिए अपनी संस्तुति की। आगरा विश्वविद्यालय की संस्तुति को देखते हुए सरकार को भी इस छात्र को आगरा मेडिकल कालेज में भर्ती किये जाने के बारे में कोई आपत्ति न हुई। जहां तक अन्य छात्रों के राज्य के सरकारी मेडिकल कालेजों में स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान करने का प्रश्न है, इस पर यदि सम्बन्धित मेडिकल कालेज और विश्वविद्यालयों को आपति न हो तो सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

जिला सहकारी बैंक, फतेहपुर में नियुक्तियां

*१२७—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी बैंक, फतेहपुर के ऐडमिनि-स्ट्रेटर ने फरवरी, सन् १९६४ ई० में उक्त बैंक में कितने नये क्लर्क नियुक्त किये और उनके नाम व पते क्या हैं तथा उनकी योग्यतायें क्या हैं? क्या उक्त बैंक के सर्विस रूल के अनुसार उनकी नियुक्तियों के लिये किसी अखबार में प्रकाशन कराया गया था? यदि हां, तो किस अखबार में?

श्री बनारसीदास—

जिला सहकारी बैंक, फतेहपुर के एडमिनिस्ट्रेटर ने फरवरी सन्, १९६४ में एक क्लर्क नियुक्त किया जिनका नाम श्री सत्यनारायण है। यह ग्राम व पोस्ट गौरा, जिला उन्नाव के निवासी हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता बी० काम० है।

उपरोक्त नियुक्ति के लिये कोई विज्ञापन नहीं किया गया क्योंकि बैंक क ३ कर्मचारियों के दीर्घ कालीन अवकाश पर होने के कारण बैंक के कार्य को चलाने के लिये उक्त नियुक्ति थोड़े समय के किये अस्थायी रूप से की गई थी ।

*१२८-१३०—श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—

[१० वे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बाराबंकी जिले में कोआपरेटिव सुपरवाइजरों की मुअत्तली

*१३१—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में इस समय कौन-कौन सुपरवाइजर कोआपरेटिव सेक्शन के सस्पेंड हैं और कब-कब से हैं ?

श्री बनारसीदास—

बाराबंकी जिले में निम्नलिखित ९ कोआपरेटिव सुपरवाइजर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों से निलंबित है :—

नाम कोआपरेटिव सुपरवाइजर	निलम्बन की तिथि
१	२
१—श्री सुन्दर सिंह	३-१-५७
२—श्री बी० एस० बाजपेयी	२४-६-६१
३—श्री शिव गोविन्द त्रिपाठी	२१-१-६२
४—श्री सिद्ध नाथ पाठक	१३-११-६२
५—श्री राम किशुन सिंह	२०-३-६३
६—श्री शिव चरन सिंह	१-४-६३
७—श्री बद्री प्रसाद वर्मा	४-४-६३
८—श्री केदार नाथ मिश्रा	८-८-६३
९—श्री शिव कुमार सिंह	१४-१२-६३

प्रश्न का प्रथम भाग—वांछित विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ११९-१२० पर)

*१३२—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

इन सस्पेंड सुपरवाइजरों में से हर एक को चार्जशीट कब-कब दी गई? क्या इन सुपरवाइजरों के खिलाफ डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की ? यदि की, तो जो दोषी पाये गये उनको क्या-क्या सजा दी ? जिन सुपरवाइजरों के विरुद्ध कोई दोष नहीं सिद्ध हुआ उन्हें आज तक बहाल क्यों नहीं किया गया ?

श्री बनारसीदास—

प्रश्न नहीं उठता ।

* १३३---श्री द्विजेन्द्रनारायण---

अप्रैल, १९६२ से लेकर मार्च, १९६४ तक इस जिले के कित-कित सुपरवाइजरों के केस को कोर्ट में दाखिल किया गया और उनमें कितने छूट गये और कित-कित को न्यायालय से दंड मिला और क्या-क्या दण्ड मिला ?

श्री बनारसीदास---

सम्बन्धित समय में किसी भी सुपरवाइजर का केस कोर्ट में दायर नहीं किया गया। अतः प्रश्न के अन्य भागों के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

*१३४---श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१३५---१३६---श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

सिविल अस्पताल, लखनऊ में आपरेशन्स

*१३७---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल, लखनऊ में १ मार्च से १२ मार्च, १९६४ के बीच में किसी आदमी का हार्निया तथा हाइड्रोसील का आपरेशन हुआ था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

सिविल अस्पताल, लखनऊ में १ मार्च, १९६४ से १२ मार्च, १९६४ तक ९ व्यक्तियों का हार्निया का और ३५ व्यक्तियों का हाइड्रोसील का आपरेशन हुआ।

*१३८---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उस आदमी का उपचार ठीक से नहीं हुआ तथा आपरेशन के बाद उसे फिट आने लगा था तथा वह अस्पताल में चारपाई से गिर पड़ता था और घंटों चारपाई के नीचे पड़ा रहता था तथा उसकी मृत्यु इस कारण से हो गई कि उसके प्रति लापरवाही बरती गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

उपरोक्त सभी व्यक्तियों के आपरेशन सफल हुए और उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई।

*१३९---श्री केशरी प्रसाद पांडेय---

क्या मंत्री जी उक्त अस्पताल में मरीजों के साथ उचित बर्ताव तथा उपचार की कोई उत्तम व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

उक्त अस्पताल में सभी रोगियों को यथा सम्भव उचित सुविधायें दी जाती हैं और उनका उपचार भी ठीक प्रकार से किया जाता है। अतएव इस विषय में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के जिन्दा अजायबघर में नियुक्तियां

*१४०—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जूलाजिकल गार्डेन्स, बनारसी बाग, लखनऊ में सन् १९५७ में कितनी किन-किन पदों पर किस-किस की नियुक्तियां हुयीं और सरकारी आदेश संख्या २९०६/१६-२—१९२-१५९, दिनांक १५ सितम्बर, १९५९ के अनुसार उपर्युक्त नियुक्तियों में से किन-किन को दो साल के सेवा कार्य के बाद स्थायी किया गया और किन-किन को नहीं किया गया ? यदि नहीं किया गया, तो क्यों ?

श्री ऊदयाल खन्ना—

१९५७ में निम्नलिखित पदों पर उन के सामने लिखित ९ व्यक्तियों की नियक्तियां हुयीं :

१—पम्पिग स्टेशन ड्राइवर		श्री मुशीर हुसेन खां
गेट स्टाफ		
१—बुकिंग क्लर्क		१—श्री के० सी० चटर्जी
		२—श्री मुहम्मद अनवार
२—चौकीदार	..	१—श्री बच्ची सिंह
		२—श्री शशीराम थापा
		३—श्री जगन्नाथ प्रसाद
		४—श्री मुहम्मद उसमान
३—जमादार	..	१—श्री मुहम्मद मुईन
साँप घर बुकिंग क्लर्क	..	१—श्री के० सी० माथुर

सरकारी आदेश २९०६/१६-२—१९२६-१९५९, दिनांक १५-९-१९५९ केवल श्री मुशीर हुसेन खां के पद पर लागू होते थे और उनको स्थायी समझा गया । शेष पदों पर यह आदेश लागू नहीं होता क्योंकि यह पद केवल अस्थायी है ।

*१४१—श्री गयाप्रसाद—

क्या यह सच है कि जिनको स्थायी नहीं किया गया उनमें से कुछ को सेवा मुक्त भी कर दिया गया और उनसे जूनियर उसी पद पर अब भी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार उक्त आदेश के विरुद्ध सेवा मुक्त व्यक्तियों की शीघ्रातिशीघ्र पुनर्नियुक्ति करने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कुछ को सेवा से मुक्त कर दिया गया । परन्तु उनसे जूनियर उसी पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं । उक्त आदेशानुसार जिन व्यक्तियों को सेवा से मुक्त किया गया उनकी पुनर्नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१४२—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिन्हें सेवा मुक्त किया गया उनके प्रार्थना-पत्र इसके विरोध में इसी बीच में आये थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या विचार किया गया और उन सब पर लिया गया अन्तिम निर्णय प्रार्थियों को अब तक सूचित किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सेवा से पृथक किये गये एक कर्मचारी के कई प्रार्थना पत्र आये थे । इस पर समुचित विचारोपरांत शासन ने प्रबन्धक को अनुमोदित किया कि यदि वे उचित समझें तो इस व्यक्ति को पुनर्नियुक्त कर लें। यदि कोई पद रिक्त हुआ तो इस व्यक्ति को पुनः नियुक्ति की सूचना प्रबन्धक द्वारा प्राप्त होगी ।

सिविल अस्पताल, लखनऊ को खराब खून की सप्लाई

*१४३--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल, लखनऊ में १ मार्च, १९६४ से १६ मार्च, १९६४ तक कितना खून मेडिकल कालेज, लखनऊ से मरीजों के उपयोग के लिये मंगाया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

तीन बोतल ।

*१४४--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आये हुये खून में से कितने बोतल खून खराब हो गया तथा उसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

उपरोक्त तीन बोतलों में से दो बोतल खून खराब हो गया । यह खून पूर्ण सावधानी से रेफ्रिजरेटर में रखे जाने के बावजूद भी एक्सपायरी डेट से पहले ही खराब हो गया। अतएव इसकी जिम्मेदारी किसी पर भी नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

१-३---श्री कैलाश तथा श्री राम सुन्दर पांडेय---

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गौरीबाजार में शराब की दुकान

४--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिला के गौरी बाजार नामक स्थान पर जो शराब की दुकान है उसकी शराब की निकासी के दिनांक ६ दिसम्बर, १९६३ से १२ दिसम्बर, १९६३ तक तहसीलदार के आदेश द्वारा रोक दी गयी थी और ऐसा करने से उस दूकानदार को लगभग १० १/२ सौ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है जिसकी सूचना दूकानदार ने सरकार को दी है ? यदि हां, तो निकासी बन्द करने का कारण क्या था ? क्या सरकार निकासी रोकने के कारण उक्त क्षति को पूरा करायेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

निर्दिष्ट अवधि में गौरी बाजार स्थित शराब की दुकान की निकासी नहीं रोकी गई, इसलिये दुकान की क्षति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है । चूंकि दुकानदार ने इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र भेजा है इसलिये मामले की जांच जिले में हो रही है ।

छिबरामऊ ब्लाक की जीप

५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छिबरामऊ ब्लाक में जीप गाड़ी कितने दिन से चल रही है और जीप गाड़ी चलने के प्रारम्भ से और अब तक उसकी मरम्मत में हर साल अलग-अलग कितना रुपया खर्च किया गया है ? क्या इस जीप कार में हमेशा से ड्राइवर रहता है ?

श्री राममूर्ति—

छिबरामऊ विकास क्षेत्र की जीप लगभग ६ वर्ष ३ महीने से इस्तेमाल में है । वर्षवार मरम्मत का वांछित विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है । ड्राइवर, जीप पर, प्रायः हमेशा ही रहता है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ. १२१ पर)

६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ में इस कार से कोई एक्सीडेंट हुआ था ? अगर हां, तो क्या उससे किसी को चोट आयी थी और कितनी आर्थिक क्षति हुई थी ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । जीप सड़क पर रक्खी चारे की कुछ मशीनों से धक्का खा गई थी । पास खड़े एक व्यक्ति को साधारण चोट आई अवश्य थी, जो कुछ उपचार के बाद ही ठीक हो गई । आर्थिक क्षति कुछ नहीं हुई ।

बछरावां व महराजगंज ब्लाकों की जीपें

७—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला राय बरेली के अन्तर्गत विकास क्षेत्र, बछरावां महराजगंज की जीप गाड़ी को ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों ने निरीक्षण करने के बाद बन्द करा दिया है ? यदि हां, तो उक्त विकास क्षेत्रों के बी० डी० ओ० ने साइकिल द्वारा अपने दौरे का कितना भत्ता जुलाई, १९६३ से लेकर जनवरी, १९६४ तक लिया है ?

श्री राममूर्ति—

परिवहन आयुक्त के निरीक्षण के बाद बछरावां विकास क्षेत्र की जीप दिसम्बर, १९६३ से बन्द है तथा आवश्यक मरम्मत के लिये वर्कशाप में है । महाराजगंज विकास क्षेत्र की जीप चालू हालत में है । प्रश्न में निर्दिष्ट अवधि में बछरावां के बी० डी० ओ० ने साइकिल द्वारा की गई यात्राओं का कोई साइकिल भत्ता चार्ज नहीं किया है । महाराजगंज के बी० डी० ओ० ने उक्त अवधि में २ रुपये २५ नये पैसे मात्र का साइकिल भत्ता अवश्य चार्ज किया है ।

८—श्री रतीपाल—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त जीपों के ड्राइवरों को निकाल दिया गया है या बैठा रक्खा गया है या कहीं दूसरी जगह नियुक्त किया गया है ?

श्री राममूर्ति—

बछरावां विकास क्षेत्र का ड्राइवर, नियमानुसार ब्लाक मुख्यालय पर अन्य कार्य करता रहा है और महाराजगंज के ड्राइवर के विषय में यह प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर में बिक्री-कर की वसूली

९--श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला कानपुर के बिक्री-कर अधिकारी ऐसी अनेक फर्मों को तलाश कर रहे हैं कि जो सरकार का ५५ लाख रुपया हजम करके लापता हो गयी हैं और उन्होंने अपने साइन बोर्ड भी बदल दिये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां । बिक्री-कर अधिकारी, कानपुर ऐसी अनेक फर्मों की तलाश कर रहे हैं जिन पर यह सन्देह है कि वे बिक्री-कर की धनराशि हजम कर के लापता हो गई हैं ।

१०--श्री बनवारीलाल विप्र--

यदि हां, तो अब तक कितनी जाली फर्मों का पता अधिकारियों ने लगाया और कितना रुपया वसूल किया है और जिन्होंने रुपया नहीं दिया है उनकी कितनी संख्या है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अब तक अधिकारियों ने ऐसी ३८ जाली फर्मों का पता लगा लिया है जिनसे लगभग ४,००० रुपये की वसूली हो चुकी है और शेष राशि के लिये संबंधित जिलाधीशों के पास वसूली के प्रमाण-पत्र भेज दिये गये हैं ।

गुरुकुल कांगड़ी कर्मचारी संघ

११--श्री रक्षपाल सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) में कर्मचारियों की कोई यूनियन कार्य कर रही है ? यदि हां, तो वह किस मजदूर संगठन से सम्बद्ध है ?

श्री बनारसीदास--

जी हां । गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की दो यूनियन कार्य कर रही हैं--

(१) कर्मचारी संघ गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, हरिद्वार जो कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, नई दिल्ली से सम्बद्ध है ।

(२) गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन, हरिद्वार, जो कि भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध है ।

सुल्तानपुर जिले में जन-शक्ति उपयोग योजना

१२--कुंवर रुद्रप्रताप सिंह--

क्या सरकार ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके जनपद सुल्तानपुर के विकास खंड जामों से बारिसगंज की सड़क तथा ताल अहरी ड्रेन को ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत लेना स्वीकार किया है ? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां । दोनों सड़कें ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत ले ली गई हैं । भारत सरकार के योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कार्य आरम्भ हो सकेगा ।

१३—— कुंवर रुद्रप्रतापसिंह——

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खंड मुसाफिरखाना गौरीगंज तथा मेहुआ की कौन सी योजनायें ग्रामीण जन-शक्ति के अन्तर्गत सरकार ने इस बार लेने का निश्चय किया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना——

मुसाफिरखाना अथवा मेहुआ खंडों की कोई योजना अभी तक जिला स्तर से प्राप्त नहीं हुई है। गौरीगंज से निम्नलिखित कार्य लिये गये हैं——

१——अमेठी दोस्तपुर माईनर
२——१३ गांवों का ऊंचा करना
३——तुलसीपुर-गोपालपुर नाला
४——जगदीशपुर—दोस्तपुर नाला
५——अमेठी-गुलालपुर राजा माईनर
६——गौरीगंज से संथा सड़क
७——सम्बन मऊ माईनर
८——ट्यूबवेल की गूलें

१४——कुंवर रुद्रप्रतापसिंह

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत जनपद, सुल्तानपुर में कब तक कार्य होता रहेगा तथा कितना धन व्यय किया जायेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना——

भारत सरकार से जब तक और जितना-जितना धन मिलता रहेगा उसी के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम बनाये जायेंगे।

भाटपार रानी-रामपुर सड़क

१५——श्री कैलाश——

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील के अन्तर्गत भाटपार रानी से सोहनापार होते हुए रामपुर तक १२ मील जो सड़क कच्ची है उसमें क्या भाटपार रानी से सोहनापार तक लगभग १ मील सड़क नहीं बनी है ?

श्री राममूर्ति——

भाटपार रानी से सोहनापार होते हुये रामपुर तक जो सड़क गई है १२ मील की लम्बाई में केवल एक कच्चा रास्ता है। यह सड़क जगह-जगह गांव पंचायतों के अधीन है। जनता के सहायतार्थ सन् १९५७-५८ में इस सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के संरक्षण में टेस्ट वर्क द्वारा मिट्टी का कार्य कराया गया था। कार्य समाप्त होने के बाद ऐसी सड़कों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई नियंत्रण नहीं रहता।

१६——श्री कैलाश——

यदि हां, तो क्या सरकार यह देखते हुए कि उक्त सड़क सलेमपुर पूर्वी क्षेत्र में प्रतापपुर मिल में गन्ना लाखों मन ले जाने की एकमात्र सड़क है उसके वास्ते जमीन जल्द से जल्द एक्वायर करके उसे बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति——

ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

गोरखपुर जिला परिषद् का निर्माण-कार्य विषयक प्रस्ताव

१७—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया १३ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४ के सन्दर्भ में पुनः जांच करके बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला परिषद् को उसके प्रस्ताव के पश्चात् सरकार द्वारा सूचना भेजी गयी थी कि उक्त भूमि बाढ़ में डूबी रहती है, अतः इस पर सड़क बनाना उपयुक्त नहीं है और इसके पश्चात् पुनः जिला परिषद् ने अप्रैल, १९६२ से मार्च, १९६३ के बीच सरकार के पास विचारार्थ अपना प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो क्या प्रस्ताव की नकल मंत्री जी सदन की मेज पर रखते हुए बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क कब तक बन जायेगी ?

श्री राममूर्ति—

जिला परिषद् गोरखपुर के पहले प्रस्ताव दिनांक २८ अक्तूबर, १९६० के उत्तर में परिषद् को २८ फरवरी, १९६२ को सूचित किया गया था कि बड़हलगंज कपरवार घाट सड़क, सड़कों तथा पुलों के तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है और इसका निर्माण उक्त योजना काल में संभव नहीं है। इसके पश्चात् सरकार को जिला परिषद का ३१ मार्च, १९६२ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसकी प्रति सदन की मेज पर रखी है । जिला परिषद् को दिनांक २२ जून, १९६२ को पुनः सूचित किया जा चुका है कि प्रश्नगत सड़क, सड़कों तथा पुलों की तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित न होने के कारण वर्तमान योजना काल में इसका निर्माण कराना संभव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ १२२ पर)

१८-१९—श्री श्रीराम—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये]

सिंचाई कार्यों के लिए सीमेंट

२०—श्री शिवराजसिंह—

क्या यह सही है कि सरकार की कृषि उत्पादन उप-समिति ने गत वर्ष यह निर्णय किया था कि जन सुरक्षा (Civil defence) बाद लघु सिंचाई योजनाओं Minor Irrigation Project को सीमेन्ट के आबंटन में उच्चतम प्राथमिकता (Top Priority) दी जाये ?

श्री राममूर्ति—

जी हां ।

२१—श्री शिवराजसिंह—

क्या इस संबंध में कोई आदेश जिलाधीशों को प्रसारित किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—

जी हां ।

२२—श्री शिवराजसिंह—

यदि हां, तो क्या सरकार उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति---

खाद्य तथा रसद विभाग तथा विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित किये गये आदेशों की एक प्रति† सदन की मेज पर रख दी गई है।

२३---श्री नाथूराम शिक्षक---

[७वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

२४-२६---श्री उमाशंकर तथा श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)---

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

पन्नी जी शुगर ऐण्ड जनरल मिल्स में अप्रेन्टिस

२७---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या श्रम मंत्री १२ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर तथा पूरक प्रश्नोत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि जब पन्नी जी शुगर ऐन्ड जनरल मिल्स, बुलन्दशहर ने बावजूद सरकार से कई बार नोटिस प्राप्त करने के भी नियम के अनुसार जितने उनके गवर्नमेन्ट ट्रेन्ड अप्रेन्टिस रखने चाहिये थे पूरे नहीं रखे, तो क्यों उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सरकार द्वारा किये गये प्रथम नोटिस का समय समाप्त होने के तुरन्त बाद ही नहीं की गयी ?

श्री बनारसीदास---

जैसा कि प्रश्न संख्या ४ से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया जा चुका है, पन्नी जी शुगर ऐन्ड जनरल मिल्स को नियमानुसार ८ शार्ट टर्म और एक फुल टर्म अप्रेन्टिस रखने के लिये नोटिस दी गई थी। उत्तर में मिल ने सूचित किया कि वे गन्ना पेरने के सीजन के चालू होने पर अप्रेन्टिस रखेंगे। उन्होंने ६ शार्ट-टर्म अप्रेन्टिस रख भी लिये हैं। शेष अप्रेन्टिस रखने के लिये अभी योग्य (eligible) ट्रेन्ड कैन्डीडेट्स उपलब्ध न होने के कारण नहीं रखे जा सके हैं। आशा है कि आगामी मई के पश्चात् योग्य (eligible) कैन्डीडेट्स उपलब्ध होंगे और उक्त मिल शेष अप्रेन्टिस भी रख लेगी। ऐसी स्थिति में उस मिल के खिलाफ किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर एस० सी० सिंह, चिकित्साधिकारी, डिवाई

२८---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या सरकार ५ फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१-२२ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेगी कि जब एस० सी० सिंह चिकित्सा अधिकारी, डिवाई के विरुद्ध जनता में अधिक असन्तोष है, तो क्यों उनका तबादला नहीं किया जाता ?

श्री बनारसीदास---

अध्यक्ष जिला परिषद्, बुलन्दशहर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डाक्टर एस० सी० सिंह, चिकित्सा अधिकारी, डिवाई के विरुद्ध जनता में ऐसी कोई असन्तोष की भावना नहीं पाई गई जिससे उनका स्थानान्तरण जनहित में करना आवश्यक समझा जाता। सिविल सर्जन ने अवश्य उक्त चिकित्सा अधिकारी का स्थानान्तरण किसी अन्य जिला परिषदीय चिकित्सालय में कर दिये जाने की सिफारिश की थी। परन्तु उक्त कारणों से उनका स्थानान्तरण करना उचित नहीं समझा गया।

---

†छापी नहीं गई।

२९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिविल सर्जन, बुलन्दशहर ने डाक्टर एस० सी० सिंह के विरुद्ध शिकायतों की जांच क्या डिबाई जाफर की ? यदि डिबाई जाफर की, तो वह किन-किन तिथियों में गये और उन्होंने किस प्रकार से जांच की और किन-किन व्यक्तियों के सामने जांच की ?

श्री बनारसीदास—

डाक्टर सिंह के विरुद्ध शिकायतों के करने वालों को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सिविल सर्जन ने अपने कार्यालय में बुलाया था परन्तु कोई उपस्थित न हुआ। ऐसी दशा में सिविल सर्जन ने यह अनुभव किया कि इन शिकायतों में कोई तथ्य नहीं प्रतीत होता।

३०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार इसी संबंध में यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या सिविल सर्जन बुलन्दशहर ने डाक्टर एस० सी० सिंह के विरुद्ध शिकायतों की जांच करते समय उन व्यक्तियों से भी मालूमात की जिन्होंने यह शिकायतें की थीं और उन्होंने यह निर्णय कैसे किया कि शिकायत १ व २ गलत है ?

श्री बनारसीदास—

रजिस्टर्ड पत्रों द्वारा शिकायत करने वालों को जांच की नोटिस रजिस्ट्री द्वारा भेजी गयी थी। यह पत्र वापस लौट आये और शिकायत करने वालों में से भी कोई उपस्थित न हुआ।

बलिया जिले में चिकित्सालयों का प्रबन्ध

३१—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जिले के अन्तर्गत नवानगर जनाना अस्पताल के सभी कर्मचरियों की तनख्वाह वर्षों से बाकी है ? यदि हां, तो उन कर्मचारियों को कब तक तनख्वाह मिल जायेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस अस्पताल के कर्मचारियों के अस्थायी पदों के जारी रखने की कार्योत्तर स्वीकृति सरकार द्वारा १६ मार्च, १९६४ को दे दी गई है। सिविल सर्जन, बलिया ने अपने ४ अप्रैल, १९६४ के पत्र में सूचित किया है कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त कर्मचारियों की तनख्वाह का भुगतान हो जायगा।

३२—श्री जगन्नाथ चौधरी—

यदि हां, तो किन को गलती से बाकी है और उन कर्मचारियों को कब तक तनख्वाह मिल जायेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कुछ प्राविधिक कठिनाइयों के कारण स्वीकृति समय पर न दी जा सकी। बाकी सूचना प्रश्न ३१ के उत्तर में दे दी गई है।

३३—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जिला के अन्तर्गत नवानगर जनाना अस्पताल पर वर्षों से जनाना डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो वे कब तक भेजने का कष्ट करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां। प्रदेश में महिला डाक्टरों की भारी कमी के कारण यह बताना कठिन है कि कब तक वहां एक महिला डाक्टर भेजी जा सकेगी।

३४--श्री जगन्नाथ चौधरी---

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जिले के अन्तर्गत बलिया सदर अस्पताल में वर्षों से सिविल सर्जन के अलावा मेडिकल तथा सर्जरी के डाक्टर नहीं हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी नहीं। वास्तविकता यह है कि बलिया सदर अस्पताल में केवल २६ जुलाई, सन् १९६३ से ५ फरवरी, १९६४ तक के समय में मेडिकल तथा सर्जरी के विशेषज्ञ डाक्टर नहीं थे। इस थोड़े से समय में भी सिविल सर्जन के अलावा पी० एम० एस० (२) का डाक्टर अस्पताल में उपलब्ध रहा है और मेडिकल तथा सर्जरी के विशेषज्ञ वहां इसलिये नहीं भेजे जा सके चूंकि प्रदेश में डाक्टरों की भारी कमी है।

३५--श्री जगन्नाथ चौधरी---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बलिया जिला के अन्तर्गत खड़सरा अस्पताल के डाक्टर कब से नहीं हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

बलिया जिले के खड़सरा अस्पताल में डाक्टर २०-२-१९६४ से कार्य कर रहा है।

३६--श्री जगन्नाथ चौधरी---

क्या मंत्री जी खड़सरा अस्पताल में शीघ्र डाक्टर भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

प्रश्न ही नहीं उठता।

रजिस्ट्रेशन लिपिक

३७--श्री राजेन्द्रसिंह, श्री गिरवरप्रसाद तथा श्री नाथूराम शिक्षक---

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रेशन लिपिकीय पद के लिए उम्मेदवारों की सूची प्रान्तीय स्तर पर सीनियारिटी के आधार पर बनायी हुई है या जिलों के स्तर पर पूर्ववत् ही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

रजिस्ट्रेशन लिपिकीय पद के लिये उम्मेदवारों की सूची प्रान्तीय स्तर पर नहीं बनाई गई है। वह जिलों के स्तर पर पूर्ववत ही अब भी है।

३८--श्री राजेन्द्रसिंह, श्री गिरवरप्रसाद तथा श्री नाथूराम शिक्षक---

क्या वित्त मंत्री उस सूची की एक प्रतिलिपि जो प्रान्तीय स्तर पर बनी है सदन की मेज पर रखेंगे जिसमें यह बताने की कृपा करेंगे कि अमुक व्यक्ति कब किस अधिकारी द्वारा एवं किस प्रतियोगिता द्वारा उम्मेदवार नियुक्त किया गया और वह कब से सेवा में है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह प्रश्न नहीं उठता।

३९–४०—श्री शिवनाथसिंह—

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

४१–४३—श्री उल्फतसिंह यादव—

[१० वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, बिसवां

४४—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, बिसवां, जिला सीतापुर को जुलाई, १९६३ से दिसम्बर, १९६३ तक कितने कैश क्रेडिट का कर्ज़ा Provincial Co-operative Bank से प्राप्त हुआ और उस धनराशि से जो Seasonal Agricultural Operations का Finance को प्राप्त हुई थी कितना रुपया किसानों को बांटा गया और कितना रुपया पुराने कर्जे की अदायगी में सर्फ किया गया ?

श्री बनारसीदास—

सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक बिसवां, जिला सीतापुर को प्रांविशियल कोआपरेटिव बैंक से १५,७५,००० रु० की धनराशि जुलाई सन्, १९६३ से दिसम्बर, सन् १९६३ तक कैश क्रेडिट के कर्जे के रूप में प्राप्त हुई । सीजनल एग्रीकल्चरल आपरेटर्स को फाइनेन्स करने के लिये प्राप्त उक्त धनराशि में से ८,६०,१५७ रुपया उक्त अवधि में किसानों को बांटा गया । इस धनराशि का कोई भी भाग प्राविन्शियल कोआपरेटिव बैंक के पुराने कर्जे की अदायगी में व्यय नहीं किया गया ।

४५—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोसायटियों द्वारा चुने गये सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिसवां, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में इस समय कौन–कौन से डायरेक्टर हैं, उनका चुनाव कितने साल हुये हुआ तथा उनके जिम्मे जिन सोसायटियों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं कितना Cash Balance और कितने अरसे से चला आ रहा है ?

श्री बनारसीदास—

सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, बिसवां, जिला सीतापुर में सोसायटियों द्वारा चुने गये इस समय तीन डायरेक्टर हैं जिनके नाम तथा उनके चुनाव के साल का वितरण निम्नलिखित है:—

	चुनाव का साल
	१९५९
१—कुंवर शमशेर प्रकाश सिंह, प्रतिनिधि साधन सहकारी समिति, थाना पट्टी (ब्लाक कसमन्डा)	२८–१२–५९
२—श्री दुर्गा बख्श सिंह, प्रतिनिधि साधन सहकारी समिति, माझा चौड़िया (ब्लाक कसमन्डा)	२८–१२–५९
३—श्री छोटे लाल प्रतिनिधि साधन सहकारी समिति, मदफर (ब्लाक बेहटा)	२८–१२–५९

कुंवर शमशेर प्रकाश सिंह के जिम्मे साधन सहकारी समिति थाना पट्टी को कोई तहवील नहीं है । श्री दुर्गा बख्श सिंह के नाम साधन सहकारी समिति, माझा चौड़िया की तहवील का रुपया ३३२-६५, (तीन सौ बतीस रुपया पैंसठ नये पैसे) अगस्त सन् ६३ से है । समिति को मास अगस्त से शक्कर का कोटा मिला है और यह धनराशि इसी कार्य में लगती रहती है ।

श्री छोटे लाल के जिम्मे साधन सहकारी समिति, मदफर की तहवील का मु० ३६.४५ रुपया (छत्तीस रुपया पैंतालिस नये पैसे) दिनांक २२ फरवरी सन् ६४ से है । श्री छोटे लाल समिति के खजांची है और उन्हें समिति की तहवील का रुपया रखने का अधिकार है ।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

४६—श्री गयप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में जो उपभोक्ता स्टोर्स इस समय चल रहे हैं उनमें जो सामान बिक रहा है उनकी कीमतों में तथा Prevailing Market Price में साधारणतया कितना अन्तर रहता है तथा चीजों की गरानी रोकने तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सस्ते दाम पर वस्तुयें उपलब्ध कराने में कहां तक सहायक हैं ?

श्री बनारसीदास—

उपभोक्ता सहकारी समितियां स्वतंत्र संस्थायें हैं और विभाग द्वारा उनको केवल मार्ग दर्शन ही दिया जा सकता है। विभाग द्वारा अवश्य उन भंडारों को बाजार मूल्य से कुछ कम दाम पर सामान बेचने की राय दी गई है। ज्यादातर भंडार इस राय को मानकर कार्य कर रहे हैं परन्तु इनके दाम में और बाजार के भाव में क्या अंतर रहता है यह बताना सम्भव नहीं है। क्योंकि यह अन्तर अलग-अलग चीजों में अलग अलग-समय पर अलग अलग नगरों में अलग-अलग होता है।

वहां जहां राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित वस्तुओं के वितरण का कार्य भार सहकारी भंडारों को सौंपा गया है, वहां पर सामान्यतः इन भंडारों ने काफी निष्ठा से काम किया है और इस तरह से उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुयें नियंत्रित दाम पर उपलब्ध कराने में सहायक हुए हैं।

४७—श्री जसरामसिंह—

[१०वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

मछलीशहर में बाजार बन्दी कानून न लागू होना

४८—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मछलीशहर, जिला जौनपुर में लगभग ५, ६ वर्षों से प्रति शनिवार को बाजार बन्द रहने पर भी वहां बाजार बन्दी कानून क्यों नहीं लागू किया गया ?

श्री बनारसीदास—

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, १९६२ अभी अधिक जन संख्या अथवा व्यापारिक महत्व वाले स्थानों पर ही लागू है। इसका प्रसार धीरे धीरे किया जा रहा है। चूंकि मछली शहर का इन दोनों दृष्टि कोणों से अधिक महत्व नहीं है, अतएव वहां यह अधिनियम अभी लागू नहीं किया गया है।

आजमगढ़ जिले में सड़कों का निर्माण

४९—श्री मंगलदेव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में मैनपावर स्कीम के अन्दर कौन-कौन सड़कें निकट भविष्य में बनने जा रही हैं ?

श्री राममूर्ति—

आजमगढ़ जिले में जो सड़कें जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत बनेंगी उनका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ १२३ पर)

५०--श्री मंगलदेव--

क्या यह सही है कि फूलपुर से मारटीनगंज और दीदारगंज से करदह की सड़क स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो इस पर कब से कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--

दीदारगंज से करदह की सड़क अभी स्वीकृत नहीं है परन्तु फूलपुर से मार्टिनगंज वाली सड़क जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित होकर भारत सरकार के योजना आयोग के विचाराधीन है और उनकी स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

५१--श्री मंगलदेव--

क्या निजामाबाद से फूलपुर की सड़क भी योजना के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति--

जी हां। भारत सरकार के योजना आयोग की स्वीकृति हेतु यह सड़क प्रस्तावित है।

कमालगंज अस्पताल

५२--श्री दयाराम शाक्य--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद के कमालगंज स्थित अस्पताल में पिछले कई माह से कोई डाक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं की गयी है तथा अस्पताल का निजी भवन बनवाने में सरकार को क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जिला फर्रुखाबाद के कमालगंज अस्पताल में, डाक्टरों की अत्यधिक कमी के कारण गत ३० सितम्बर, १९६३ से किसी डाक्टर की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

उक्त अस्पताल के भवन निर्माण का कार्य वर्तमान नेशनल इमर्जेन्सी (National Emergency) के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह अस्पताल इस समय किराये के भवन में कार्य कर रहा है।

दहगवां ब्लाक की जीप

५३--श्री उल्फतसिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २० जुलाई, १९६३ से ५ अगस्त, १९६३ तक बदायूं जिले के ब्लाक दहगवां की जीप कहां-कहां गयी, तथा उस से क्या-क्या काम लिया गया ?

श्री राममूर्ति--

विकास क्षेत्र दहगवां की वाहन उल्लेखगत अवधि में विकास क्षेत्र दहगवां के विभिन्न ग्रामों में चलाई गई और खरीफ आन्दोलन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों का निरीक्षण तथा विशेष रूप से खाद्य उठवाने हेतु ग्रामीणों से विशेष सम्पर्क स्थापित किया गया।

क्षेत्र की वाहन जिन तिथियों में जिन ग्रामों में गई उनका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ १२४ पर)

एपिडेमिक स्टाफ, अल्मोड़ा का भत्ता

५४--श्री श्रीराम--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ में कैलाश मानसरोवर यात्रा लाइन ड्यूटी में जो एपिडेमिक स्टाफ अल्मोड़ा जिले में वर्तमान पिथौरागढ़ जिला गया था उनका बोर्डर एलाउन्स (सीमा क्षेत्र भत्ता) अब तक मिला या नहीं? यदि नहीं, तो देरी का क्या कारण है तथा उपरोक्त विषय में स्वास्थ्य विभाग ने क्या-क्या आवश्यक कार्यवाही की तथा यह भत्ता सम्बन्धित व्यक्तियों को कब तक भुगतान किया जायगा?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी नहीं। समस्त बिल महालेखापाल, इलाहाबाद को सरकार द्वारा भेजे गए थे परन्तु महालेखापाल ने उन बिलों पर आपत्ति प्रकट करके वापस कर दिये थे जिस पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

५५--श्री श्रीराम--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि १९५९ में यात्रा लाइन ड्यूटी, अल्मोड़ा जिले में गये हुए एपिडेमिक स्टाफ के कितने लोगों का टी० ए० क्लेम अब तक भुगतान नहीं हुआ तथा उसके भुगतान की कब तक आशा है?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

एपिडेमिक स्टाफ के १९५९ के कोई भी टी० ए० क्लेम भुगतान के लिये बाकी नहीं हैं।

मुरादाबाद जिले में मादक वस्तुओं के लाइसेंसी

५६--श्री रियासत हुसैन--

क्या आबकारी मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले में सन् १९६२ और १९६३ में कुल कितनी शराब, अफीम, गांजा की लाइसेंसदार दुकानें थीं और उनके ठेके कितने-कितने रुपये में हुए?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मुरादाबाद जिलेमें सन् १९६२-६३ और सन् १९६३-६४ में अफीम और गांजे की कोई दुकान नहीं थी और न आज ही कोई दुकान है। शराब की दुकानों से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है--

क्रम सं०	वर्ष	शराब की दुकानों की संख्या	जितने से	रुपये ठेकों प्राप्त हुए
				रु०
१	१९६२-६३	४०		९,१४,०५०
२	१९६३-६४	४०		८,९७,९००

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, इलाहाबाद में हड़ताल

५७--श्री छांगुर (जिला मुरादाबाद)--

क्या श्रम मन्त्री दिनांक ५ फरवरी, १९६४ के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या २३-२४ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, इलाहाबाद में दिनांक १९ तथा २० सितम्बर, १९६३ को छात्रों द्वारा क्यों हड़ताल की गयी?

श्री बनारसीदास--

हड़ताल के लिये पहले से कोई कारण नहीं दिये गये।

सिविल अस्पताल, लखनऊ

५८--श्री द्विजेन्द्रनारायण--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल, लखनऊ में से कितने मरीज १ जनवरी, १९६३ से २५ मार्च, १९६४ तक अपने आप अस्पताल छोड़ कर चले गये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

२०४ मरीज।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

नियम ५२ के अन्तर्गत श्री हरिनाथ तिवारी की एक सूचना है। आज से सदन स्थगित हो रहा है, जब हम फिर बैठेंगे आप इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं और उनका उत्तर मिल जायगा। ५२ में इसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा प्रश्न नाथूराम जो शिक्षक का है जो इलाहाबाद जिले में ओला और पाले से जो संकट उत्पन्न हो गया है उसके बारे में है। चूंकि आज सदन स्थगित हो रहा है, इसे ५२ में देने का कोई अर्थ नहीं है। यह सम्बन्धित मंत्री के पास भेजा जा रहा है और इस पर आप प्रश्न कर सकते हैं। उनका आपको जवाब मिल जायगा।

एक श्री लखो सिंह जो का भी है। यह भी उचित कार्यवाही के लिये सम्बन्धित मंत्री के पास भेजा जा रहा है। आपको इसका उत्तर मिलेगा और आप इस पर प्रश्न कर सकते हैं। आगे के लिये जिलाधिकारियों को अधिकार है रुपया देने का।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

हमारा व्यापारियों की हड़ताल का १६ तारीख को स्टेटमेंट के लिये कर दिया गया था। आज सदन उठ रहा है। माननीय खाद्य मंत्री उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनको आज्ञा दे दें कि वह आज शाम तक वक्तव्य दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

पहले जो कार्य सामने है वह समाप्त हो जाय, तब आप कहिये।

हरदोई जिला स्थित शाहाबाद नगरपालिका के सदस्यों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

यह होम डिपार्टमेंट से सम्बन्ध रखता है, इसलिये मैं इस पर स्टेटमेंट देता हूं।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

यह वक्तव्य तो स्वायत्त शासन मंत्री को देना था। इसमें उनसे सम्बन्धित बातें भी हैं।

श्री अधिष्ठाता---

सरकार इसके लिये जिम्मेदार है पहले आप उनको सुन लें। बाद में आवश्यकता होगी तो स्वायत्त शासन मंत्री को भी कहेंगे।

*श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्री शारदा भक्त सिंह, सदस्य, विधान सभा ने सार्वजनिक सभा तथा लाउड स्पीकर के लिये शाहाबाद कस्बे में १३-४-६४ को श्री युवराजदत्त सिंह, संसदीय सदस्य के स्वागत हेतु अनुमति मांगी जो उनको दे दी गयी। अनुमति नगर में धारा १४४ लागू होने के कारण मांगी गयी थी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनसंघ द्वारा सार्वजनिक सभा का आयोजन लगभग साढ़े १२ बजे दिन तक हुआ। उसके पश्चात् सभा में सम्मिलित लोग नगर महापालिका के कार्यालय गये जहां नगरपालिका कमेटी द्वारा नगरपालिका के बार्डों के परिसीमन पर विचार हो रहा था। कुछ लोगों ने वहां आपत्तिजनक नारे लगाये और स्थिति गंभीर हो गई। हाकिम परगना, अतिरिक्त हाकिम परगना तथा पुलिस के सर्किल अफसर जो वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने धारा १४४ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत ३५ आदमियों को गिरफ्तार किया।

नगरपालिका कमेटी की मीटिंग में भी कुछ गड़बड़ी हुई और शान्ति भंग होने की आशंका से ६ नगरपालिका के सदस्यों को धारा १५१ सी० आर० पी० सी० में गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी होने के पश्चात् बाहर इकट्ठी हुई भीड़ ने फिर नारे लगाना आरम्भ कर दिये। उनमें से २१ व्यक्तियों को धारा १४४ भारतीय दंड विधान में गिरफ्तार करना पड़ा। किसी व्यक्ति को कोई चोट इत्यादि नहीं आयी। प्राप्त सूचना के अनुसार नगर में १३ अप्रैल, १९६४ को हड़ताल रही और १४ अप्रल, १९६४ को आवश्यक वस्तुओं की दूकानों को छोड़ कर बाजार बन्द रहा। नगर में अशान्ति एवं उत्तेजना व्याप्त होने का कोई समाचार नहीं मिला है।

श्री शारदाभक्तसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो ६ सदस्य नगरपालिका के अन्दर गिरफ्तार किये गये वे एक ही दल के लोग थे अथवा कई एक दलों के थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

झगड़ा एक ही तरफ से किया गया था, अतः जो गिरफ्तार हुये वे भी एक ही दल के थे।

श्री शारदाभक्तसिंह---

उस झगड़े के कारण मीटिंग समाप्त हो गई, या चलती रही ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

झगड़ा हुआ तो मीटिंग समाप्त हो गयी। कितनी कार्यवाही हो चुकी थी, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

ये सदस्य जो गिरफ्तार किये गये मीटिंग समाप्त हो जाने के बाद गिरफ्तार किये गये अथवा उस समय जब मीटिंग चल रही थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैंने कहा कि मीटिंग के वक्त ही प्रेसीडेन्ट को एजर्ट करने की कोशिश की गयी, तभी, गिरफ्तारी हुई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

बह एक दल कौन-सा है जिसके सदस्य गिरफ्तार किये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

वे भारतीय जनसंघ से ताल्लुक रखते हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, मैं प्रिविलेज का नोटिस देता हूं । वे सभी लोग एक दल के नहीं हैं ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को पता है कि शाहाबाद नगरपालिका के चेयरमैन ने वहां के एस० ओ० पुलिस नईम खां से साठ-गांठ करके यह षडयंत्र बनाया कि मीटिंग के अन्दर ६ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाय ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

उस नगरपालिका के कौन-कौन सदस्य किस दल के हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इसमें वैसे डिफरेन्ट पार्टीज के लोग हैं । उसमें कुछ कांग्रेस के साथ हैं और कुछ भारतीय जनसंघ के साथ हैं । उनकी सूची इस प्रकार है :--

सदस्य का नाम		दल जिस से चुनकर आये	दल जिस से सम्बन्धित हैं
१		२	३
१--श्री सज्जाद अली खां, प्रेसीडेन्ट	..	पी०एस०पी०	कांग्रेस
२--श्री इशरत हुसेन खां	..	,,	,,
३--श्री अयूब अली	..	,,	,,
४--श्री इकबाल हुसेन खां	..	कांग्रेस	,,
५--श्रीमती रब्बानी	..	पी०एस०पी०	,,
६--श्री अहमद उल्ला खां	..	,,	,,
७--श्री शफी उद्दीन	..	कांग्रेस	,,

सर्वश्री शहीर अहमद, पी० एस० पी० का कांग्रेस के साथ, बहबूद हुसैन खां, पी०एस०पी० का कांग्रेस के साथ, सबूर अहमद खां पी० एस० पी० का कांग्रेस के साथ, श्री बल्ला, कांग्रेस, कांग्रेस में हैं । शान्ति स्वरूप, इंडिपेन्डेन्ट का जनसंघ के साथ, सूर्य प्रसाद, पी० एस० पी० का जनसंघ के साथ, बसन्त लाल, पी० एस० पी० का जनसंघ के साथ, मातादीन, जनसंघ, जनसंघ में हैं, जगदीश चन्द्र, जन संघ, जन संघ में हैं, मोतीलाल, जनसंघ, जनसंघ में हैं, रघुनाथ सहाय इंडिपेन्डेन्ट, जनसंघ के साथ, बालकराम, पी० एस० पी० का जनसंघ के साथ, रामस्वरूप, पी० एस० पी० का जनसंघ के साथ ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा है उस से कुछ भ्रम पैदा हो गया है, तो क्या वे इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि कांग्रेस के साथ जो पी० एस० पी० के एफिलियेशन की बात उन्होंने कही, क्या इसका मतलब यह समझा जाय कि वहां कांग्रेस और पी० एस० पी० ने अपना कोई संयुक्त मोर्चा बना लिया है या पी० एस० पी० के सदस्य कांग्रेस दल में शामिल हो गये हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पी० एस० पी० के सदस्य तो अपनी पार्टी के टिकट पर ही इलेक्ट हुए, लेकिन उनका एफिलियेशन उस दल के साथ हो गया है जिसका कि मैंने अभी नाम लिया है ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि झगड़ा होने की संभावना की रिपोर्ट पहले से ही थी जिस से वहां अधिकारी पहले से उपस्थित थे ? यदि नहीं, तो उनकी नियुक्ति वहां पर क्यों की गयी थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, १३ तारीख को सुबह कलेक्टर को खबर हुई कि इस तरह की मीटिंग हो रही है और प्रेसीडेन्ट ने कहा कि वहां पुलिस का इन्तजाम होना चाहिये, क्योंकि मुमकिन है कि कुछ झगड़ा हो सकता है । इसलिये इस प्रकार का इन्तजाम किया गया ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि शाहगंबाद नगरपालिका के चेयरमैन पी० एस० पी० के हैं और जो विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया उसमें यह बतलाया कि पी० एस० पी० का एफिलियेशन कांग्रेस के साथ है । तो इसको जरा स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि जब पी० एस० पी० का बहुमत है तो बहुमत दल का कांग्रेस में जो अल्पमत में है कैसे एफिलिएशन हो सकता है ? ऐसे तो कांग्रेस दल का एफिलियेशन पी० एस० पी० में होना चाहिये था ।

श्री अधिष्ठाता--

इसका उत्तर माननीय मंत्री जी कैसे दे सकते हैं ? इसके बारे में तो आप पार्टी से पूछ सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने अभी कहा कि पी० एस० पी० कांग्रेस के साथ है फिर कहा कि पी० एस० पी० जनसंघ के साथ है तो इसका आधार क्या है और किस आधार पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मैंने पहले ही कहा कि वे एलेक्ट तो अपनी पार्टी टिकट पर ही अलग-अलग हुये, लेकिन सुविधानुसार काम करने के लिये वे एक दूसरे से एफिलिएट हो गये ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्वागत समारोह के अवसर पर जो आपत्तिजनक नारे लगाये गये और जिसकी बिना पर गिरफ्तारी हुई, वे आपत्तिजनक नारे क्या थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

स्वागत समारोह से सम्बन्ध नहीं है वह समाप्त हो गया था, लेकिन टाउन हाल के सामने नारे लगाये गये और दफा १४४ बाद में तोड़ी गई तब गिरफ्तारियां हुईं ।

श्री शारदाभक्तसिंह---

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वार्ड के परिसीमन के सम्बन्ध में नगरपालिका की मीटिंग हो रही थी जिसके सम्बन्ध में नारे लगाये गये तो क्या गजट में परिसीमन का पब्लिकेशन हो चुका था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जी हां, हो चुका था ।

श्री अधिष्ठाता---

अब यह समाप्त हो गया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रीमन् .....

श्री शारदाभक्तसिंह---

श्रीमन्, मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि जैसा कि पहले कहा गया था कि यह प्रश्न होम विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित है और दोनों का उत्तर वह देंगे, होम से सम्बन्धित गिरफ्तारी के सम्बन्ध में तो बात हो गई, लेकिन स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में चूंकि वह दोनों का जवाब देना चाहते हैं इसलिये अभी और समय दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

उन्होंने स्वायत्त शासन से सम्बन्धित विषय पर उत्तर नहीं दिया, उसी वक्त जब उत्तर नहीं दिया तो यह बात उठानी चाहिये थी ।

लखनऊ में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर चावल उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता---

अब आइटम ८ पर श्री जगमोहनसिंह नेगी का वक्तव्य होगा ।

*रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

अधिष्ठाता महोदय, राज्य सरकार ने स्टाक की स्थिति तथा आवश्यकताओं का यथोचित ध्यान रखत हुय चावल की उपलब्ध सप्लाई को परिरीक्षत रखने के प्रश्न पर विचार किया तथा यह निश्चय किया कि चावल के वितरण के परिमाण में कुछ कमी कर दी जाय, जिसके फलस्वरूप महापालिका वाले नगरों, अर्थात् आगरा , इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, में भी चावल के वितरण के परिमाण में कुछ कमी करनी पड़ी, किन्तु यह कहना उचित न होगा कि चावल का वितरण उक्त नगरों में पूर्ण रूपेण बन्द कर दिया गया है । उक्त नगरों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा जो चावल दिया जाता है वह साधारणतया तृतीय श्रेणी का होता है । उसका प्रति क्विन्टल बाजार भाव कानपुर में ६५.९७ रुपये तथा आगरे में ६४.७५ रुपये है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि यह कथन सत्य से परे हैं कि उक्त श्रेणी के चावल का बाजार भाव एक सेर तथा १८ छटांक प्रति रुपया है ।

जहां तक आटे की क्वालिटी का सम्बन्ध है, मुझे यह निवेदन करना है कि आटा २ क्वालिटी का तैयार किया जाता है अर्थात् होल मील, जो गेहूं पीस कर बनाया जाता है तथा रिजल्टेन्ट जिसमें से मैदा या सूजी निकाल ली गई हो । इन दोनों प्रकार के आटे की क्वालिटी को उन्नत करने के लिये सरकार ने रोलर मिलों को निम्नांकित आदेश दे रखे हैं:

(१) होल मील आटे में से चोकर निकाला जाय .. .. २.५ प्रतिशत
(२) रिजल्टेंट आटे में से चोकर निकाला जाय .. १३ प्रतिशत
(३) जितना गहूं पीसने के लिये मिलों में डाला जाय, उसमें से ४० प्रतिशत से अधिक मैदा अथवा सूजी न निकाली जाय ।

इस प्रकार यह तो स्वीकार किया जा सकता है कि मिलों द्वारा पीसा गया आटा मोटा होता है किन्तु उसकी क्वालिटी में किसी प्रकार की खराबी बताना न्यायसंगत न होगा ।

जहां तक सब्जी के मूल्य में वृद्धि का प्रश्न है, मेरा केवल यह निवेदन है कि सब्जी पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है ।

जहां तक उन्होंने खुले बाजार की बात कही माननीय भगवान दास जी स्वयं कह रहे थे कि वह २० रुपया मन चावल खरीद कर लाये हैं ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—
कोई चीज अगर स्पष्ट कराना है तो पूछ लीजिये ।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मुझे निवेदन केवल यह करना है कि माननीय मंत्री जी ने अभी वक्तव्य दिया कि हमारे यहां जो देहातों में शुद्ध आटा दिया जाता है । श्रीमन्, भी देहात से ही चुन कर आये हैं, आपको भी ज्ञात होगा कि देहाती क्षेत्र में आटा सड़े किस्म का दिया जा रहा है । हमारे यहां जो आटा दिया जाता है उसमें कोयला दिया गया है और चोकर की मात्रा ३/४ है । केवल १/४ आटा ही दिया गया है । श्रीमन् इसका मेरे पास नमूना भी है । आज बाजार में २०० या ३०० परसेंट सब्जियों का दाम बढ़ गया है । अरहर की दाल बाजार से बिलकुल गायब हो गई है । चावल किसी भी राशन की दुकान पर नहीं मिलता है । श्रीमन्, यदि आपका भी राशन कार्ड होगा तो आपको भी मालूम होगा कि राशन की दुकानों पर चावल बिलकुल नहीं है । मंत्री जी कह रहे हैं कि यह बात सत्य से परे है जब कि हम लोग १८ छटांक का चावल खरीद कर खा रहे हैं । आपकी सारी नीति विकल्पित हो रही है । इसके बारे में सरकार कोई ठोस कदम उठावे । आप लोगों को घटिया किस्म का आटा दिया जाता है और माननीय मंत्री जी बयान यह दे रहे हैं कि शुद्ध आटा दिया जाता है । आज की स्थिति को देखते हुये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में मंत्रिमंडल कोई ठोस कदम उठावे ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मुझे कुछ कहना है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजमगढ़ में जो आटा दिया जा रहा है वह कानपुर मिलों का है और २ सेर के हिसाब से दिया जा रहा है जब कि बनारस की मीलों का आटा और जगह जा रहा है तो इनके बांटने की व्यवस्था भी अजीब है। जब कि गेहूं २ सेर ६ छटांक मिलता है और अगर आटा २ सेर का मिले तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि इनकी क्या व्यवस्था है। आजमगढ़ में बोरियां महीनों की सड़ी हुई हैं और लेने वालों को मजबूर किया जाता है कि वे इस आटे को लें। वहां पर भी चावल किसी दुकान पर नहीं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें प्रश्न की कोई बात नहीं है।

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरे विचार में यह उपयुक्त होगा कि माननीय मंत्री जी सब लोगों की बात सुन कर वे इकट्ठा जवाब दे दें तो कोई कष्ट न होगा और यह नियमानुसार भी होगा। लोगों की बातें सुनते जायें, उन्हें नोट कर लें और इकट्ठे ही अपनी बात कह दें। जैसा माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा मुझे भी जानकारी है और अखबारों में भी यह बात शाया हुई है कि मऊ में कुछ व्यापारियों ने कलकत्ते से आटा मंगाया है। कानपुर से जो आटा आता है वह महंगा बताया जाता है। उन व्यापारियों ने सरकार से कहा कि जो आटा कलकत्ते से आया है उसका रेट आपके रेट से सस्ता है। इसलिये उन्होंने सरकार से पूछा कि आप हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज दे दीजिये, लेकिन सरकार ने अपने आदेश निकाल दिये सब जिलाधीशों और आर०एफ०सी० को और उनसे यह कहा गया कि कानपुर या दूसरे मिलों के अलावा जो लोग ट्रांसपोर्ट चार्जेज लें उनको न लेने दिया जाय। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बुरा है अगर कोई व्यापारी कलकत्ते से माल ले आता है और उत्तर प्रदेश में सस्ता देना चाहता है कानपुर की मिलों के बनिस्वत, तो मंत्री जी को इसमें क्या आपत्ति है और उन्हें इजाजत क्यों नहीं दी गयी? मऊ में आटा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और सरकार लोगों को आटा वितरित नहीं करने दे रही है, क्योंकि कानपुर के मिल मालिकों को नुकसान होता है।

*श्री नेकराम शर्मा—

आटा मिल के सम्बन्ध में एक निवेदन यह है कि इस प्रदेश में इस सदन के मुख्य मंत्री जी से मैंने प्रार्थना की थी कि आटा मिलों को नेशनलाइज कर लिया जाय। जिस समय क्राइसिस था तो आटा मिलों के मालिकों ने इतना ब्लैक किया कि मुझे यह कहना पड़ा था कि यह मामला सी० आई० डी० की जांच के लिये भेजा जाय। माननीय मंत्री जी ने सदन में यह कहा था कि हमारे प्रदेश में एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं तो फिर मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी कांफ्रेंस का उद्घाटन करने कार्लटेन होटल में क्यों गये थे। तो मेरा यह कहना है कि क्या सरकार आटा मिलों को नेशनलाइज करेगी? प्रदेश में आटे की जरूरत किसान को देहात में रहती है और शहर में शहर के रहने वाले जरूरत महसूस नहीं करते तो आटे का पिसवाना बन्द किया जायगा? आटा मिलों से यथाशीघ्र आटा भिजवाना बन्द किया जायगा?

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

जो प्रश्न अभी उठाया गया है आटा मिलों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने कानपुर और लखनऊ में आटा का जो रेट रखा है उसके बराबर अगर बाहर से मंगा कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

कोई व्यापारी आटा बेंचना चाहता है तो उसको इजाजत नहीं दी जाती है। इस तरह उनकी मानोपाली कायम है चाहे वह आटा खराब हो, लेकिन लोगों को लेना पड़ता है। बाहर से रोजगारी मंगा कर उस भाव में उसे नहीं बेच सकता है। इस प्रकार सरकार कानपुर तथा लखनऊ आटा मिलों की तरफदारी कर रही है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब माननीय मंत्री जी को बोल लेने दीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को कह लेने दीजिये। माननीय मंत्री जी को देहात की हालत मालूम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

निश्चित केवल यह था कि वह केवल अपना वक्तव्य देंगे, अब उनसे सुन लीजिये।

श्री भगवानदासयादवेन्दु (जिला आगरा)—

मूल प्रश्नों के लिये इजाजत देना चाहिये यह सदन का नियम है।

श्री अधिष्ठाता—

अगर ४३० सदस्य इस तरह से प्रश्न करने लगेंगे तो खत्म ही नहीं होगा।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

आप व्यवस्था का प्रश्न फिर उठाइयेगा। पहले माननीय मंत्री को बोल लेने दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अधिष्ठाता महोदय, यहां कोई भी खड़े होकर अगर यह कह दे कि सब फेल हो गया तो इससे तो काम चलता नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

एक बात मेरी सुन लें। जो सब लोगों ने कहा है उसको ध्यान में रख कर आप जवाब दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उसी का उत्तर दे रहा हूं। जो दोनों पांडेय जी ने कहा उस बात का मैं उत्तर दे रहा हूं। (श्री भगवानदास यादवेन्दु के बीच में टोकने पर) भगवानदास जी ने स्वयं मुझ से आकर कहा कि २० रुपये मन का खरीद कर आ रहा हूं। (व्यवधान) मैं अर्ज कर रहा था कि आटे की क्वालिटी की बाबत जो बात कही गयी मैं स्वयं चाहता हूं और मैंने उसके लिये, जैसा कि नेकराम जी ने लक्षित किया कि क्यों उसका उद्घाटन किया, अरे, हम उनको गेहूं देते हैं और उनके असोसियेशन में जाकर डाटा कि तुमको बढ़िया आटा देना पड़ेगा, नहीं तो केन्द्रीय सरकार से शिकायत करेंगे। क्या बुरा किया? माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य होते हुये इतना भी नहीं जानते हैं कि कन्द्रीय सरकार देती है। इसके माने हैं कि आपकी कोई अक्ल की बात नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अक्ल नहीं है। इस बात पर व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता--

यह व्यवस्था प्रश्न नहीं है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अस्ल बात नहीं है, यह कहा है।

श्री नेकराम शर्मा--

व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी ने कहा कि माननीय सदस्यों को मालूम नहीं है कि केन्द्रीय सरकार मिलों को गेहूं देती है पीसने के लिये, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं है। मेरा प्रश्न यह नहीं था। मेरा प्रश्न तो यह था कि जब आटा मिल मालिकान ब्लैक-मार्केटिंग कर रहे हैं तो क्यों नहीं डी० आई० आर० का प्रयोग करके आटा पीसना बन्द कर देते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

इस समय आप पधारिये, उनके बिचार सुनिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं यह कह रहा था कि आजमगढ़ में आटे का इतना ओवर फीडिंग कर दिया गया है कि वहां परेशानी है कि आटे का क्या करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

भाव बताइये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आप को असलियत नहीं मालूम है। कल्पनाथसिंह जी स्वयं कह रहे हैं और आज आजमगढ़ के कई लोग आये हुए हैं। वहां बाहर का आया हुआ आटा भी अभी तक पड़ा हुआ है। लीडर आफ दि अपोजीशन की बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी मगर मैंने एक बात... (व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय--

कानपुर का आटा आजमगढ़ में जाता है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

दूसरे प्रदेशों का आटा इसलिये आया था कि २९, ३० नये पैसे फी किलो खरीद कर यहां ८०, ९० नये पैसे फी किलो बेंचना चाहते थे। हमने जब आटे पर प्रतिबन्ध लगा दिया तो वह रोका गया। तो आप जो कहते हैं कि हमारी मदद करने के लिये बाहर से आटा व्यापारी लोग लाये थे ऐसी बात नहीं है। वे दाम बढ़ाना चाहते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको गेहूं देती है और हम उनसे आटा लेते हैं और उससे हम हर जगह कीमत गिराने की कोशिश करते हैं। आज मैं कहता हूं कि जो भाव हमारे यहां गिरे हैं और नई फसल के आने पर हमारे यहां गेहूं का भाव २०/२१ रुपये मन हो गया है, यह इसी कारण हो सका है। आप तो हमेशा खिलाफ ही कहते हैं। अगर माननीय भानुप्रताप सिंह जी कह दें तो मैं मान जाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं कि कोई खराबी नहीं है।

जहां तक माननीय नेता विरोधी दल की बात का सवाल है उस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

कि मिल प्रोडक्ट्स बाहर न तो जा सकती है और न बाहर से यहां आ सकती हैं। इसलिये कलकत्ता वगैरह से आटा नहीं आ सकता है। जो आ चुका है उसमें से कुछ तो बंट चुका है, कुछ ऐसा है, जिसके लिये हम चाहते हैं कि नान मिल एरियाज में उनको मिल जाय, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। अगर हम रास्ता निकाल सके तो जरूर कोशिश करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि लखनऊ और कानपुर का आटा जो पूर्वी जिलों में जाता है वह तेज पड़ता है। पूर्वी जिलों में पहले तो मैं बनारस वगैरह से ही आटा देने का प्रबन्ध करता हूं और जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो कानपुर तथा लखनऊ से दिया जाता है। आज से तीन वर्ष पहले रोज एक आदमी भुखमरी से मरता था, लेकिन आज एक भी आदमी ऐसी बात नहीं कहता है। इसकी तो आप तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि बुराई करना ही आपका काम है। आज जो चावल का सवाल उठाया गया है? वह सब, मैं आप के लिये जमा करके रख रहा हूं। तुम्हारा पेट भरने के लिये ही जुलाई-अगस्त के लिये रख रहा हूं। यहां तो हालत यह है कि सेवा करो तब भी नाराज होते हैं। यह अनुदारता है। आप को गवर्नमेंट की तारीफ करनी चाहिये।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता---

मेरी एक बात सुन लीजिये। जो पहले प्रश्न लिया गया था उस पर अध्यक्ष महोदय की आज्ञा है कि केवल मंत्री जी का वक्तव्य होगा। इसलिये कोई प्रश्न न उठायें तो अच्छा है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं

श्री अधिष्ठाता---

मेरी प्रार्थना यह है कि आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे दीजिये, लेकिन इसके सम्बन्ध में और कोई प्रश्न न करें।

श्री भानुप्रतापसिंह---

श्रीमन्, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भावों के विषय में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिये कोई गलत बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जब मैं सदन के लिये रवाना होने लगा तो मेरी श्रीमती जी ने कहा कि शहर लखनऊ में गेहूं और चावल बहुत खराब मिलता है, इसलिये अगर सम्भव हो तो अपने फार्म से लाने के लिये परमिट वगैरह की कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि खराब गल्ला खाते-खाते हम लोग ऊब गये हैं और यह परेशानी आई है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सेंट्रल गवर्नमेंट मिलों को मार्केट में नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि इससे भाव बढ़ जायंगे। वह ब्लाक पर्चेजर्ज को मार्केट में जाने से रोकने के लिए उनको देती है, नहीं तो प्राइस लाइन को होल्ड करना मुश्किल हो जायगा। उनका यह कहना है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लखपतराम शर्मा---

मैंने पहले रखा था व्यवस्था का प्रश्न। कुछ तो कायदा कानून है या खत्म हो गये?

श्री हरीशकुमार गंगवार---

मैंने पहले रखा था। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय जगमोहनसिंह नेगी जब खड़े होते हैं और इधर लक्ष्य करके बात करते हैं तो उन्होंने कभी-कभी घूंसा दिखा कर बात की, जब इधर को हाथ बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि वह मार बैठेंगे। क्या उनको ऐसा करने का अधिकार है ?

श्री अधिष्ठाता---

वह उनकी बोलने की विधि है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु---

आप इस तरह से उनको जोक करने की इजाजत देते हैं और गम्भीर प्रश्न करने की इजाजत नहीं देते। मैं कई बार खड़ा हुआ। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं तो मुझे इजाजत नहीं देते हैं। इसका क्या कारण है ?

*श्री नेकराम शर्मा---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी आपने इस चीज को बार-बार रिपीट किया कि माननीय अध्यक्ष का ऐसा आदेश है कि इस पर सिर्फ वक्तव्य दिया जायगा कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन यह जानते हुए कि माननीय अध्यक्ष का यह आदेश है आपने कई आदमियों को विचार व्यक्त करने का मौका दिया। इसके बाद आपने कहा कि अध्यक्ष महोदय की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकते। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप स्वयं जानते थे कि माननीय अध्यक्ष के ऐसे आदेश हैं तो कुछ माननीय सदस्यों को आज्ञा देकर उनकी आज्ञा का स्वयं उल्लंघन किया, फिर बाकी माननीय सदस्यों को उनके अधिकार से वञ्चित करने का कौन-सा नियम है जब कि प्रदेश की हालत यह है कि लोगों को गेहूं और चावल नहीं मिल रहा है, मिल वालों को १६ रुपये में उधार गेहूं दिया जाता है और बीस रुपये मन में वह बेचते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष की आज्ञा को क्यों तोड़ा गया और फिर दूसरे माननीय सदस्यों को उनके अधिकार से क्यों बंचित रखा गया, इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

जो आपने कहा यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं था। आप कहना चाहते थे, आप कह गये। किसी एक विषय पर स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने कहा। मैंने कहा कि उत्तर देते समय माननीय मंत्री इन सारी बातों को ध्यान में लेते हुए उत्तर दें। लेकिन हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट रूप से इस पर लिख दिया था कि केवल वक्तव्य होगा। किसी ने उस पर प्रश्न नहीं किया, इसलिये आपने जो कहा है उससे व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अन्तर्गत आने वाले पदार्थों से भिन्न पदार्थों की संग्रहण विधि में संशोधन करने हेतु संकल्प (क्रमागत) †

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा आदरणीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जरा मेरी भी सुन लें। कल माननीय सहकारिता मंत्री जी ने यहां पर एक संकल्प पेश किया था मैं जरा उसकी वजाहत के तौर पर कुछ अर्ज करना चाहता हूं। वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के बारे में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†१४ अप्रैल, १९६४ की कार्यवाही से।

[श्री राममूर्ति]

गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक कानून बना हुआ है और एक लिस्ट स्टेट्स के बारे में बनी हुई है जिसके मुताबिक सामान स्टोर किया जा सकता है। अगर कुछ और सामान स्टोर करने की जरूरत हो तो उसके लिये यह कानून है गवर्नमेंट आफ इंडिया स्टेट्स से दरख्वास्त करें कि वह एक नया कानून बनाने की आज्ञा दे। लिहाजा हमसे भारत सरकार ने यह पूछा कि वह तम्बाकू, लाख और ऊन और रखना चाहते हैं जो मौजूदा कानून के मुताबिक नहीं रख सकते।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

क्या चीजें आप और रखना चाहते हैं?

श्री राममूर्ति---

ऊन, लाख और तम्बाकू। उसके लिये कांस्टीटयूशन की धारा २५२ के मुताबिक जब कानून बन जायगा तब भारत सरकार को अख्तियार हो जायगा कि इन तीनों चीजों को रख सकें। सिर्फ इतना-सा रिजोल्यूशन है जो आप की खिदमत में पेश है, आप इसको पास कर देंगे तो यह गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेज दिया जायगा, वह ड्राफ्ट बिल जो भेजेंगे वह हम आपके सामने रख देंगे, आप के ऐप्रूवल के बाद जब वह कानून बन जायगा तब हम तीनों चीजों को स्टोर में रख सकते हैं। आपकी इनायत और मेहरबानी की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि यह संकल्प आप जरूर पास करेंगे।

*श्री कमलासिंह यादव---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव इस सदन के समक्ष माननीय मंत्री जी ने रखा है मैं समझता हूं कि इस सरकार के पास कोई ताकत नहीं है कि वह इस प्रस्ताव को पास करा ले और इसका नतीजा अन्त में शायद इसी सदन में मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज यह है कि २४९, २५० और २५२ कांस्टीटयूशन की धारायें इससे सम्बन्धित हैं। एक लिस्ट बनी हुई है बेयर हाउसिंग के लिये, लिस्ट २ और ३ जो हैं अगर उनमें कोई ऐसी बात हो जिसके बारे में हमारा स्टेट जो कानून नहीं बना सकता तो इस वक्त उसके पास कांकरेन्ट लिस्ट होने के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि २ या २ से अधिक असेम्बली अगर प्रस्ताव पास करके भेजें तो उस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण सुना। आपने उत्तर प्रदेश में इस रेजोलूशन को पास करने का जिक्र किया, लेकिन २५२ में संविधान की धारा में यह दिया है कि २ या २ से अधिक विधान सभायें ऐसा रेजोलूशन पास न करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून ऐसा नहीं बना सकती। माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मालूम हो कि और भी स्टेट ऐसा रेजोलूशन पास करके केन्द्रीय पार्लियामेंट के पास भेज रही हैं, ताकि वहां पर भी इस तरह के रेजोलूशन को एडाप्ट करके कानून में परिवर्तन किया जाय।

तीसरी चीज यह है कि जहां तक इस रेजोलूशन का सवाल है यह देखा जा रहा है कि बेयर हाउसिंग विधेयक हमारे प्रदेश में सन् १९५८ में पास हुआ और वह १९५९ में कानून बना, लेकिन जहां तक गुड्स की डेफिनिशन का सवाल है वह सन् १९५८ से आज तक नहीं हुई है। बेयर हाउसिंग विधेयक, १९५८ के अन्दर यह भी दिया हुआ है कि "Goods means such article or articles as may be prescribed" तो आज तक सरकार ने गुड्स की डेफिनिशन को, जो प्रेस्क्राइब्ड होने वाली थी, उसको नहीं डिक्लेयर किया है। यह सरकार की जिम्मेदारी थी। बेयर हाउसिंग विधेयक यहां से १९५८ में पास हुआ और अब सन् १९६४ चल रहा है। इतने अरसे के बीतने के बाद भी उसके रूल्स आज तक नहीं बने और न गुड्स की डेफिनिशन आज तक कायम कर सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौथी बात यह है कि जो वेयर हाउसिंग बिल यहां आया था उसमें कोई भी ऐसी डेफिनिशन नहीं है और उसमें जितनी बातें दी गई थीं और जो कारण विधेयक को पास करके के लिये दिये गये थे उनमें साफ कहा गया था कि जो किसान के प्रोड्यूस होंगे, उससे सम्बन्धित जो चीजें होंगी, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होंगी सामान को वेयर हाउसेज में रखने के लिये उसको मीट करने की दशा में यह सरकार नहीं है। सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है कि वह एग्रीकल्चरल सामान को रखने के लिये उतनी तादाद में वेयर हाउसेज बना सके और किसान की हर प्रोड्यूस को वेयर हाउसेज में स्थान दे सके। तो एक समस्या तो यह है कि किसानों के लिये आप के पास साधन नहीं हैं और आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जगह इन वेयर हाउसेज में ट्रेड और कामर्स से सम्बन्धित चीजें रखी जायं। मंत्री जी यह चाहते हैं कि इन वेयर हाउसेज का इस्तेमाल ट्रेड के लिये हो। आप हाउस को इसके लिये परसुयेड कर रहे हैं किसान के नाम पर, लेकिन इस आड़ में आप ट्रेडर्स को मदद करना चाहते हैं। आप की कामना उल्टी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको किसानों के प्रोडयूस सेफ कस्टेडी में रखने के लिये यह इमदाद की थी, लेकिन आप किसानों की जरूरत के मुताबिक यह वेयर हाउसेज नहीं बनवा सके। इसीलिये वेयर हाउसेज के लिये किराये के मकान लिये जायं, इस तरह का फैसला किया गया था। इस समय आप चाहते हैं कि उन वेयर हाउसेज का इस्तेमाल ट्रेड के लिये किया जाय। हम लोगों ने देखा कि एक तरफ रूरल एरिया के लोगों की आमदनी गिरती जा रही है और दूसरी तरफ अरबन एरिया के लोगों की हालत ठीक होती जा रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो अगर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वह उचित नहीं होगा और इस भावना को लेकर अगर कोई कानून भी बनता है तो वह उचित नहीं बनेगा। जिस समय देश में भुखमरी की हालत है उस समय केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकार का यह सब से पहला काम है कि एग्रीकल्चर प्रोडयूस को अच्छी तरह से रखने के लिये इन वेयर हाउसेज का इस्तेमाल करें और जब उससे यह बच जाय तो उनका इस्तेमाल ट्रेड परपजेज के लिये किया जा सकता है, लेकिन अभी तक तो किराये के मकान लेकर ही आप काम चला रहे हैं, इसीलिये मैं समझता हूं कि यह संकल्प केवल किसानों के नाम पर ट्रेडर्स को फायदा देने के लिये लाया गया है।

भूमि विकास बैंक विधेयक के सिलसिले में मैंने बतलाया था कि यदि किसान की भूमि कट जाय या उसका दाम घट जाय तो उसका बकाया आप फौरन वसूल कर लेने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके बरअक्स जब कोई मिल मालिक अपनी शक्कर की मिल बन्द करता है तो आप उसे मिल चलाने के लिये करोड़ों रुपया देने को तैयार रहते हैं। किसान को देने के लिये आप के पास रुपया नहीं है। इस संकल्प के जरिये सरकार यह चाहती है कि केन्द्रीय सरकार यह कानून बना दे कि वह वेयर हाउसेज जो किसानों के लिये बनाये गये हैं, ट्रेड और इन्डस्ट्री के नाम पर, उद्योगपति उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सदन इस प्रस्ताव का विरोध करेगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय खाद्य मंत्री जो, जो वक्तव्य आप को १६ तारीख को देना था, अगर आप तैयार हों तो उसे आज ४ बजे दे दीजिये।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

मैं प्रयत्न करूंगा, अगर तैयार हो गया तो दे दूंगा।

(व्यवधान)

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने पेश किया है मैंने उसे बड़े गौर से सुना, क्यों कि यह प्रस्ताव थोड़ा मौलिक है। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी के भाषण से कई बातें स्पष्ट नहीं हो पायीं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फूलसिंह]

जिससे यह बात पता चल सके कि यह प्रस्ताव पास होना ही चाहिये। हमारे देश में कई तरह के वेयर हाउसेज हैं। जो वेयर हाउसिंग ऐक्ट केन्द्रीय सरकार का है, उसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के बने हैं। कुछ स्टेट के भी बने हैं। अभी पिछले महीने जो हमने एक विधेयक पास किया था उसके अनुसार दुकानदारों के गोदामों को भी हमने वही दर्जा दिया जो वेयर-हाउसिंग का था। इनको बनाने का मकसद यह था कि किसानों का अनाज उसमें जमा हो और जब भाव तेज हो तब वे अपना अनाज बेंच सकें। बात यह है कि जब किसान की फसल तयार होती है उसको पैसे की जरूरत होती है और वह उसको फौरन बेंचने के लिये मजबूर होता है। उस वक्त भाव सस्ता होता है। इसमें सामान रख कर ७५ फीसदी रुपया उनको मिल सकता है। तो इस मकसद से यह बनाये गये थे। बदकिस्मती से अभी तक देश में किसानों ने इससे फायदा नहीं उठाया है। दूकानदार लोगों ने ही फायदा उठाया है। अब तो उनके लिये यहां तक कर दिया गया है कि उनको अपना माल गोदामों में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी दूकानों को ही गोदाम बना दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर विचार कर लिया जाय। माननीया मुख्य मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं, यह बुनियादी प्रश्न है, इस पर हमें गम्भीरता के साथ विचार कर लेना चाहिये। सहकारिता जी जो स्कीम है उसमें यह एक नया मोड़ है। उस मोड़ में हमें आगे बढ़ने से पहले इस पर खूब विचार करना चाहिये कि आया यह कदम किसानों के हित में है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम यह कदम उठा कर अपने कर्मचारियों की वह कमी पूरा कर रहे हों जो उन्होंने की है और किसानों को अपना सामान वहां रखने के लिये आमंत्रित नहीं किया है। ऐसे प्रस्ताव को इतनी जल्दी नहीं पास करना चाहिये। मैं अभी भी यह जानना चाहता था कि कौन-कौन चीजें इसमें रखने की आवश्यकता है और क्यों है। मेरा खयाल था कि शायद किसान के हित की चीजों के रखने की बात हो, लेकिन मैंने सुना कि ऊन, तम्बाकू, और लाख रखने की बात है। लाख हमारे यहां मिर्जापुर में होता था जो अब मटिया-मेट हो चुका है। तम्बाकू की दो कैटेगरीज हैं, एक खाने की और दूसरा सिगरेट की। सिगरेट की तम्बाकू कम्पनीज पैदा कराती हैं और स्टेट ने जितना पैसा तम्बाकू में लगाया है वह सब सिगरेट वाले तम्बाकू में लगाया है। तो यहां कौन-सा तम्बाकू जमा कराने की बात सरकार सोच रही है? जैसा कमलासिंह जी ने कहा, इस प्रस्ताव को जल्दी में पास नहीं करना चाहिये।

(इस समय १ बज कर ८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती सुशीला रोहतगी, पीठासीन हुईं।)

आढ़तियों की दूकानों को गोदामों की संज्ञा देने से हमारी बहुत बदनामी होगी। संविधान की धारायें कामर्स और ट्रेड के लिये हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार ठंडे दिल से कदम उठावे, वरना आने वाली सन्तान हमारी इसके लिये बहुत आलोचना करने वाली है। मैं इतनी ही बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राममूर्ति--

मान्यवर, कल सहकारिता मंत्री जी ने जिक्र किया था और जो माननीय सदस्य उस समय होंगे उन्हें खयाल होगा कि केन्द्रीय सरकार की यह इच्छा है कि वह तम्बाकू और लाख को अपने गोदामों में रखे, ताकि उनकी एक्सपोर्ट में उसे आसानी हो। ऊन, तम्बाकू और लाख स्टेट्स की लिस्ट में आती हैं। इसलिये उन्होंने हमसे ही नहीं, सारी स्टेट्स से कहा है कि अगर स्टेट्स उनको प्रस्ताव के द्वारा इजाजत दे दें तो वह एक बिल पास करके ऐक्ट बना देंगे। यह प्रस्ताव काउंसिल ने पास भी कर दिया। कमलासिंह जी ने जिन बातों का जिक्र किया उनसे इस प्रस्ताव से कोई वास्ता नहीं है। हम तो केवल गवर्नमेंट आफ इंडिया को इजाजत दे रहे हैं कि वह कानून बनाले और इन चीजों को अपने गोदामों में रखले।

श्री कमलासिंह यादव---

सेंट्रल वेयरहाउसिंग कोआपरेशन ऐक्ट, १९६२ में लिखा है कि---

"An Act to provide for the incorporation and regulation of corporations for the purpose of warehousing of agricultural produce and certain other commodities and for matters connected therewith."

सेंट्रल ने केवल एग्रीकल्चरल प्रोडयूस के लिये कानून बनाया है, ट्रेड और कामर्स के लिये नहीं बनाया है। आप इसकी ३३ की (ए) से (ई) तक पढ़ें। (ए) में इंडिस्ट्रियल प्रोडयूस की बात है, (बी) में फूडस्टफ्स और खाने वाले तेलों की बात है, (सी) में कैटिल फ़ाडर की बात है, (डी) में रा-काटन और काटन सीड के बारे में है, और (ई) में है रा जूट के बारे में। तो आखिरी ४ के बारे में सेंट्रल का वेयरहाउसिंग ऐक्ट है। (ए) के बारे में नहीं है। इसमें अगर आप 'गुड्स' की परिभाषा देखेंगे तो उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडयूस लिखा है। सेंट्रल का वेयर हाउसिंग का ऐक्ट ट्रेड और कामर्स से कनसर्न्ड नहीं है। केवल एग्रीकल्चर गुड्स और उससे कनेक्टेड चीजों के लिये है। २६ और २७ में भी वही बातें हैं जो ३३ (ए) में आती हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल गुड्स से संबंधित वेयर हाउसिंग ऐक्ट, १९६२, बनाया तो उसे क्या जरूरत पड़ गई कि ट्रेड और इंडस्ट्री के लिये हमसे प्रस्ताव पास कराना चाहती है।

श्री राममूर्ति---

अधिष्ठाता महोदया, मुझे इस बात से तकलीफ हुई कि जिस बात को मैंने अर्ज किया उसको कमलासिंह जी ने गौर से नहीं सुना। मैंने यह नहीं कहा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया हमको मजबूर कर रही है कि हम क्या रखें और क्या न रखें गवर्नमेंट आफ इंडिया अपने वेयर हाउसेज में जो सामान अब रखना चाहती है वह उनकी लिस्ट के अन्दर नहीं है उनके बारे में हमारी अनुमति चाहती है। हम अपने प्रदेश में जिन चीजों को रख रहे हैं वह तो हम उसके अनुसार रखते ही रहेंगे। अपने वेयर हाउसेज के बारे में वे कानून बनाना चाहते हैं।

श्री कमलासिंह यादव---

२६-२७ की उनकी जो लिस्ट है उसके साथ ३३ (क) पढ़ लीजिये।

श्री राममूर्ति---

मैं उसको समझ रहा हूं। वे तो केवल यह चाहते हैं कि वे अपने वेयर हाउसेज में जो नयी चीजें रखना चाहते हैं, उसमें स्टेट को कोई ऐतराज तो नहीं है।

इसके अलावा १४ स्टेट्स हैं। अगर उनमें से ८ स्टेट्स भी मंजूरी दे देती हैं तब भी वे इसका कानून बना सकते हैं। इसलिये खाली रिजोल्यूशन के जरिये से वे हमसे इजाजत मांग रहे हैं। वे इन चीजों को इसलिये लखना चाहते हैं क्योंकि कनके एक्सपोर्ट करने में उनको आसानी होगी इसलिये माननीय कमलासिंह जी का खयाल और मेरा खयाल कहीं क्लैश नहीं करता।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मैं माननीय मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि पहले यह रिजोल्यूशन अंग्रेजी में लिखा गया और फिर 'मक्षिका स्थाने मक्षिका' करके उसका तर्जुमा कर दिया गया। मैं तो कम से कम उसका एक भी शब्द समझ न सका। जब मंत्री जी और माननीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार क्या चाहती है, तब जाकर कुछ समझ में आया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

भारत सरकार यह चाहती है कि अपनी लिस्ट भी हमें दे दीजिये। क्यों दे दें? क्या उससे हमारा व्यापार बढ़ जायगा। लिस्ट बदलने से भारतीय संविधान पर भी असर पड़ेगा। इन तमाम बातों के लिये मुझे पता नहीं कोई सामग्री हमें दी गयी है या नहीं, कम से कम मुझे तो उसके बारे में कोई चीज मिली नहीं है जिससे कि कुछ जानकारी हो सकती। यह अल्लाह मियां का प्रकाश तो है नहीं कि उसने कह दिया प्रकाश होजा और हो गया। यह एक गम्भीर प्रश्न है इस पर अच्छी तरह से विधान सभा को विचार करना चाहिये।

इसके अलावा मंत्री जी ने जो यह कहा कि उनकी बात और कमलासिंह जी की बात एक ही है। यह बात गलत है। मंत्री जी का भाष्य और माननीय कमलासिंह जी का भाष्य बिल्कुल अलग अलग है। हमें वे समझायें कि हम अपनी लिस्ट से उनको क्यों दे दें। आप हमको यह धमकी देते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर भारत के बहुमत राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया तो उत्तर प्रदेश देखता रह जायगा। तो मैं आपको बतला दूं कि उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जिसने जुडिशियरी बनाम लेजिस्लेचर का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में छेड़ दिया गया है और यहां की विधान सभा से आप चाहते हैं कि हमारे संविधान द्वारा जो सदन को अधिकार मिल है उसे हम इस संकल्प द्वारा छोड़ दें, ताकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट तम्बाकू, लाख, व ऊन को बेयर हाउसेस में रख सके। मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और दोस्त के नाते माननीय मन्त्री को अपनी नेक सलाह देता हूं कि वे अपने इस संकल्प को वापस ले लें और विचार करके इससे सम्बन्धित ज्ञापन हम लोगों को दें। इसको जल्दी में पास कराने की कोशिश न करें।

श्री राममूर्ति—

माननीया, मैं यह नहीं समझ सका कि माननीय उग्रसेन हर बात में न मालूम क्यों भड़क उठते हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमें कोई धमकी दी है। यह तो कानून बना हुआ है जिसके अनुसार कोई भी प्रस्ताव वे रेफर करते हैं स्टेट्स को, तो कोई भी ८ स्टेट्स उसे पास करके भेज दें तो कानून बन जायगा और इस तरह से उनका काम चल जायगा।

श्री उग्रसेन—

इसके माने यही हैं कि यह एक तरह की धमकी हैं।

श्री राममूर्ति—

जैसे कि उन्होंने सब स्टेट्स से दरख्वास्त की कि इस तरह का रिजोल्यूशन आप पास कर दें तो उन्हें सहूलियत हो जायगी कानून बनाने में और इस बीच में आपने उसे नहीं पास किया और ८ दूसरे स्टेट्स ने उसे पास करके भेज दिया तो वह कानून बन जायगा। यह तो एक बहुत ही सिम्पिल चीज है, इसमें लेने देने का कोई सवाल नहीं है। यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया को ट्रेड में एक सहूलियत देने के लिये है। जो चीज उनके पास आज लिस्ट में नहीं है के उसके लिये वे चाहते हैं कि स्टेट्स इजाजत दे दें कि उनको भी बेयर हाउसेज में रखा जाय। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार चाहती है कि हम इस रिजोल्यूशन को पास कर दें....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उग्रसेन जी, जैसे सदन ने शान्तिपूर्वक आपके भाषण को सुना है उसी तरह से आप भी दूसरे के भाषण को सुनने का कष्ट करें।

श्री मैनेजरसिंह---

साथ ही माननीय मन्त्री जी ने यह भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की बिधान सभा यह प्रस्ताव पास न करे और दूसरे ८ स्टेट्स इसको पास कर दें तो भी वह कानून बन जायगा। ऐसी अवस्था में हम ऐसा महसूस करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की विधान सभा यह प्रस्ताव न पास करे तो अच्छा है और स्टेट्स की बिधान सभायें इस प्रस्ताव को पास कर दें तो उससे हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन वेयर हाउसेस की जो सुविधाएं दी गयी हैं वे इसलिये हैं कि कृषि से सम्बन्धित वस्तुयें उनमें रखी जायं, लेकिन आप कहते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक संकल्प पास कर दें ताकि केन्द्रीय सरकार पार्लियामेंट में एक कानून बनावे कि किसानों को किसानी से पैदा की हुई वस्तुओं के लिये जो सुविधायें दी गयी हैं वे कम कर दी जायं और इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस के रखने के लिये उनको सुविधा दे दी जाय। मैं समझता हूं कि परोक्ष रूप से, किसानों को उनके द्वारा पैदा की हुई चीजों के लिये जो सुविधायें दी गयी हैं उनमें यह कटौती का संकल्प है। मैं ऐसा समझता हूं और माननीय मन्त्री जी भी इससे इत्तफाक करेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा ऐसे कार्य में सहयोग न करे जिस कार्य से किसानों की सुविधाओं में कटौती हो रही हो, क्योंकि पार्लियामेंट में जब यह बिल पेश होगा और उस पर एतराज किया जायगा तो कहा जायगा कि अमुक-अमुक स्टेट की बिधान सभाओं ने चूंकि प्रस्ताव पास किया है, इसलिये इस बिल को लाना पड़ा और उस वक्त कहा जायगा कि उत्तर प्रदेश की बिधान सभा ने संकल्प द्वारा मांग की है।

श्री राममूर्ति---

मैं जरा सा स्पष्टीकरण कर दूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमें लिखा है, हम अपने से नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा रिजोल्यूशन पास कर दें तो कानून के बनाने में उन्हें सहूलियत हो जायगी। उन्होंने हम से दरख्वास्त की है।

श्री अधिष्ठाता ---

मैं माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये यह संबिधान की धारा २५२ पढ़े दे रही हूं ताकि यह स्पष्ट हो जाय कि केन्द्रीय सरकार ने क्यों भेजा है। यह अंग्रेजी में मैं पढ़े दे रही हूं। इस में है कि---

"252. (1) If it appears to the Legislatures of two or more states to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250 should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the Houses of the Legislatures of those States, it shall be lawful for Parliament to pass an Act for regulating that matter accor dingly, and any Act so passed shall apply to such States and to any other State by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the Legislature of that State."

इसमें यह इस तरह से है जैसा कि अभी मन्त्री जी ने इसके अनुसार स्पष्ट कर दिया। इसमें कोई धमकी का प्रश्न नहीं है, यह तो आप की सहूलियत पर है।

श्री मैनेजरसिंह---

आप ने जो यह धारा २५२ पढ़ी उससे साफ है कि केन्द्रीय सरकार ने हमें क्यों लिखा। यदि हम आवश्यकता महसूस करेंगे या यह विधान सभा इसकी आवश्यकता महसूस करेगी तो संकल्प कर के हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं। इस समय केन्द्रीय सरकार को

[श्री मैनेजरसिंह]

प्रस्ताव यहां से मंगाने की क्या आवश्यकता पड़ी ? हम आवश्यकता समझेंगे तो प्रस्ताव करेंगे। केन्द्रीय सरकार परोक्ष रूप से वह काम जो स्वयं करना चाहती है उसका अजस उत्तर प्रदेश विधान सभा को और इस सरकार को देना चाहती है । उस अजस के काम में हम क्यों हाथ बंटायें । इसलिये मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मन्त्री जी की पार्टी की सरकारें जो अन्य सूबों में हैं उन्हीं को ऐसे संकल्प भेजने दें । दूसरे सूबों में और वफादार लोग मिलेंगे, आप की सरकार को तो हाई कमान्ड की अधिक कृपा प्राप्त भी नहीं है, आप केन्द्रीय सरकार के उतने कृपा-पात्र नहीं हैं अतः अनावश्यक वफादारी दिखाना व्यर्थ है ।।

श्री उग्रसेन--

एक वाक्य मैं कह दूं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन पिकनाकेट एकेडेमी में नहीं भेज सकते।

श्री अधिष्ठाता--

इससे इसका क्या मतलब है ?

श्री उग्रसेन--

मतलब यह है कि २५२ की प्रक्रिया चालू हो सकती है, लेकिन वह गलत काम के लिये नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

बशर्ते कि बहुमत के बल पर न करें।

श्री राममूर्ति--

माननीया, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं माननीय कमला सिंह ने कुछ ऐसा जिक्र किया कि हम कोई बहुत जल्दी में हैं और रश करना चाहते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है । अगर यही आप का खयाल है तो आप इसको आज स्थगित कर दें, ताकि आप हम ४-६ आदमी और विभाग के लोग मिलकर बात चीत कर लें और इस पर अच्छी तरह से विचार कर लें और कनविन्स हो जायं तब फिर इस पर आगे विचार यहां हो जाय। इसलिये मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे स्थगित कर दें।

श्री अधिष्ठाता--

तो यह आज स्थगित किया जा रहा है।

श्री कमलासिंह यादव--

आप इसे पास करायेंगे या आज स्थगित कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--

जी हां, आज स्थगित कर रहे हैं और इस पर परामर्श करने के बाद फिर यहां अगले दिन विचार किया जायगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

जी नहीं, आप इसको थोड़ी देर के बाद ले लें, इस तरह से स्थगित न करें।

श्री राममूर्ति--

आज तो इसे स्थगित करने दीजिये । हम आप बात चीत कर लें फिर यह आ जायगा।

श्री कमलासिंह यादव---

कौन सा विधान है इस तरह स्थगित करने का ? अगर आपको पास कराना है तो आज ही पेश करिये।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय कमला सिंह जी ने यह कहा कि इसको आज ही पेश किया जाय अगर इसको पास कराना चाहते हैं। मन्त्री जी ने स्वयं आफर दिया कि हम और आप और डिपार्टमेंट के लोग बैठ जायं और इस मसले पर एक दूसरे के विचार सुन लें और एक दूसरे के तथ्यों को भी जान लें तो मैं नहीं समझ पाया कि कमला सिंह जी को क्या जिद है कि इसको अभी और आज ही पेश किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

उनका मकसद यह ही नहीं कि आज ही पेश किया जाय, बल्कि उनका मकसद यह है कि इस तरह के प्रस्ताव सदन में आप न लावें।

श्री नवलकिशोर---

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है कि दोनों तरफ के लोग बैठें और इस पर विचार कर लें और इसको आज स्थगित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

तो सदन की राय यह है कि आज के लिये यह विषय स्थगित किया जाय।

(किसी ने आपत्ति नहीं की)

अब दूसरा विषय लिया जा रहा है। माननीय परिवहन मन्त्री।

श्री कमलासिंह यादव---

जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायगा और सदन की राय मांगी जायगी कि उनको क्या राय है इसको स्थगित करने के लिये तभी कुछ किया जा सकता है। माननीया; आपने लोगों से राय नहीं ली कि आया स्थगित किया जाय कि नहीं।

श्री अधिष्ठाता---

इसमें आप लोगों में से किसी ने आपत्ति नहीं की।

श्री मैनेजरसिंह---

मैंने और माननीय कमला सिंह जी भी आपत्ति कर रहे हैं। आप इस प्रस्ताव को रखें और सदन इसको पास करे तब स्थगित हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मैनेजर सिंह और माननीय कमला सिंह जी की आवाज काफी ऊंची है पर उनकी कोई आपत्ति सुनाई नहीं पड़ी। तो मैं समझता हूं कि यह पास हो गया है।

श्री कशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

कमला सिंह जी का विरोध आपके विचार में विरोध नहीं है। इस पर सदन में बड़ा क्षोभ है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव २/३ की मैजारिटी के बगैर पास नहीं किया जा सकता है। इसीलिये ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मन्त्री जी इसको स्थगित करना चाहते हैं। मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। पर सदन अगर इसकी अनुमति दे दे तो ठीक है।

श्री मैनेजरसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मिल कर बात कर लेंगे और उसके बाद ले लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथी पांडेय जी और वकील साहबान इस पर विचार कर लें।

श्री अधिष्ठाता—

तो माननीय मैनेजर सिंह जी, इसे स्थगित कर दिया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आज पूरे दिन के लिये स्थगित हो रहा है या २–४ मिनट के लिये ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी ने इसे स्पष्ट कर दिया है।

श्री मैनेजरसिंह—

हम तो चाहते हैं कि जब आप अध्यक्षपद पर पीठासीन हों तो सब काम सर्वसम्मति से हों।

श्री अधिष्ठाता—

तो आज के लिये यह प्रस्ताव स्थगित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४*

रसद मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

माननीया अधिष्ठाता महोदया, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अभी तो मन्त्री जी बोल रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

जिस वक्त भी ये बोलेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। जो बिल माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है वह अनकान्स्टीट्यूशनल और अल्ट्रा वायरस है। क्यों है, वह मैं बतलाना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता—

यह विधेयक परसों प्रस्तुत हो चुका है। आज तो इस पर विचार हो रहा है।

श्री कमलासिंह यादव—

उस समय यह मिला नहीं था। जब मिला है तब कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट रेज किया जा सकता है। फिर आपने एलाऊ भी कर दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

इस समय तो विचार की बात है।

---

*१३ अप्रैल, १९६४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री कमलासिंह यादव---

आपने एक बार एलाऊ कर दिया है....

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

प्वाइन्ट आफ आर्डर। क्या अब वह स्टेज है जब यह कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट रेज किया जा सकता है ?

श्री अधिष्ठाता---

यह बिल परसों पेश हो चुका है और माननीय कमलासिंह यादव उस समय अपना विरोध प्रस्तुत करते, लेकिन वह स्टेज निकल चुका है। इस समय यह विचार करने के लिये प्रस्तुत है। माननीय मन्त्री जी इसको विचार के लिये प्रस्तुत करें।

श्री कमलासिंह यादव---

मैंने प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया, लेकिन आपने उसे सुना भी नहीं कि वह प्वाइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री अधिष्ठाता---

आपने रेज करके कुछ कहा ही नहीं।

श्री कमलासिंह यादव---

प्रोसीडिंग्स हैं। उसमें देख लिया जाय। आपने सुना ही नहीं।

श्री अधिष्ठाता---

आप तो बिरोध कर रहे थे। मैं बहुत स्पष्ट तौर से पूछना चाहती हूं कि आप प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहते हैं या आपत्ति करना चाहते हैं ? प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिये।

श्री कमलासिंह यादव---

मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। जो विधेयक लाया गया है वह अल्ट्रावायरिस है, अनकांस्टीट्यूशनल है। वह क्यों है, यह मैं बतला रहा हूं। पहली बात यह है कि यह जो उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ है वह हमारी स्टेट लिस्ट के अन्दर ५६ में दिया हुआ है। ५६ में यह है कि दो चीजों पर कानून बन सकता है मोटर के सिलसिले में। दो चीजों में एक तो गुड्स हैं और दूसरे पैसेन्जर्स हैं।

श्री अधिष्ठाता---

मैं कमला सिंह जी, आपका ध्यान सदन की नियमावली के नियम १२५ की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। उसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि चेयर से एक रूलिंग मैंने दे दी। माननीय मन्त्री जी इस समय जब भाषण जारी करें तब यह उचित नहीं है कि यादव जी उसका विरोध प्रस्तुत करके उसका उल्लंघन करें। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि वह इस बिल को सदन के समक्ष विचार करने के लिये....

श्री कमलासिंह यादव---

एक बार आपने व्यवस्था के प्रश्न पर आदेश दे दिया। मैंने अपनी बात कहनी शुरू की। तो आपने दूसरी रूलिंग दे दी।

श्री अधिष्ठाता---

मैंने रूलिंग पहले दे दी थी। माननीय मन्त्री जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं चैलेन्ज नहीं करता कि आपने पर्मिशन दे दी, लेकिन लीगल आब्जेक्शन जो मैंने रेज किया है उस पर सुन लीजिये। आपको पावर है कि आप उसे रूल आउट कर सकती हैं या जो उचित समझें कर सकती हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा भी यह हक है कि मैं कोई भी प्वाइन्ट आफ ला हो उसे पुट करूं और आप उसे सुनें।

श्री अधिष्ठाता--

आप जो कह रहे हैं वह इंट्रोडक्शन के वक्त अवश्य कह सकते थे, लेकिन वह स्टेज खत्म हो चुका है। आप अपना स्थान ग्रहण करें और बीच में दोबारा आपत्ति न करें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

किसी भी समय संवैधानिक आपत्ति की जा सकती है अगर कोई काम संविधान से परे इस आदरणीय सदन के अन्दर हो रहा हो। माननीय कमला सिंह जी की आपत्ति में समझता हूं कि जायज है और उनकी बात सुनी जाय कि जो बिल मन्त्री जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह कहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के प्रतिकूल तो नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय काशीनाथ जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे इस पैनेल के एक बड़े माननीय सदस्य हैं....

श्री उग्रसेन--

पैनेल के सदस्य तो हैं, लेकिन वहां बैठने का मौका कभी नहीं मिला।

श्री अधिष्ठाता--

उग्रसेन जी, अगली दफा जब मेरा चान्स आयेगा तो मैं माननीय काशीनाथ जी को आफर कर दूंगी।

श्री उग्रसेन--

माननीय अध्यक्ष हम लोगों से बड़े नाराज हैं, इसलिये इनके बैठने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

मैं नियम १२५ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। इसमें स्पष्ट लिखा है कि:--

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion may, without further debate, put the question :"

अब वह स्टेज चली गयी है और जब विचार करने के लिये सदन में प्रस्तुत है उस समय आप कैसे रोक सकते हैं? इसलिये मैं दोनों सदस्यों से निवेदन करूंगी, आप भी वकील दिमाग के हैं और हमारे पैनेल के मेम्बर हैं कि अब इस चीज को आप न उठायें।

श्री कमलासिंह यादव--

जिस कुर्सी पर आप बैठी हुई हैं वह किसी पार्टी की कुर्सी नहीं है, वह तो निष्पक्ष है और जब आपके मुंह से एक आदेश निकल जाय कम से कम उसके बाद जिस आदमी को आदेश देती हैं बोलने के लिये....

श्री अधिष्ठाता---

मैं बड़ी आभारी हूं कि आपने मुझे मेरी जिम्मेदारी की याद दिलायी । मैंने आपकी बात को डिसएलाऊ कर दिया और आपसे निवेदन करूंगी कि अब आप पुनः यह चीज न उठायें और अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, जो बिल आज इस हाउस के सामने विचारार्थ पेश है उसके उद्देश्य और कारणों में उसका उद्देश्य स्पष्ट कर दिया गया है और सब माननीय सदस्य इस स्थिति से परिचित हैं जिस दौर से हमारा देश और प्रदेश गुजर रहा है और एक नियोजित विकास में हम प्रयत्नशील भी हैं। यह भी सही है कि आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। साथ ही यह भी सही है कि टैक्सों का बोझ जैसी हमारी हैसियत है उसके मुताबिक बहुत काफी हमारे ऊपर हैं। इन सब बातों के बावजूद यह कष्टपूर्ण काम हमको करना पड़ रहा है, क्योंकि "कंटक: कंटकेनैव" कांटे को निकालने के लिये कांटे का ही इस्तेमाल किया जाता है। करों के जरिये हम साधन जुटाना चाहते हैं, जिससे इस प्रदेश का नियोजित विकास किया जा सके और उस विकसित नियोजन के द्वारा हमारी ऐसी स्थिति हो सके कि हम खुशी से कर भार को वहन कर सकें। आज वह स्थिति नहीं है। लेकिन कर्तव्य की पुकार जब होती है तो बड़े दुखदायी काम भी करने पड़ते हैं। इस बात की हमको कोई खुशी नहीं होती कि जनता पर कर लगायें, लेकिन मजबूरी है और प्रत्येक सदस्य इस मजबूरी को जानता है। जो अनुदान का हिस्सा हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वह भी हमें तभी मिलेगा जब हम अपने हिस्से का साधन इकट्ठा कर लेंगे।

इस सहायता के लिये नितांत आवश्यक है और अपने साधनों में स्वावलम्बी हो जायं, इसके लिये आवश्यक है कि यह कर लगाया जाय। बहुत सोच समझ कर इस विधेयक के जरिये एक कर की तजवीज की गई है। जो माल मालगाड़ी से ढोया जाता है उस पर यह कर लगाया जायगा और उसकी मात्रा जो किराया वसूल किया जाता है उसका ५ प्रतिशत होगा। प्राइवेट कैरियर जो माल किराये पर नहीं ढोते हैं उनके संबंध में यह प्राविधान किया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भाड़े की दर नियत करेंगे उसका मैक्जीमम ७५ प्रतिशत मान कर, उसका ५ प्रतिशत कर के रूप में लिया जायगा। इस प्रकार का कर हमारी स्टेट ही लगाने का प्रयत्न नहीं कर रही है, बल्कि कई अन्य प्रदेशों में लग चुका है जैसे आन्ध्र, आसाम, बिहार, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, मदरास, मैसूर तथा राजस्थान वगैरह में मालगाड़ी कर लगा हुआ है। जब १९६२ में यात्री कर की व्यवस्था की थी तो उसके साथ साथ अन्य प्रदेशों ने अपने यहां मालगाड़ी पर भी कर लगाने की व्यवस्था की थी। हमने सोचा था कि बिना इस कर को लगाये हमारा काम चल जायगा, लेकिन आज हम मजबूर हो गये हैं कि मालगाड़ी पर भी कर लगायें। इसको कम रखने का कारण यह है कि हमारे यहां रोड टैक्स काफी ऊंचा है इसलिये माल पर कर लगाते समय यह सोचा गया कि इसको जरा हल्का रखा जाय। इसलिये यह प्राविधान रखा गया है। वैसे इस बिल के जरिये १५ प्रतिशत तक कर सरकार बढ़ा सकेगी, ऐसा अधिकार चाहा गया है।

आजकल हमारे प्रदेश में १४,००० ट्रक्स चलती हैं जिनमें से २,००० प्राइवेट कैरियर हैं और १२,००० पब्लिक कैरियर्स हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक ट्रक १५०० रुपये प्रति माह की आमदनी करती है। अगर ५ प्रतिशत कर लगायें तो प्रति ट्रक ७५ रुपये महीने आते हैं। इस प्रकार से राज्य सरकार की आमदनी में प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकेगी। इस कर से कुछ माल को छूट भी दी गई है जिसका जिक्र इस विधेयक के खण्ड २ में कर दिया गया है। उनमें खाद्यान्न, दूध, चारा, खाद और उर्वरक, कृमि नाशक औषधियां और ऐसे उपकरण जो कृषि के काम में आते हों आदि। इसके अलावा खण्ड ७ में कुछ और छूट देने का अख्तियार राज्य सरकार को दे दिया गया है। जैसे दवा दारू और चैरिटेबिल इंस्टीट्यूशन्स जो माल ढोते हैं उन पर कर नहीं लगेगा, ऐसा प्राविधान रखा गया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

इस पर कितना खर्चा आयगा, यह भी बता दीजिये ।

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं कि कितना खर्चा आयेगा, क्या आयेगा उसको आप देख सकते हैं । इसके साथ ही इसमें इस बात का भी प्राविधान किया गया है कि यदि कोई इस कर को न दे और टालना चाहे तो उसके ऊपर पेनाल्टी भी लगायी जाय, जो २५ परसेंट से ज्यादा न हो । जिस पर कर लगाया गया है उसको अगर संतोष न हो तो उसको अपील का भी अधिकार दिया गया है । इसके साथ ही यह प्राविधान किया गया है कि जो ट्रक ड्राइवर्स और ओनर्स हैं उनके हित में भी है और सरकार के हित में भी है कि कर जो लगाया जाय उसको ऐग्रीमेंट के जरिये लगभग में हर तिमाही में वसूल किया जा सके । जिसके लिये शर्तें तय की जायेंगी । इससे कर की वसूली में आसानी होगी, ऐसा खयाल किया गया है । यह मोटी मोटी बातें इस करके सम्बन्ध में आपके सम्मुख निवेदन कर दी हैं ।

इस राज्य की स्थिति को देखते हुये नियोजित विकास की सफलता के लिये तथा जिस संकटपूर्ण स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुये, साधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर विचार करेगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जो गुड्स एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रक के जरिये जाते हैं उसका रेट क्या है और रेलवे का रेट क्या है और ५ से १५ परसेंट बढ़ा देंगे तो उसका रेट क्या होगा ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इतना डिटेल का सवाल है । रेल का क्या भाड़ा पड़ेगा, और मोटर का क्या भाड़ा पड़ेगा, रेल के साथ कम्पेटीशन का सवाल ही नहीं है । ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर जो दर तय किये हुये हैं, इस भाड़े के मैक्सिमम का ५० परसेंट पब्लिक कैरियर वाले वसूल कर सकते हैं, उस पर ५ परसेंट लगेगा और प्राइवेट कैरियर के केस में ७५ परसेंट पर लगेगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

मेरा आप पर चार्ज है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं । आप रेलवे के मुकाबले में जो लोग ट्रक से माल ले जाते हैं, उनके ट्रेड को बरबाद करना चाहते हैं । आप टैक्स ५ से १५ परसेंट लगाना चाहते हैं और इसके जरिये चाहते हैं कि ट्रक से जो माल जाता है, जो उनका फंडामेंटल राइट है ट्रेड करने का, उस राइट का हरण करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि लोग रेल से माल ले जायं और ट्रक वालों का ट्रेड बन्द हो जाय, इसकी आड़ में यह है । इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि मोटर से जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया जाता है उसका रेट क्या है और रेलवे का रेट क्या है ? आप कोई भी ला ऐसा नहीं बना सकते, जिसके द्वारा आप डिस्क्रिमिनेट करें किसी चीज को ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री इस समय इसका उत्तर देंगे या जिस समय उत्तर देंगे उस समय कहना चाहेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इस डिटेल का, जब उत्तर दिया जायगा तभी उत्तर दिया जा सकेगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं हो सकता कि जो प्राइवेट ट्रक्स से माल जाता है उसका क्या किराया है। क्योंकि अलग अलग जो बस के मालिक हैं वह अलग-अलग किराया चार्ज करते हैं। रेलवे के रेट्स मौजूद हैं उनको आप देख सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों की इजाजत देना जिसका उत्तर सरकार नहीं दे सकती, उचित नहीं होगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

जब आप मंत्री हो जाइयेगा तब यह सब कहियेगा। अभी से क्यों उतावले हो रहें हैं।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय शारदा भक्त सिंह जी अपना प्रस्ताव रखें।

*श्री शारदाभक्तसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं अपना प्रस्ताव इस प्रकार सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं, कि उत्तर प्रदेश गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ को तीन मास तक जनमत जानने के लिये जनता में परिचालित किया जाय।

अधिष्ठाता महोदया, सरकार ने यह जो कर लगाने का विधेयक सदन के सम्मुख रखा है, उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रान्त की जो आर्थिक स्थिति है उस पर उन्होंने स्वयं प्रकाश डाला है, लेकिन वर्तमान काल में जो सबसे गम्भीर परिस्थिति है जिसके कारण इस प्रान्त के कोटि कोटि लोग चिन्तित है वह मूल्य वृद्धि हैं। इस सदन में भी बारबार विवाद हुये और सरकार ने भी चिन्ता व्यक्त की कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य इतने बढ़ गये हैं कि साधारण जनता को अपना जीवन चलाना कठिन हो गया है। उस विवाद के समय सरकार ने भी यह आश्वासन दिया था कि सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाये जायेंगे जिनसे मूल्यों में कमी आवे और जनसाधारण को आवश्यक वस्तुयें कम मूल्य में प्राप्त हो सकें। सरकार ने यह स्वीकार किया था कि चीजों के दाम बहुत बढ़े हैं और यह आसमान छूने वाले मूल्य जो प्रान्त में हैं उनके कारण जनसाधारण के जीवन में कठिनाई आ गयी है। उसके कारण प्रान्त में बड़ी चिन्ता और असंतोष है। जहां हम इस बात की अपेक्षा करते थे इन तमाम कठिनाइयों पर कोई न कोई कदम सरकार द्वारा उठाया जावेगा, जनता को राहत मिलेगी, वहां आज यह विधेयक लाया गया है। जिनकी आमदनी कम है उनके लिये सरकार ने कई बार कहा है कि हमारे सारे प्रयत्न ऐसे होंगे कि हम इन मूल्यों पर काबू पाकर जनसाधारण को कम दामों में चीजें पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। मैं समझता हूं कि जब करोड़ों आदमी इस संकट से पीड़ित हैं और छोटे सरकारी कर्मचारियों ने भी सरकार से मांग की है कि उनके पास उपभोक्ता वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये साधन नहीं हैं, उनके वेतन कम हैं, गरीब जनता अभाव से ग्रस्त है, जब यह सारी मांगें सरकार के सामने हो रही हैं, सरकार चिन्ता भी व्यक्त कर रही है और बारबार इस सदन में आश्वासन देती चली जा रही है, उस समय इस प्रकार के कर लगाने की बात कहना मैं समझता हूं कि बड़ी अदूरदर्शिता होगी। आप कर लगाना चाहते हैं सिर्फ उन किरायों पर जिनके द्वारा आवश्यक वस्तुयें एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाये जाते हैं, इस विधेयक के नाम से ऐसा लगता है कि मोटर के किराये पर बड़ा टैक्स लगने जा रहा है, लेकिन अन्तिम फल यह होने वाला है कि जो माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जायगा उसकी कीमत में इस टैक्स से और वृद्धि हो जायगी, क्योंकि जो माल मोटर से दूसरी जगह ढोया जायगा उसका टैक्स वह अपने पास से देने वाले नहीं हैं। सरकार का भी यह मन्शा नहीं है कि वह टैक्स स्वामियों पर पड़े। वह रोजगारी लोग हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाकर देते हैं। उस पर ५ परसेन्ट यह सरकार टैक्स लगायेगी। उन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शारदाभक्तसिंह---

वस्तुओं के मूल्यों में यदि वह लगता है तो नतीजा यह होगा कि मूल्य कम करने के स्थान पर उनमें वृद्धि होगी । इसलिये सरकार अपने आश्वासनों के विरुद्ध कर-नीति पर विचार न करके गलत तरीके से टैक्स लगाती है, तो जिस चीज पर वह काबू करना चाहती है, मूल्य कम करना चाहती है, उनको वृद्धि की ओर जाने में प्रोत्साहन देगी । अगर सरकार ऐसा टैक्स लगाती है और जनता के सामने अपनी कर नीति में परिवर्तन नहीं दिखाती है तो आपके सारे आश्वासनों पर जनता का विश्वास उठ जायगा । जनता आज भी यह अनुभव करती है कि सरकार आज जो सदन में बात कहती है उसकी कथनी का करनी में परिवर्तन नहीं होता । इसलिये जो भी ऐसी समस्यायें आज जनता के सामने आती जाती हैं उनके लिये कोई हल नहीं निकलता है और वे समस्यायें हल होने के बजाय और उलझ जाती हैं और उन समस्याओं के प्रति वे एक प्रकार से खराब धारणा बना लेते हैं । इसलिये यह सरकार उन समस्याओं पर काबू नहीं पा सकती । मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछले दिनों जो भी मूल्यों में वृद्धि हुई है और जो भी महंगाई बढ़ी है वह सरकार की गलत नीति के कारण बढ़ी है ।

श्री कमलासिंह यादव---

इस समय सदन में कोरम नहीं है :

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री शारदाभक्तसिंह---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पहल इस बात को सिद्ध करे कि वगैर नया कर लगाये उसका कार्य नहीं चल सकता और उसके साथ साथ यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि सरकार ने फिजूलखर्ची में और जो भी किफायत हो सकती थी वह करने के बावजूद भी उसे टैक्स लगाना अनिवार्य है । इन दोनों शर्तों के पूर्ण करने के बाद और सरकार को प्रान्त की परिस्थिति पर विचार करने के बाद किसी प्रकार का कर लगाना चाहिये । इस पर गम्भीरता से विचार करने के बाद अगर सरकार फिर भी टैक्स लगाने की बात सोचती है । तो उन दो बीमारियों---महंगाई और भ्रष्टाचार को, जिनसे जनता का जन जन चिन्तित है, और बढ़ावा मिलेगा । एक ओर आप मूल्यों में कमी करना चाहते हैं, दूसरी ओर आप ऐसे टैक्स लगाना चाहते हैं जिससे मूल्यों में वृद्धि होने वाली हो । मैं समझता हूं कि यह सरकार की दूरदर्शिता की नीति नहीं है । अगर आप यही करना चाहते हैं तो जनता से साफ साफ कहें कि हमको किसी प्रकार भी रुपया चाहिये । आपकी नीतियों में कोई सामंजस्य नहीं है । अगर आपके लिये टैक्स लगाना अनिवार्य हो तो आपको परिस्थितियां देख कर टैक्स लगाना चाहिये । आज सरकार के पास चारो तरफ से प्रार्थनायें आ रही है कि महंगाई कम होनी चाहिये और यदि वैसा न हुआ तो एक ऐसा वातावरण बन जायगा कि जिसमें गरीब जनता में क्षोभ पैदा हो जाय । सरकार महंगाई से चिंतित है और वह जानती है कि जनता को कठिनाइयां हैं । आपने अभी ५ रुपया कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता बढ़ाया है, लेकिन दूसरी ओर आप इस प्रकार के टैक्स लगा कर उनसे यह रुपया वसूल कर लेना चाहते हैं । तो जब तक सरकार अपने ठोस कामों में इस मूल्य वृद्धि पर काबू न पा ले और उन्हें ऐसे स्तर पर न ले आये कि जिससे जन-साधारण के उपयोग की वस्तुयें उचित दाम पर उनको मिल सकें तब तक इस प्रकार के टैक्स लगाना निन्दनीय है ।

अगर आप यह कहें कि टैक्स लगाना अनिवार्य है और इसके लिये जनता को कष्ट सहना
मंत्री जी कहा करते हैं कि नियोजन काल है और नियोजन चलाना है । तो मैं
चाहता हूं कि जो समय आपने इसकी घोषणा के लिये निश्चित किया है वह अत्यन्त

गलत और असामयिक है । अभी हमारे और सोशलिस्ट पार्टी के विरोध के बावजूद आपने एक विधेयक पास किया है, जिस संबंध में लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं । कुछ लोग आप में से विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाना चाहते हैं और हम लोग उसका विरोध कर रहे थे । बिरोध इसलिये किया था कि हम जानते थे कि सरकार को रुपये की आवश्यकता है, टैक्सों से जनता के कष्टों में वृद्धि होगी, लेकिन उधर से कहा गया कि हम टैक्स तो लगायेंगे ही, लेकिन यह जो टैक्स लगाया गया है इससे जन जीवन अशान्त हो जायगा । जो विधेयक सरकार की ओर से पेश किया गया है उस पर या तो विचार नहीं किया गया या फिर कर नीति के बारे में उनको कोई स्पष्ट कल्पना नही है या फिर सरकार ने साधन अपनाते समय यह बात नहीं सोंची कि साधारण जीवन कायदे से चलता रहे। जो बिधायकों की तनख्वाहे बढ़ाने का सवाल है या अन्य सवाल हैं, उनके होते हुये जनता यह हम से पूछती है कि उनको आवश्यकता की वस्तुयें नहीं मिल पातीं और एक अभाव की स्थिति पैदा हो गयी है। इस कारण साधारण जीवन चलना दुष्कर हो गया है और इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि जिसके लिये सरकार ही उत्तरदायी होगी। ऐसे समय में हमारे लिये कोई औचित्य नहीं है ऐसा कर लगाने का कि जिससे आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाय।

जहां महंगाई में वृद्धि होगी, वहां पर भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। अगर कांग्रेस सरकार इस प्रान्त में भविष्य में इसी प्रकार राज्य करना चाहती है तो उसे सोचना पड़ेगा कि अगर वह महंगाई और भ्रष्टाचार ,इन दो बीमारियों को जब तक दूर नहीं करेगी, वह आगे नहीं चल सकती। आज हमें अपनी सारी शक्ति समेट कर इस समस्या को हल करने की ओर लगाना होगा। कांग्रेस सरकार इस ओर सजग नहीं है। आज टैक्सों को लगाकर हम इस समस्या को और विकराल बनाते जा रहे हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जनता की भावनाओं को जानना आवश्यक है। आप आज अगर कर लगाते हैं तो अपनी नीतियों के विरोध में लगाते हैं। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस समबन्ध में जनमत लिया जाय। जनता के मत को जानकर ही आप अपनी भावी नीति का निर्धारण करें। मैं जानता हूं कि आप अपने बहुमत के बल पर इसे पास करा लेगें लेकिन हमें और आपको जनता के बीच जाकर यह सिद्ध करना होगा कि जो कुछ हम करते हैं वह उचित है और आवश्यक है तथा उसके परिणाम अच्छे होंगे। अगर आज बहुमत के बल पर हम कोई टैक्स बढ़ाते हैं, मूल्यों मे बराबर वृद्धि होती रहती है, यातायात की कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं, भ्रष्टाचार कम नहीं होता, तो एक दिन स्थिति ऐसी आयेगी जो आपके कन्ट्रोल के बाहर हो जायेगी । आज लोगों को जीवन से निराशा हो गयी है । इस समस्या के हल के लिये आपको कोई रास्ता निकालना होगा । ऐसी स्थिति में अगर आप टैक्स लगाते हैं तो हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा । मैं यह मानता हूं कि नियोजन के लिये पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन आप यह बात क्यों भूल जाते हैं कि नियोजन के साथ अगर जनसहयोग नहीं होगा तो आपका नियोजन चल नहीं सकता। बिना जन सहयोग के हमारी योजनायें असफल हो जायेंगी । आज हमें जो सफलता नहीं मिल रही है उसका एक मात्र कारण हैं कि हमारी योजनाओं के पीछे जन-भावना और उनका सहयोग नहीं है । सरकार जहां इस बात का बार बार ढिंढोरा पीटती है कि हमें नियोजन के लिये कर लगाना पड़ता है, सरकार को उसके लिये पैसे की जरूरत है, वहां मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको उसके लिये जन विश्वास और जन सहयोग की भी उतनी ही आवश्यकता है । इस प्रकार के टैक्स लगाकर आप सारे जन सहयोग को हमेशा के लिये समाप्त करना चाहते हैं और एक विरोध पैदा करना चाहते हैं । जो इस प्रान्त और सरकार के लिये अच्छा न होगा, उसमें भविष्य के लिये खतरा है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस टैक्सेशन विधेयक को जनता को भेजा जाय जो इस पर अपना मत व्यक्त कर सके । अगर वह इसको उचित समझेगी तो अवश्य इसमें उसका सहयोग मिलेगा, लेकिन अगर आप बहुमत के बल पर आर्थिक नीति के विरोध में तथा वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में न रख कर, इसको पास करा लेते हैं, तो कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं जिनमें से आपको निकलना मुश्किल हो जायगा । इसलिये मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि मेरा प्रस्ताव मान लिया जाय ।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट ३ मास में दे दे ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की अक्ल में यह बात आयेगी कि इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, क्योंकि आज जो महौल इस प्रदेश में है उसमें यह पहला ही टैक्स है जो इस सदन में पेश किया गया है । इस बिल से लोगों को भ्रम उत्पन्न हो सकता है अथवा उनके दिमाग में गलतफहमी हो सकती है । आज इसके द्वारा माल ढोने वाले ठेलों पर यह सरकार कर लगाने जा रही है । उस माल पर जो माल कि प्रदेश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक तथा प्रदेश के बाहर से भी आता जाता है । आपने इसमें यह भी कहा कि कुछ माल पर एक्जेम्पशन वे देंगे, लेकिन जनसाधारण के मस्तिष्क में यह गलतफहमी पैदा हो सकती है कि सरकार आगे चल कर वर्तमान शेड्यूल में तब्दीली करके उन चीजों को भी ले आयेगी और उन पर भी टैक्स लगा देगी जिन पर आज टैक्स नहीं लगाया जा रहा है । यह मंत्रालय पिछले दिनों से वैसे ही बदनाम है ।

श्री अधिष्ठाता—

टम्बेश्वर प्रसाद जी, अगर आप बातें करना चाहते हैं तो पीछे बैठ कर बातें कर सकते हैं। खड़े होकर कृपया बातें न करें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, राममूर्ति जी को भी कहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर वे खड़े हों तो वे भी बैठ जायं ।

श्री उग्रसेन—

महोदया, आपने मंत्री जी को देखा भी नहीं और व्यवस्था दे दी ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने व्यवस्था तो यह दी कि आप सदन में खड़े न रहें । आप बातें करना चाहें तो पीछे बैठकर कर सकते हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह—

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह मंत्रालय ऐसा मंत्रालय नहीं है जिसके विरुद्ध कुछ बातें न कही गयी हों । कल ही जब मैंने एक सवाल किया था तो उसका यह उत्तर दिया गया कि अभी जांच हो रही है, इसलिये इसके सम्बन्ध में कुछ कहना उचित नहीं है । तो मैं यह कह रहा था कि इस मंत्रालय में एक जांच चल रही है उसमें यह भी सम्भव है कि कुछ अधिकारीगण भी आवें जिनकी वजह से पूरे प्रदेश में जो एक भ्रम फैला हुआ है, जब तक उस जांच की रिपोर्ट नहीं आती और लोगों का दिमाग साफ नहीं होता तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता है । यह मंत्रालय अगर यह दावा करे कि हम यह टैक्स इसलिये लगा रहे हैं कि हमको इस प्रदेश में नियोजन के कार्य करने हैं, तो मैं समझता हूं कि यह बन्दर के हाथ में छूरा देने की बात होगी । अगर यह मंत्रालय समझता है कि वह टैक्स लगा कर प्रदेश की बहबूदी के लिये साधन जुटाये जायेंगे, तो उसकी गुंजायश लोगों के दिमाग में कम होगी बनिस्बत इस बात के कि लोग सोचेंगे कि ट्रक तथा बसेज़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के परमिट के मामले में अब कहीं ऐसा न हो कि ये जो ट्रक्स ओनर्स हैं उनको अपनी मुट्ठी में लेकर, उनको कस कर उन्हें जकड़ने की कोशिश की जाने वाली है। इससे ज्यादा गलतफहमी फैलेगी और भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा तथा जब इस प्रदेश की जनता इस बिल द्वारा लगाये जाने वाले कर के बारे में सोचेगी तो वह कराह उठेगी। इसीलिये मैं कहता हूं कि अगर आप इस टैक्स को नियोजन के कार्य में लगाना चाहते हैं तो कौन कहेगा कि टैक्स न लगे और नियोजन का कार्य न हो ? इस तरह की बात तो वे ही लोग कह सकते हैं जिनका नियोजन में विश्वास न हो और जो इस देश व प्रदेश की तरक्की व बहबूदी न चाहते हों, लेकिन हमारे जैसा आदमी यही कहेगा.....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी)

श्री उग्रसेन—

यह घंटी कितनी देर तक बजेगी ?

श्री अधिष्ठाता—

अभी तो ५ मिनट भी नहीं हुये हैं।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं यह कह रहा था कि नियोजन के कामों में अगर जनता का विश्वास हो तो वह कोई भी ऐसे टैक्स बरदाश्त करने को तैयार हो सकती है और प्रश्न यह है कि अगर विश्वास प्राप्त नहीं है तो उसका विश्वास सरकार प्राप्त करे। मंत्री जी ने कहा कि बहुत से प्रदेशों में इस तरह के टैक्सों लगे हुए हैं और इसलिये हम भी इस टैक्स को यहां लगाना चाहते हैं। लेकिन उन बहुत से प्रदेशों की हमसे परकैपिटा आय भी तो बहुत अधिक है उसको बढ़ाने की बात आपने यहां क्यों नहीं करते पहले। टैक्स लगाने में तो दूसरों की नकल करना चाहते हैं, लेकिन जब आय बढ़ाने का प्रश्न होता है तो कहते हैं कि हमको थोड़ा मौका दो।

श्री उग्रसेन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मिसल साहब मंत्री जी को क्या समझाते जा रहे हैं। अगर मंत्री जी को समझाने की इस तरह से जरूरत है तो उनके लिये कोई स्कूल खोल दिया जाय।

श्री राममूर्ति—

यह तो यहां के सेक्रेटरी हैं, यह सबको समझा सकते हैं चाहे किसी को।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जनता में विश्वास पैदा करना होगा और लोगों को दिखाना होगा कि दूसरे प्रदेशों की तरह यहां भी परकैपिटा आय बढ़ी है और जब हम उसमें भी दूसरे सूबों के बराबर हो जायं, तो हम यह सोच सकते हैं कि ऐसा टैक्स लगना चाहिये या नहीं, लेकिन अगर यह मान भी लिया जाय कि इस सरकार की यह मंशा है तब भी मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि आप जरा इस बिल के बारे में देखें कि दो तरह का इसमें टैक्सेशन है, प्राइवेट कैरियर्स के बारे में और पब्लिक कैरियर के बारे में अगर इतना ही नहीं, बल्कि यह भी प्राविधान किया गया है अगर कोई चाहे तो एकमुश्त टैक्स की अदायगी कोई आपरेटर कर सकता है।

श्री उग्रसेन—

व्यवस्था का प्रश्न है कि श्री शान्ति प्रपन्न जो बिना आप की आज्ञा के बीच में खड़े हैं।

श्री अधिष्ठाता—

वह तो जा रहे हैं, रास्ते में हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

तो जब एकमुस्त अदायगी की बात आयेगी तो कौन-सा ऐसा मापदंड सरकार के पास होगा कि जिससे सरकार एसर्टेन करेगी कि इतना ही माल कोई आपरेटर भरेगा और उससे इतना ही पैसा लिया जायगा। यह भी कुछ अच्छी बात मालूम नहीं होती। दूसरे इसमें व्यवस्था की जायगी कि हर ट्रक पर रजिस्टर रखा जायगा और जो वह रजिस्टर होगा उसमें दर्ज किया जायगा कि कौन-कौन-सा माल जा रहा है। जब ट्रक माल लेकर चला फिर उसमें डिस्टेन्स का सवाल पैदा होगा। फर्ज कीजिये कि अगर कोई गोरखपुर का ट्रक वाला कानपुर से माल लेकर चला और वह अपने रजिस्टर में गोरखपुर पहुंचते-पहुंचते बस्ती या आजमगढ़ दिखाई देता है, तो कौन-सी मशीनरी इसको चेक करेगी और कौन-सा इसका मापदन्ड होगा कि वह कानपुर से आया है। इससे करप्शन बढ़ेगा और अफसरों की टूरिंग ड्यूटीज बढ़ेगी और हर अफसर २४ घंटे सड़क पर मोटर लिए खड़ा रहेगा। फिर यह भी कोशिश की जायगी कि २० किलोमीटर तक जिस ट्रक वाले से रंजिश हो जाय उससे कहा जायगा कि चलो-चलो तुम्हारी ट्रक वहां पर तुलवायेंगे और अगर ट्रक वाले को अपना माल जल्दी पहुंचाना है तो जिसके न पहुंचने के कारण कोई अन्तर प्रतीत होता है तो माल-वाला उस अधिकारी की पूजा करेगा कि जल्दी से जल्दी उसका ट्रक छोड़ दिया जाय। यह एक ऐसा गंभीर विषय है और मैं माननीय सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक से अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस विधेयक से प्राइवेट आपरेटर्स के ऊपर एक परेशानी लाद दी जायगी। इससे इतना ही नहीं यह भी निश्चित है कि जो एसेंशियल गुड्स होगा उसके भाव भी बढ़ जायंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप लोग ठंडे दिल से विचार करें और इस बिल को प्रवर समित को सुपुर्द करें।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उग्रसेन—

क्लोजर मूव हो गया है। आप इस पर मत लें लीजिए।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीया अधिष्ठाता महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्लोजर जो है यह कोई राइट की चीज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

क्लोजर मूव करने पर कोई निर्णय नहीं हो जाता। अभी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

अब तो प्रस्ताव आ गया है। किसी माननीय सदस्य को अपने विचार नहीं रखने चाहिये।

श्री उग्रसेन—

प्रस्ताव आ गया तो उसमें मत लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

अब क्लोजर का मोशन मूव हो गया है तो उसे आप पुट कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

मैं इस संबंध में नियमावली के नियम ११६ को पढ़ना चाहती हूं

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

आपको प्रस्ताव लेने में क्या आपत्ति है ? अगर ट्रेजरी बेंचेज जीत आयेंगी तो क्लोजर मूव नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं इस समय बोल रही हूं । आप लोग शांतिपूर्वक मेरी बात सुनिये । आप लोग कोई विघ्न नहीं डालें ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

जब क्लोजर मूव हो गया है तो आपके सामने एक निश्चित प्रस्ताव है । उसे आप पहले ले लें ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं । मैं आपके सामने.....

श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी—

इतने समय में तो दारुलशफा से ट्रेजरी बैंचेज के सदस्य आ जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं जो कह रही हूं उसे आप शांतिपूर्वक सुनिये ।

श्री उग्रसेन—

आप नियम पढ़ लें । आपको अधिकार इतना है कि आप इस पर मत ले लें । दूसरी कार्यवाही होगी तो हम उसका विरोध करेंगे और सदन को कार्यवाही नहीं चलने देंगे । (शोरगुल)

श्री अधिष्ठाता—

मैं नम्र निवेदन करती हूं कि अगर आप शांतिपूर्वक काम चलने दें तो ठीक है, नहीं तो मैं १५ मिनट के लिये सदन स्थगित कर दूंगी ।

(इस समय सदन में काफी शोर गुल होने लगा और विरोधी दल के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये । श्री अधिष्ठाता के बार-बार कहने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किये)

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदन को १५ मिनट के लिये स्थगित करती हूं ।

(इस समय २ बजकर ४० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती सुशीला रोहतगी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई। इस समय भी बहुत से सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े थे।)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपा करके स्थान ग्रहण करें। मैंने १५ मिनट के लिये सदन स्थगित किया था, इसलिये कि इस बीच में शायद हम लोग आपस में बैठकर शान्तिपूर्वक विचार विमर्श कर सकें। जो आपने क्लोजर मोशन यहां पर प्रस्तुत किया तो मैंने देखा कि ११६ नियम के अन्तर्गत यह चेयर के डिस्क्रीशन पर है कि उसे पुट करे या नहीं। अभी जब एक मूल प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत हुआ है।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

इसकी आप सफाई मत दें कि आप किस तरह से सरकारी पक्ष की भावना से प्रेरित हुई हैं। आपको जो कुछ करना हो, कीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने क्लोजर की आज्ञा नहीं दी है, डिसएलाऊ कर दिया है। अगर कोई माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

हमारा यह एक अधिकार है। इससे हम एक कदम पीछे नहीं जा सकते।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं देखती हूं कि सदन का कार्य शान्तिपूर्वक चलना संभव नहीं है, इसलिये अब आज सदन स्थगित किया जाता है और ४ मई, को ११ बजे हम फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर ५८ मिनट पर सोमवार, ४ मई, १९६४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१५ अप्रैल, १९६४।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर]

क्रम-संख्या	गांव का नाम	धन जो ऋण में दिया गया	कुंओं की संख्या जिन पर वर्ष १९६३ में ऋण दिया गया	जो कुएं सिंचाई हेतु पूर्ण हो चुके हैं	जो अपूर्ण हैं	विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१	बदन गढ़	१,०००.००	१	१	..	
२	अजीजपुर	२,६००.००	४	३	१	
३	लाहखारी	१,४००.००	२	१	१	
४	खरोट	१,०००.००	२	..	२	
५	इताना	३,१५०.००	४	३	१	
६	लालपुर	४,६२५.००	७	७	..	
७	गढ़ी बरवारी	१,०००.००	१	१	..	
८	निगड़े	२,५००.००	४	१	३	
९	कांसी देहात	५००.००	१	१	.	
१०	मड़ाखर	१,२५०.००	२	१	१	
११	फादौना	१,०००.००	१	१	..	
१२	पखरपुर	१,०००.००	१	१	..	
१३	कामर	६५०.००	१	१	..	
१४	कमाई	६००.००	१	१	..	
१५	राजेरा	४००.००	१	..	१	
१६	गुहेता	६००.००	१	..	१	
१७	चन्दौरी	९००.००	१	..	१	
१८	गुहारी	८००.००	१	..	१	
१९	चन्दौरी	६००.००	१	..	१	
२०	चौकी	६००.००	१	..	१	
२१	शाहपुर	५००.००	१	..	१	
२२	छाता	८००.००	१	..	१	
२३	कोकेरा	८००.००	१	१	..	
२४	पिल्हौरा	७००.००	१	१	..	
२५	सेहा	२,४००.००	३	..	३	
२६	सिपरा	८००.००	१	..	१	
२७	मदावल	१,०००.००	१	..	१	
२८	चोभा	५५०.००	१	..	१	
२९	आज नौरव	१,०००.००	१	..	१	
३०	अहरोली	५००.००	१	..	१	
३१	अझई	१,०००.००	१	..	१	
		३६५२५.००	५१	२५	२६	

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर]

तालिका नं० १

नारंगक इंडस्ट्रीज, नवाबगंज, जिला गोंडा द्वारा द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न प्रकार की शराबों का उत्पादन का विवरण

वर्ष	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४
उत्पादन	मात्रा लिटर में	मात्रा लिटर में	मात्रा लिटर में	मात्रा लिटर में	मात्रा लिटर में	मात्रा लिटर में	मात्रा लिटर में	मात्रा लिटर में
१—रेक्टीफाइड स्प्रिट ..	४,१९,४७०.६	५,५२,३३२.५	४,४१,८९९.५	५,७३,९०४.७	४,२१,३५८.७	४,२१,३६२.४	६,५४,८६७.०	१२,१६,२३७.३
२—एब्सोल्यूट अल्कोहल	१४,१३,८७७.४	१८,३७४४२.०	१९,७५,९९५.९	३५,६६,०१२.९	१६,७१,४३२.२	१४,९०,०४६.५	१३,९४,४४१.३	५,६०,६४३.५
३—कन्ट्री स्प्रिट ..	५,५२,७९७.३	४,५१,९९७.९	४,७०,२२८.२	५,०२,२४०.४	५,५३,८८६.६	५,११,९११.०	५,९०,७२३.९	५,६५,४६४.३

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर]

तालिका नं० २

द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में नारंग इंडस्ट्रीज से सरकार को आबकारी-कर के रूप में प्राप्त धन का विवरण--

वर्ष	रेक्टीफाइड स्प्रिट (धनराशि)	डिनेचर्ड स्प्रिट (धनराशि)
	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१९५६-५७	९८,०००.००	४६,३७८.००
१९५७-५८	२५,०००.००	९१,११०.००
१९५८-५९	६८,०००.००	१,२०,२१०.००
१९५९-६०	३०,०००.००	९२,९८०.००
१९६०-६१	३६,०००.००	१,३३,२१२.००
१९६१-६२	९०,०००.००	८४,३२०.००
१९६२-६३	१,१५,०००.००	१,५१,८३६.००
१९६३-६४	१,३०,०००.००	९७,८७९.००
फरवरी, ६४ (तक)		

नोट--देशी शराब पर आबकारी-कर--

(१) प्रदेश के उन जिलों में से वसूल किया जाता है जहां पर ठेके के क्षेत्र का भांडागार स्थित होता है।

(२) निकासी जो प्रदेश के बाहर भेजी जाती है उस पर ड्यूटी यू० पी० के बाहर वसूल की जाती है।

तालिका नं० ३

द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में नारंग इंडस्ट्रीज द्वारा उपार्जित लाभांश (SubJect to taxation) का विवरण

वर्ष	लाभ
१९५७	१,३५,२२७.८८
१९५८	१,२२,७५५.९०
१९५९	५५,००९.९५
१९६०	४४,२०६.७५
१९६१	६४,८८१.०७
१९६२	२८,८४५.६८
१९६३	बही खाते संपूर्ण नहीं किए गये हैं।

नोट--नारंग इन्डस्ट्रीज का वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसम्बर तक का होता है।

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर]

जिला मुरादाबाद में निम्नलिखित स्थानों पर मेटरनिटी सेन्टर (जच्चा-बच्चा) केन्द्र हैं:

ताजपुर, हरथला, अफगानपुर, मुन्डापान्डे, जैतिया, सरकारा, सम्बल, यारपुर, हजरतनगर-लखौरी, असमोली, मछरिया, मनोता, मढ़ान, हसनपुर, उझारी, पिपली, मदौरा, अमरोहा गजस्थाल, जमुनाखास, बादशाहपुर, जोया, रज्जवपुर, पिरथीपुर, पतई, कान्थ, ठाकुरद्वारा, सुरजननगर, सुल्तानपुर दोस्त, दिलारी, जहांगीरपुर, अलियाबाद, बिलारी, सनई, शिवनदारा, बरनी, अगौरा, पाठकपुर, भवान ।

इसके अतिरिक्त रेडक्रास सोसाइटी ने दो मेटरनिटी सेन्टर (जच्चा-बच्चा केन्द्र) पकवारा और सदरपुर में खोल रखे है।

जिन मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों पर मिडवाइफ के एवज में प्रशिक्षित दाई नियुक्त हैं उनमें रखी जाने वाली दवाइयों की सूची--

१--आरगीरोल	..	..	८ ग्राम
२--बैन्डेज क्लाथ	..	..	८ गज
३--बैकाडेक्स गोली	..	..	१०० गोली
४--विटामिन बी० गोली	..	..	१०० गोली
५--बैकाडेक्स ट्राप	..	..	१ शीशी
६--ऐक्सोरबेन्ट काटन	..	..	३ पौंड
७--औस्टो कैलशीयम गोली	..	..	२५० गोली
८--कैस्टर आइल	..	..	१ पौन्ड
९--डिटौल	..	..	८ औंस
१०--एरगोलीन गोली	..	..	२५० गोली
११--गिलसरीन प्योर	..	..	१ पौन्ड
१२--गाज ..	..	..	८ गज
१३--पलवएमीलम	..	..	१ पौन्ड
१४--एपट एम एरोम	..	..	४ औंस
१५--सलफागुइनडीन गोली		..	२०० गोली
१६--सलफाथीजोल गोली	..	..	१०० गोली
१७--तौलिए	..	..	दो
१८--झाड़न	..	..	दो
१९--एडोआक्सीन धोल	..	..	१ शीशी
२०--फैरसोलेट गोली	..	..	५०० गोली
२१--एडेहिसिव प्लास	..	..	एक रील
२२--सैनटियन बाइले	..	..	४ ग्राम
२३--सलफाडाइजीन गोली	..	..	१०० गोली
२४--ए० पी० सी० गोलियां	..	..	१०० गोलियां

जिन मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों पर मिडवाइफ की नियुक्त है उनमें रखी जाने वाली दवाइयों की सूची--

१--आरगीरोल	..	..	८ ग्रेन
२--बैकासेल्स गोली	..	..	२५० गोली
३--बैन्डेज क्लाथ	..	..	८ गज
४--विटामिन बी० गोलियां	..	..	२५० गोलियां

५--बैकाडेक्स ड्रापस	..	..	.. दो शीशी
६--ऐक्सोरेबेन्ड क्लाथ	..	..	.. ६ पौन्ड
७--कैस्टर आइल	..	..	.. ३ पौन्ड
८--आस्टो कैलशीयम गोली	..	..	.. ५०० गोलियां
९--डिटाल ..	..	..	.. १ पौन्ड
१०--एरबोलीन गोली	..	..	.. ५०० गोलियां
११--गिलसरीन प्योर	..	..	.. १ पौन्ड
१२--गाज क्लाथ	..	..	.. ८ गज
१३--लिसोल ..	..	..	.. १ पौन्ड
१४--मरकरी क्रोम	..	..	.. ८ ग्राम
१५--मैढ सतका पाउडर	..	..	.. १ पौन्ड
१६--परगा गोली	..	..	.. ६० गोलियां
१७--पलव ऋमीलम	..	..	.. १ पौन्ड
१८--कुनैन गोली	..	..	.. १०० गोलियां
१९--स्पेट ग्राम एरोम	..	..	.. १ पौन्ड
२०--सतलकागुइनडीन गोली	..	..	.. ५०० गोलियां
२१--नहान साबुन	..	..	.. दो
२२--सलफाट्राइन गोली	..	..	.. ४०० गोलियां
२३--सोडा सैलीसीलास गोली	..	..	.. ५० गोलियां
२४--सलफाथीजोल गोली	..	..	.. ४०० गोलियां
२५--शार्क लीवर आयल	..	..	.. १ पौन्ड
२६--तौलिए ..	..	..	.. चार
२७--टिःचर आयोडीन	..	..	.. १ पौन्ड
२८--झाड़न ..	..	..	.. आठ
२९--थैलाजोल गोली	..	..	.. ५० गोली
३०--ईस्ट गोली	..	..	.. २०० गोली
३१--जिन्क आक्साइड	..	..	.. १ पौन्ड
३२--एडाओक्सीलीन घोल	..	..	.. २ शीशी
३३--फैरसोलेट गोली	..	..	.. १०००, गोलियां
३४--मैक्साफार्म गोली	..	..	.. २० गोली
३५--पेन्डीड ..	..	..	.. १० गोली
३६--फैरोनीसिम गोली	..	..	.. ५० गोली
३७--मेथरजीन गोली	..	..	.. ५ गोली
३८--सैन्डोसटन	..	..	.. २५ गोली
३९--ही न्यूटरन	..	..	.. दो एम्पयूलस
४०--परसामीड	..	..	.. २० गोली
४१--एडेहिसिव प्लास्टर	..	..	.. १ रील
४२--बैलोडोनल गोली	..	..	.. २० गोली
४३--जैनटीयन वाइलेट	..	..	.. ७ ग्रेन
४४--सलफाडाइजीन गोली	..	..	.. २०० गोली
४५--ए० पी० सी० गोली	..	..	.. १०० गोलियां

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर]

पुरुष तथा महिला सोशल वर्करों के कार्य की रूप रेखा

प्रतिदिन ७ घंटे से कम कार्य नहीं करना चाहिये। प्रतिदिन केन्द्र में तथा केन्द्र से बाहर कार्य करना आवश्यक है।

केन्द्र में कार्य करने का विवरण

(१) महिला सोशल वर्कर तथा पुरुष सोशल वर्कर केन्द्र में प्रतिदिन अथवा दूसरे दिन अवश्य उपस्थित रहेंगे।

(२) महिलाओं तथा पुरुषों को सामूहिक बातचीत अथवा व्यक्तिगत बातचीत द्वारा परिवार नियोजन के सिद्धान्तों की शिक्षा देना।

(३) ठीक लोगों को बातचीत द्वारा, गर्भ निरोधक उपकरणों के प्रचार द्वारा तथा आपरेशन के चार्टों द्वारा परिवार नियोजन के सिद्धान्तों को समझाना तथा उन सिद्धान्तों को मानने के लिये तैयार करना। गांवों में गर्भ निरोधक उपकरणों को लोगों को घर पर देना तथा शहरों में केवल केन्द्र पर।

(४) आवश्यक कार्ड तथा रजिस्टरों को ठीक प्रकार से तैयार करना।

(५) सहायक निदेशिका, परिवार नियोजन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को आवश्यक सूचनायें समय-समय पर भेजना।

(६) अपने हल्के के समस्त राजकर्मचारियों तथा जनता से सम्पर्क स्थापित रखना। उनके समारोहों में परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम को भी सम्मिलित करना।

केन्द्र से बाहर कार्य का विवरण

(१) केन्द्र के बाहर निम्नलिखित कार्य करने चाहिये--

(१) वैयक्तिक सम्पर्क के लिये नये घरों में जाना,

(२) केन्द्र में जिन लोगों से सम्पर्क स्थापित हुआ, उनके घर पर मिलना,

(३) पुराने केसों को देखना,

(४) सभायें करना।

(५) फिल्म शो, प्रदर्शनी, शिविर आदि की व्यवस्था करना।

(२) सोशल वर्करों को चाहिये कि लोगों में परिवार नियोजन के सिद्धान्तों को मानने की इच्छा पैदा हो।

क्रम-संख्या व केन्द्रों के नाम		व्यक्तियों की संख्या जिनसे परिवार नियोजन के सम्बन्ध में वार्तालाप किया गया ।	व्यक्तियों की संख्या जिनको परिवार नियोजन के निमित्त सलाह दी गयी ।
१		२	३
१	अवराई	३,४५२	८४१
२	अरजी लाइन	२६५	४२
३	काशी विद्यापीठ	३,६६६	१,९२४
४	चन्दौली	१,५६१	१६६
५	ग्यानपुर	१,८८७	७५
६	पिन्ड्री	६,८८१	१,१०७
७	चेरावगांव	८६८	२६६
८	चहनिया	४,६००	१११
९	नियामताबाद	९०३	२०
१०	धानपुर	३,००८	८
११	बड़ागांव	५१,५९३	२६४

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७ पर।)

१—उर्सला मेमोरियल अस्पताल, कानपुर

कर्मचारियों की कुल संख्या	स्थाई कर्मचारियों की संख्या
९२	५७

२—लाला लाजपतराय मेमोरियल अस्पताल, कानपुर

कर्मचारियों की कुल संख्या	स्थाई कर्मचारियों की संख्या
१६९	११२

३—जे० के० मेमोरियल अस्पताल, बिरहाना रोड, कानपुर

कर्मचारियों की कुल संख्या	स्थाई कर्मचारियों की संख्या
२९	इस अस्पताल के कर्मचारियों की सालाना मंजूरी जाती है, इस कारण यहां पर अभी कोई स्थाई नहीं किया गया है।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९ पर)

जी हां, सहकारी संघ, रामनगर में बीज वितरण के सम्बन्ध में एक क्विन्टल गेहूं और एक क्विन्टल जौ का गबन हुआ है तथा उससे सम्बन्धित ३ सहकारी समितियां गोनघट, नेतवार, पट्टी और सीधे गौर में क्रमशः ६४६.९३ न० पैसे, ६३३.४५ न० पैसे तथा और ६८४.०२ न०पैसे की तहवील का गबन हुआ है।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित आवेदन-पत्र विभिन्न अधिकारियों को प्राप्त हुये हैं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है--

क्रम-संख्या	आवेदन कर्त्ता का नाम	सम्बन्धित समिति का नाम	जिसको आवेदन-पत्र दिया गया	आवेदन-पत्र देने की तिथि
१	२	३	४	५
१	श्री राज बल्लभ सिंह ..	गाय घाट (रामनगर संघ)	सहायक निबन्धक, गोरखपुर।	११ मार्च, १९६४।
२	श्री जंगी यादव सरपंच ..	गोनघट समिति	खंड वि० अ०, बड़हल गंज।	२३ जनवरी, १९६४।
३	श्री जंगी यादव सरपंच ..	गोनघट समिति	जिला नियोजन अधिकारी।	१० फरवरी, १९६४।
४	श्री जंगी यादव सरपंच ..	गोनघट समिति	खंड विकास अधिकारी, बड़हलगंज।	१७ फरवरी, १९६४।
५	श्री राम चीज दीक्षित, खजान्ची।	नेतवार पट्टी	सहायक निबन्धक	२६ फरवरी, १९६४।
६	श्री राम चीज दीक्षित, खजान्ची।	नेतवार पट्टी	बी०डी०ओ०, बड़हलगंज	२६ फरवरी, १९६४।
७	श्री सितला सिंह, खजान्ची	सीधे गौर समिति	जिला नियोजन अधिकारी।	२४ फरवरी, १९६४।
८	श्री सितला सिंह, खजान्ची	सीधे गौर समिति	सहायक निबन्धक	२४ फरवरी, १९६४।
९	श्री सितला सिंह, खजान्ची	सीधे गौर समिति	बी०डी०ओ०, बड़हलगंज	२४ फरवरी, १९६४।

उपरोक्त सभी आवेदन-पत्र जांच के लिये सहायक विकास अधिकारी (सह०), बड़हलगंज को भेज दिये गये हैं। अभी तक जो जांच हो सकी है उससे निम्नलिखित व्यक्ति दोषी पाये गये हैं।

(१) श्री पूर्णमासी लाल सुपरवाइजर

(२) श्री सीताराम राय कामदार

(३) श्री छेदी मिश्र, खजान्ची, गोनघट सहकारी समिति ।

(४) श्री राम चीज दीक्षित, खजान्ची, नेतवार पट्टी, सहकारी समिति ।

(५) श्री सितला सिंह, खजान्ची, सीधे गौर सहकारी समिति ।

श्री पूर्णमासीलाल सुपरवाइजर का स्थानान्तरण रामनगर सहकारी संघ से कर दिया गया है तथा उन्हें आरोप पत्र दिया गया है। उनका उत्तर प्राप्त होने पर आगे की विभागीय कार्यवाही स्थानीय अनुशासन समिति द्वारा की जाएगी।

श्री सीताराम राय कामदार चाकरी से पृथक् कर दिये गये हैं ।

श्री राम चीज दीक्षित, खजान्ची, नेतवार पट्टी समिति और श्री छेदी मिश्र खजान्ची, ने गोनघट समिति तथा सीताराम राय कामदार को रुपया जमा करने के लिये नोटिस दी गयी है ।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४० पर)

जिला गोंडा

क्रमांक	ब्लाक का नाम	कार्य का नाम		अनमानित लागत (लाख रु० में)
१	२	३		४
		द्वितीय चरण		
१	छपिया ..	चारु ताल ड्रेन	..	१–७२
		जीराभारी बूणौपुर ताल ड्रेन	..	०–३८
		सिंगारघाट मस्कनवा रोड (४ मील) तथा पुल ।		४–१०
		तृतीय चरण		
२	इन्टियाथोक ..	ट्यूबवैल की सड़कें १२–५ मील		३.२५
		कच्ची गूल	..	१.२५
		कुआना पम्प कैनाल	..	२.५०
३	कर्नलगंज ..	८२ गांव का ऊंचा करना	..	८.५२
४	परखपुर ..	२८ गांव का ऊंचा करना	..	१.६८
		१६ मील लम्बी कच्ची गूल	..	०.१६
		पक्का परसपुर रोड (५ मील)	..	४.५०
५	उतरौला ..	२१ गांवों का ऊंचा करना	..	२.९८
		४० मील लम्बी गूल	..	०.४०
		माधोगंज गैदास बुजुर्ग रोड (३ मील)	..	२.२५
		नवाबगंज उतरौला रोड (८ मील)	..	२.०७
६	बलरामपुर ..	५० गांवों का ऊंचा करना	..	३.०८
		६० मील कच्ची गूल	..	०.६०
		बलरामपुर उतरौली रोड चौड़ा करना (१० मील)	..	२.४६
		महेश्वरी भंजन (सावां रोड) चौड़ा करना (३-४ मील)	..	०.१०
		श्रीनगर जुआ से श्रीनगर महन्त रोड चौड़ा करना (७ मील)	..	०.२१
		बेलहा भगवानपुर रोड चौड़ा करना (४ मील)		०.२७

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१ पर)

क्रम-संख्या	जिला	सड़कों की लम्बाई (मीलों में)	
		द्वितीय चरण	तृतीय चरण में
१	२	३	४
१	गोरखपुर	.. ..	..
२	देवरिया	.. ..	४३–२
३	आजमगढ़	.. २३–४	२८–५
४	बस्ती	.. ४–४	२–४

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३ पर)

भारतीय वियर पर टैक्स का विवरण

राज्य का नाम	निर्यात कर	वियर पर कर	बनाई जाती है या नहीं	वियर बनाई जाती है या नहीं	बाटलिंग फीस ली जाती है या नहीं
१	२	३	४		५
१ दिल्ली ..	कुछ नहीं	३५ न०पै० फी लिटर	नहीं बनाई जाती ।		बाटलिंग नहीं की जाती
२ आसाम ..	,,	३५	,,		,, ,,
३ हिमांचल प्रदेश ..	२ न०पै० फी लिटर	३५	बनाई जाती है		बिना फीस बाटलिंग की जाती है ।
४ राजस्थान ..	कुछ नहीं	३५	नहीं बनाई जाती ।		बाटलिंग नहीं की जाती
५ केराला ..	,,	२०	,,		,, ,,
६ पंजाब ..	,,	४०	,,		,, ,,
७ जम्मू ..	,,	४०	,,		,, ,,
८ मध्य प्रदेश ..	,,	३१	,,		२५ रु० प्रति वर्ष बाटलिंग फीस ली जाती है ।
९ मैसूर ..	५ न०पै० फी लीटर ।	५०	बनाई जाती है		सूचना प्राप्त नहीं है ।
१० उत्तर प्रदेश ..	८ न०पै०फी लिटर ।	६६	,,		१०० से ३०० रु० तक प्रति वर्ष बाटलिंग फीस ली जाती है ।

परिशिष्ट 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७ पर)

सूची १

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मथुरा के स्टाफ के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों पर की गयी कार्यवाही का विवरण:

१९६३ में प्राप्त कुल शिकायत-पत्रों की संख्या ..	३०
(१) वे शिकायती-पत्र जिन पर जांच के बाद कार्यवाही की गयी	८
(२) वे शिकायती-पत्र जिन पर जांच के बाद कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी । ..	१३
(३) वे शिकायती-पत्र जिन पर जांच अथवा जांच की रिपोर्ट अपेक्षित या विचाराधीन है। ..	६
(४) केस सबजुडिस (subjudice) होने के कारण जिन शिकायती-पत्रों पर कार्यवाही अभी संभव नहीं हो सकी है । ..	३
योग ..	३०

सूची २

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मथुरा के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों पर की गई कार्यवाही—

(१) गुमनाम होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी	.२
(२) स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा आवश्यक जांच करायी जा रही है	३
(३) आरोप प्रमाणित नहीं हो सका ..	१

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३ पर।)

परिशिष्ठ (१)

ग्रामीण जन शक्ति उपयोग योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरणों के अतिरिक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में लिये जाने वाले कार्यों की सूची

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
		द्वितीय चरण का अतिरिक्त कार्यक्रम		
१	अजमतगढ़ ..	९ गांवों को ऊंचा करना ..	०.७२	
		जौनपुर अजमतगढ़ रोड़ ३–२ मील	१.९५	
		नहर की गूलें ४३ मील ..	०.४६	
		योग ..	३.१३	
२	बिलरियागंज	१ गांव का ऊंचा करना ..	०.०८	
		६ मील नहर की गूलें ..	०.०६	
		योग ..	०.१४	
३	मरवहा ..	८ गांवों को ऊंचा करना ..	०.६४	
		इटौरा मठ कासिमाबाद रोड १ मील	०.६०	
		फूलपुर-मरदहा रोड २ मील ..	१.४०	
		ऊसर का रिक्लेमेशन (२०० एकड़)	२.००	
		सलतानपुर-रानीपुर मऊं रोड ४ मील	२.४०	
		योग ..	७.०४	
४	तहवरपुर ..	२ गांवों को ऊंचा करना ..	०.१६	

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	अन्य विवरण
१	२	३	४	५

तृतीय चरण का अतिरिक्त कार्यक्रम

५	हरैया ..	एम० जी० बांध मरम्मत ..	०.९९	
		ट्यूबवेल की गूलें ..	०.०५	
		योग ..	१.०४	
६	दोहरीघाट ..	एम० जी० बांध मरम्मत ..	०.५३	
		नहर की गूलें १४ मील ..	०.१४	
		योग ..	०.६७	
७	बड़रांव ..	७ गांवों का ऊंचा करना ..	०.५६	
		१० मील नहर की गूलें ..	०.१०	
		योग ..	०.६६	
८	महराजगंज ..	४ गांवों को ऊंचा करना ..	०.३२	

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६ पर)

प्रत्येक सुपरवाइजर से सम्बन्धित वांक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

१—श्री सुन्दर सिंह—यह फरार हो गए। इनके न मिलने के कारण कोई चार्जशीट नहीं दी जा सकी। विभाग ने जांच करने के पश्चात् इनको दोषी पाते हुए पुलिस को मामला दे दिया। इन्होंने खाद की बिक्री का धन अपहरण किया जो ९,८४८.४५ न० पै० है।

२—श्री वी० एस० बाजपेयी:—श्री वी० एस० बाजपेयी को चार्जशीट २-८-६१ में दी गई, जिसका उत्तर उन्होंने २६-११-६१ में दिया। जिसकी विभागीय जांच करने के पश्चात् उनको दोषी पाया गया। परन्तु इसके पूर्व ही इनका केस पुलिस में दे दिया गया था। इन्होंने तहवील व स्टाक ९,७८८.४८ न० पै० का अपहरण किया। स्थानीय अनुशासन समिति ने इसपर इसलिये कोई निर्णय नहीं दिया कि इससे पुलिस की जांच में बाधा पड़ सकती है। केस पुलिस की जांच में है।

३—श्री शिव गोविन्द त्रिपाठी:—श्री त्रिपाठी को २-२-६२ को चार्ज शीट दी गई थी, परन्तु उसका उत्तर उन्होंने ४-१२-६२ में दिया था जो अपूर्ण था। उनसे फिर कुछ स्पष्टी-करण मांगे गए थे जिनका पूर्ण उत्तर उन्होंने ८-२-६४ में दिया है। उनके केस की जांच हो रही है। जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात् उनका केस स्थानीय अनुशासन समिति में रखा जायेगा। इन्होंने स्टाक व तहवील का अपहरण किया है।

४—श्री सिद्ध नाथ पाठक को चार्जशीट दिनांक २-४-६३ दी गई। उनका उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय जांच की गई। स्थानीय अनुशासन समिति ने अपने निर्णय दिनांक ८-१-६४ के अनुसार उनको दोषी पाया और उनके केस को क्षेत्रीय अनुशासन समिति के पास अन्तिम निर्णय हेतु भेज दिया था। इनको धन व स्टाक का अपहरण करने और अनियमित-तायें बरतने के आरोप में निलम्बित किया गया था।

इस मण्डल के क्षेत्रीय अनुशासन समिति की अन्तिम बैठक २४-२-६४ को हुई है। श्री सिद्ध नाथ पाठक, मुअत्तल सुपरवाइजर के मामले की मूल फाइल सहायक निबन्धक, बाराबंकी के पत्र संख्या ८२७१-७२ दिनांक २-३-६४ के द्वारा उप-निबन्धक, फैजाबाद के कार्यालय को ७-३-६४ को प्राप्त हुई। श्री पाठक का मामला क्षेत्रीय अनुशासन समिति की अगली बैठक के सन्मुख उनके विचारों के लिये रखा जायेगा।

५—श्री रामकिशुन सिंह को १७-४-६३ को चार्जशीट दी गई थी, उनका उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय जांच की गई। स्थानीय अनुशासन समिति ने अपने निर्णय दिनांक ८-२-६४ के अनुसार उनको दोषी पाया और उनका केस क्षेत्रीय अनुशासन समिति के पास अन्तिम निर्णय हेतु भेज दिया है। इनको धन के अपहरण के आरोप में मुअत्तल किया गया था।

श्री रामकिशुन सिंह, मुअत्तल सुपरवाइजर के मामले की मूल फाइल अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है, इसके लिये इस कार्यालय के पत्र सं० १३५८(व्यवस्था)-II यूनियन, दिनांक २४-३-६४ के द्वारा सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बाराबंकी से अनुरोध किया जा चुका है। श्री सिंह की मूल फाइल के प्राप्त हो जाने पर उनका मामला भी क्षेत्रीय अनुशासन समिति के सम्मुख उसके विचारों के लिये रखा जायेगा।

६—श्री शिव चरन सिंह को चार्जशीट दिनांक ७-२-६४ को दी गई। इन्होंने चार्ज देने में आठ माह लगा दिये इसलिये चार्जशीट देर में दी गई। इन्होंने स्टाक व धन ९,२५८.६१ न० पै० का अपहरण किया है। इन्होंने अभी तक चार्जशीट का उत्तर नहीं दिया है। उत्तर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

७--श्री बद्रीप्रसाद वर्मा को चार्जशीट ८-५-६३ को दे दी गई थी, परन्तु उसका कोई उत्तर उन्होंने आज तक नहीं दिया है। विभागीय जाँच के पश्चात् उनका केस पुलिस को दे दिया गया है। मुकदमा कायम होकर तफतीश हो रही है। उन पर धन व स्टाक का अपहरण व फरजी बीज वितरण के आरोप हैं।

८--श्री केदारनाथ मिश्र दिनांक ८-८-६३ से क्षेत्र से अनुपस्थित हैं। उनका केस १६-१-६४ को पुलिस को धारा ४०९ के अन्तर्गत रिपोर्ट कर दिया गया है। इन पर ११,१३६ रुपया तहवील के अपहरण व स्टाक के अपहरण का आरोप है। पुलिस की जांच जारी है। इनको चार्जशीट अभी नहीं दी गई है, जांच पूर्ण होने पर दी जायेगी।

९--श्री शिवकुमार सिंह ४-१२-६३ से अपने क्षेत्र से अनुपस्थित हैं और इन्होंने अभी तक चार्ज भी नहीं दिया जिसके हेतु जिलाधीश महोदय को ताले तोड़ने हेतु लिखा गया है और मामले की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई है। चार्ज होने के उपरान्त ही चार्जशीट बनाई जायेगी। इस समय इन पर ४,५०० रुपये की तहवील के अपहरण का आरोप है।

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६० पर)

वर्ष	जीप की मरम्मत में व्यय की गई धनराशि
	रु० न० पै०
१९५७–५८	२६२.६४
१९५८–५९	३७६.३८
१९५९–६०	२७४.१७
१९६०–६१	३३५.६१
१९६१–६२	८२४.६९
१९६२–६३	१८४.९१
१९६३–६४	२,५७१.६१

संसद सदस्य

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३ पर)

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या ५, दिनांक ३१-३-६२ अन्तरिम जिला परिषद्, गोरखपुर

५--परिषद् के पूर्व प्रस्ताव संख्या ३, दिनांक २८-१०-६० जिसके द्वारा परिषद् ने बड़हलगंज से नरहरपुर सड़क को राज्य सरकार के सार्वजनिक विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया था उसके सन्दर्भ में शासन ने अपने आदेश संख्या १२४-सी०/२३-पी० डब्ल्यू० ए०-१४-सी०-(३१)-६०, दिनांक २८ फरवरी, १९६२ द्वारा परिषद् को सूचित किया है कि उक्त सड़क की लम्बाई लगभग ५ मील है जो घाघरा और राप्ती के संगम के निकट पड़ती है और उसके बाढ़ के पानी में डूबने की सम्भावना रहती है। इस सड़क तथा इस पर निर्माण होने वाले पुलों को तृतीय पंचवर्षीय योजना में लेना सम्भव नहीं है। परिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

पुनः सरकार को लिखा जाय।

प्रमाणित

(ह०) म० न० सिंह,

अधीक्षक कार्यालय,

अंतरिम जिला परिषद्,

गोरखपुर।

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८ पर)

जिला आजमगढ़

क्रम-सं०	ब्लाक का नाम	सड़क का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	विवरण
१	आजमगढ़	जियनपुर-अजमतगढ़ रोड ३-२ मील।	१.९५	यह सड़क ग्रामीण जन-शक्ति उपयोग योजना के द्वितीय चरण के अतिरिक्त कार्यक्रम में स्वीकृत हो चुकी है तथा काम निकट भविष्य में आरम्भ हो जायेगा।
२	मरवहा ..	इटोरामऊ कासिमाबाद रोड १ मील	०.६०	,,
		फूलपुर-मरवहा रोड २ मील	१.४०	,,
		सुल्तानपुर-रानीपुर मऊ रोड ४ मील।	२.४०	,,

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९ पर)

तिथि	नाम ग्राम
२०–७–६३	.. रसूलपुर कलां
२१–७–६३	.. नदायल पोयल, सिलहरी
२२–७–६३	.. कांकसी वाया मुस्तफाबाद
२३–७–६३	.. घटपरागंज वाया रंजीतपुर और बूंदमा
२४–७–६३	.. घटपरागंज, मिर्जापुर, भक्तानगला और मौरूवाला
२६–७–६३	.. पतरिया, नदायल, जरीफनगर
२७–७–६३	.. चन्दनपुर, बागवाला
३०–७–६३	.. नसीरपुर, ढेंलओर सोनबूढ़ी
३१–७–६३	.. मालपुर तितेरा
३–८–६३	.. सहसवान।

४–५ अगस्त, १९६३ में वाहन द्वारा कोई भी यात्रा नहीं की गई।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० ४५ एल० ए० १९६४–८६०।